कार्यसूची

दिनांक - 24.02.2026

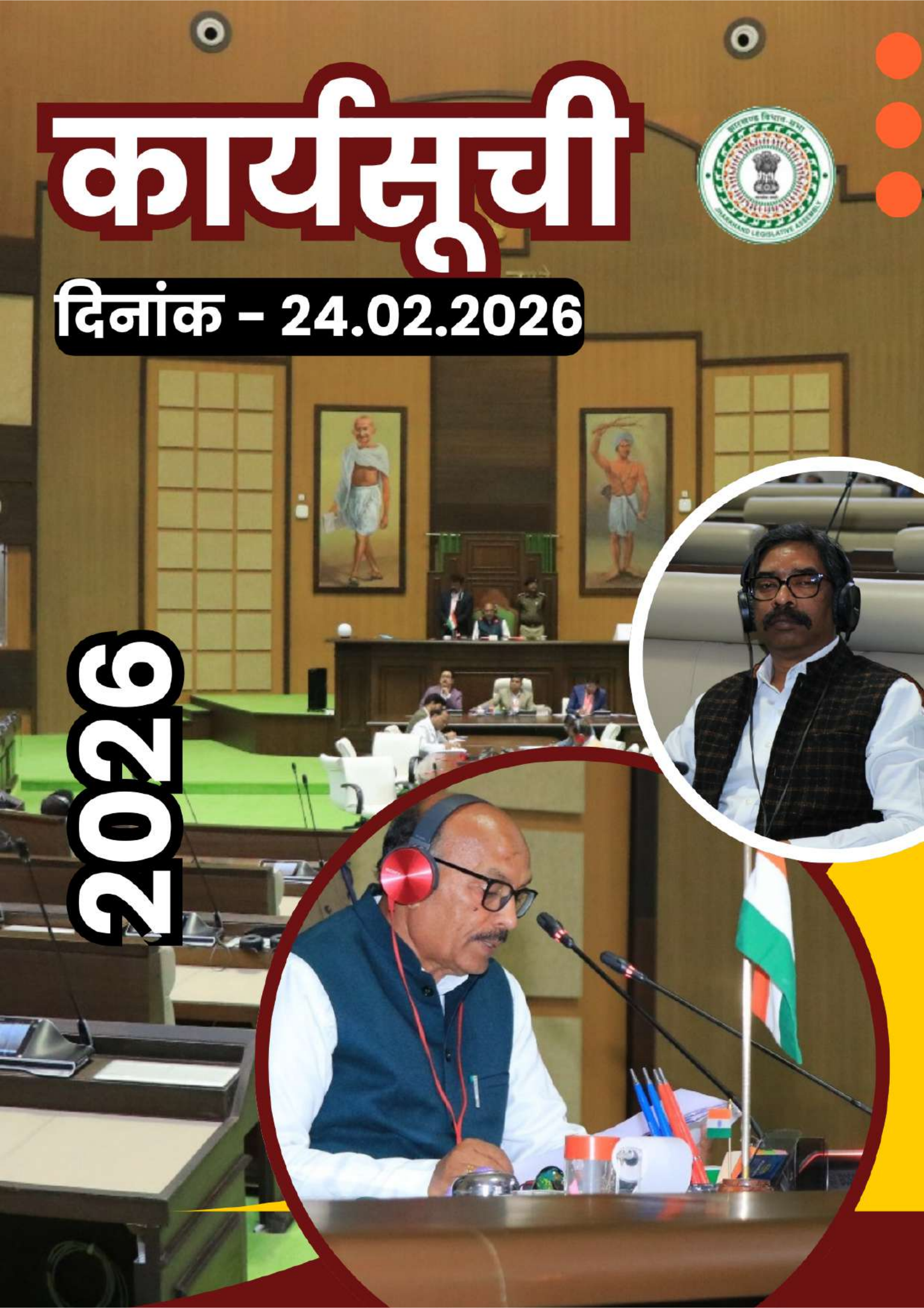

2026

सत्यमेव जयते

षष्टम्

झारखण्ड विधान-सभा

पंचम (बजट) सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, दिनांक 05 फाल्गुन, 1947 (श०) / 24 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-21 (इक्कीस)

(1)	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	...	...	16
(2)	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग	...	...	04
(3)	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	...	...	01
			कुल योग-	21

स्वेटर उपलब्ध कराना ।

53. श्री देवेन्द्र कुंवर--दिनांक 12 फरवरी, 2026 को दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक भास्कर'' की राँची संस्करण में प्रकाशित समाचार शीर्षक ''ठंड बीती.......राज्य में स्कूली बच्चों को अब मिलेगी स्वेटर की राशि'' के संदर्भ में, क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में ठंड का दौर लगभग समाप्ति की ओर है, कई जिलों में पारा 28° से ऊपर पहुँच गया है लेकिन अब जाकर राज्य में स्कूली बच्चों को मिलेगी स्वेटर की राशि जो बेहद आश्चर्यचकित करने वाली प्रक्रिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि 15 जिलों में से पाँच जिले क्रमशः पलामू हजारीबाग, बोकारो, गढ़वा तथा चाईबासा को एक भी पैसे नही मिले जबकि दस (10) जिलों में Partly Payment हुआ यानि किसी को स्वेटर की राशि मिली तो किसी को नहीं, अकेले राजधानी राँची में ही 1.80 लाख बच्चों में से 80 हजार बच्चों को कोई राशि नही मिली जबकि धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, गढ़वा और गुमला समेत कई जिलों में 40 प्रतिशत बच्चों को अभी भी राशि का इंतजार है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित विषय की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकार की प्रणाली को खत्म कर सर्दी आने से पूर्व बच्चों को स्वेटर उपलब्धता सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

योजनाओं का क्रियान्वयन ।

54. श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित स्कूल किट योजना वित्तीय संसाधनों के अभाव में लगभग 10 जिलों में स्थगित है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव गरीब बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा, गढ़वा समेत राज्य के 10 जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों को 6 माह से वेतन भुगतान नहीं होने तथा पोशाक योजना के प्रभावित होने से बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति एवं पठन-पाठन पर प्रतिकूल असर पड़ा है;

(3) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग में निधि के अभाव के कारण 161 शिक्षकों/कर्मचारियों का वेतन विगत 6 माह से लंबित है, जिससे उनके समक्ष गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, साथ ही स्कूलों को मिलने वाली विकास अनुदान राशि के अभाव में हैंडवॉश, साबुन, साफ-सफाई एवं पेयजल की व्यवस्था प्रभावित होने से स्वच्छता पर भी भारी असर पड़ा है, जिसके कारण स्कूली बच्चों के बीमार होने का दर अत्यधिक हो गई है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विगत 6 महीनो से लंबित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन, पोशाक योजना, स्कूल किट योजना तथा विकास अनुदान योजना को अविलम्ब प्रारंभ करते हुए शिक्षक/कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं के हित में जिन कारणों से यह समस्या उत्पन्न हुई है, उन्हें दंडित करते हुए उपरोक्त योजनाओं को अविलंब क्रियान्वित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पारदर्शी व्यवस्था ।

55. डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून में क्षेत्रीय सीमा, जो की पहले 0 से 1 किलोमीटर की सीमा तक, अपेक्षित समूह बच्चे नहीं मिलने पर 1 से 3 किलोमीटर एवं तत्पश्चात 3 से 6 किलोमीटर तक क्षेत्रीय सीमा थी, जिसे सीधा बढ़ाकर 6 किलोमीटर कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि यदि आवेदनों की संख्या आरक्षित सीटों 25 प्रतिशत से अधिक हो, तो नामांकन के लिए कम्प्यूटरकृत लॉटरी प्रणाली का उपयोग किया जाने लगा है, जो कि पहले विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावक के समक्ष की जाती थी;

(3) क्या यह बात सही है कि क्षेत्रीय सीमा को सीधा 6 किलोमीटर तक बढ़ा देने से लॉटरी के माध्यम से नजदीक के बच्चे वंचित रह जाते हैं तथा दूर के बच्चों का नामांकन हो जाता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षा का अधिकार कानून में क्षेत्रीय सीमा को पूर्ववत रखने एवं लॉटरी की प्रक्रिया को पूरे पारदर्शी रूप से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करना ।

56. श्री सरयू राय--क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दामोदर नदी विगत कुछ वर्षों के सतत् नागरिक प्रयास से औद्योगिक प्रदूषण से लगभग मुक्त हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि डीवीसी का चन्द्रपुरा ताप बिजली घर के ऐश पौन्ड विस्तार मे दामोदर नदी का अतिक्रमण किया गया है तथा बोकारो ताप बिजली घर के ऐश पौन्ड में जाने वाला दूषित बहिस्राव पाईपलाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण कोनार नदी मे गिरकर दामोदर नदी को प्रदूषित कर रहा है, परन्तु जिला पर्यावरण समिति एवं झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि टंडवा में कोयला खनन से निकले दूषित बहिस्राव को एनटीपीसी दामोदर नदी में सीधे गिरा रहा है और नदी को प्रदूषित कर रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दामोदर नदी प्रदूषित करने वाली एनटीपीसी एवं डीवीसी के विरूद्ध जल और वायु संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना ।

57. श्री हेमलाल मुर्मू--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड मे बुनियादी शिक्षा (फाउंडेशनल) की स्थिति खराब है, राज्य में निर्धारित उम्र सीमा के 100 मे 38 बच्चे ही प्री प्राईमरी से वर्ग दो तक नामांकन करा रहे हैं और पिछले तीन साल में बुनियादी शिक्षा नामांकन का प्रतिशत घटा है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के लिए सबसे चिन्ताजनक आंकड़े माध्यमिक स्तर पर हैं जो विगत तीन साल के इस स्तर पर सफल नामांकन अनुपात में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, परन्तु नवीं से 12वीं कक्षा तक आते-आते सफल नामांकन अनुपात गिरकर 60.6 प्रतिशत रह जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में विशेषकर संथालपरगना में बुनियादी शिक्षा सुदृढ़ करने, निजी विद्यालयों में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर ऐसे कार्यों में निजी विद्यालयों की सहभागिता सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सुविधा मुहैया कराना ।

58. श्री अरूप चटर्जी--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित प्राथमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों (कक्षा 01-06) जिनमें भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय भी समिलित हैं, में अध्ययनरत विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही ड्रेस/विद्यालय पोशाक, स्कूल किट, पाठय पुस्तक, कॉपी तथा मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित प्राथमिक अल्पसंख्यक एवं भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थियों की इस प्रकार कि असमान व्यवस्था से इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में शैक्षणिक असमानता एवं भेदवाद का प्रभाव पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राथमिक अल्पसंख्यक एवं भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थियों को खण्ड-1 में वर्णित विषय के तर्ज पर सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति ।

59. श्री प्रदीप यादव--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के (i) उच्च विद्यालय बोरा, प्रखण्ड-पोड़ैयाहाट (ii) उच्च विद्यालय, बुढ़ीकुरा प्रखण्ड-गोड्डा (iii) उच्च विद्यालय, पिण्डाराहाट, प्रखण्ड-पोड़ैयाहाट (iv) उच्च विद्यालय, बांझी, प्रखण्ड-पोड़ैयाहाट (v) उच्च विद्यालय, बक्सरा, प्रखण्ड-पोड़ैयाहाट (vi) उच्च विद्यालय गादीझोपा, प्रखण्ड-सरैयाहाट, जिला दुमका में प्रयोगशाला एवं विज्ञान भवन तथा गणित एवं विज्ञान शिक्षकों का घोर अभाव है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त विद्यालयों में समुचित भवन एवं आवश्यक शिक्षकों के अभाव में स्थानीय छात्र-छात्राओं का पलायन हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी विद्यालयों में समुचित प्रयोगशाला, विज्ञान भवन एवं शिक्षकों की कमी को पूरी करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

शिक्षकों का पद सृजन करना ।

60. डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों एवं प्लस टू विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक का पद सृजित नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित विद्यालयों में विशेषज्ञ शारीरिक शिक्षक नहीं होने से छात्र-छात्राओं को खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों से वंचित रहना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित विद्यालयों में विशेषज्ञ शारीरिक शिक्षकों का पद सृजित करते हुए नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था ।

61. श्री राज सिन्हा--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अन्तर्गत करीब 2450 स्कूलों सहित राज्य के लगभग 45 हजार स्कूलों में से 25 प्रतिशत स्कूलों में अबतक नल से जल नहीं पहुँच पाई है तथा उन स्कूलों में निर्माणाधीन शौचालय (विशेषकर महिला एवं बच्चियों के लिए बनी) की स्थिति दयनीय हो गई है तथा 50 प्रतिशत स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण नहीं कराया जा सका है;

(2) क्या यह बात सही है कि धनबाद के करीब 506 स्कूलों सहित राज्य के 13000 से अधिक स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय नहीं होने के कारण दिव्यांग छात्र-छात्राओं को कठिनाईयाँ हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त खण्डों में वर्णित स्कूलों में शौचालय (विशेषकर महिलाएँ, बच्चियों तथा दिव्यांग बच्चों) रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अविलम्ब निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

समान वेतन देना ।

62. श्री कुमार जयमंगल (अनुप सिंह)--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रशिक्षित एवं टेट पास CRP/BRP की नियुक्ति विज्ञापन के माध्यम से वर्ष-2005 में हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग के संकल्प-649/18.05.2025 द्वारा 2011.12 में संविदा पर चयनित रिसोर्स शिक्षकों को स्नातक स्तर पर विशेष सहायक आचार्य का वेतन निर्धारण किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो विज्ञापन के माध्यम से नियुक्त CRP/BRP जो योग्यता में सहायक आचार्य से अधिक हैं तथा 20 वर्षों से कार्यरत हैं इनका वेतनमान इनके समकक्ष करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?

अधिसूचना जारी करना ।

63. <u>डॉ० रामेश्वर उराँव</u>--क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात भी राज्य सरकार ने सुरक्षित वन घोषित करने की अंतिम अधिसूचना अब तक जारी नहीं की है;

(2) क्या यह बात सही है कि वन भूमि के सीमांकन की प्रक्रिया, नक्शों के सत्यापन, गैर वन भूमि का निष्कासन, अधिसूचित किए जाने वाले वन तथा निष्कासित किए गए क्षेत्र के लिए अधिसूचना का अंतिम प्रारूप जारी नहीं हो पाया है;

(3) क्या यह बात सही है कि भूमि राजस्व विभाग एवं विभाग के मध्य समन्वय के अभाव के कारण वन क्षेत्र का अतिक्रमण, वन भूमि की बिक्री और खरीद तथा वन भूमि के अनाधिकृत उपयोग बड़े पैमाने पर हुआ है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यथाशीघ्र सुरक्षित वन क्षेत्र के लिए अंतिम अधिसूचना यथाशीघ्र जारी करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?

दोषियों पर कार्रवाई ।

64. <u>श्री जयराम कुमार महतो</u>--क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रदूषण एक गंभीर समस्या और चुनौती है तथा राज्य के लगभग सभी स्थानों का AQI (Air Quality Index), वायु गुणवत्ता सूचकांक सामान्य सूचकांक 100 से अधिक है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद केवल कागजों की औपचारिकता तक सीमित है तथा राज्य में कई क्रेशर तथा ईंट भट्ठा अवैध रूप से संचालित किये जा रहे हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य में अधिकांश स्टील कंपनियों द्वारा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा निर्देशित मानकों का पूर्णतः पालन नहीं किया जाता है;

(4) क्या यह बात सही है कि दिसम्बर, 2025 में मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट से रामगढ़ के आलोक इंडस्ट्री पर प्रदूषण मामले में जाँच के आदेश उपायुक्त, रामगढ़ को दिए गए थे लेकिन कंपनी द्वारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रदूषण आज भी फैलाया जा रहा है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रदूषण के मामले में दोषियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

संसाधन उपलब्ध कराना ।

65. <u>श्री हेमलाल मुर्मू</u>--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालयों को आवश्यकता अनुरूप संसाधन युक्त बनाने के लिए 2582 करोड़ खर्च करने के लिए जिलावार विद्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है और इसे समय सीमा पर लागू करने के लिए जिला के सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि संथाल परगना के कई जिलों/प्रखण्डों के विद्यालयों में स्वीकृत पदों एवं विद्यार्थियों के संख्या के अनुरूप शिक्षकों को पदस्थापित नहीं किया गया है, अन्य कई विसंगतियाँ व्याप्त है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिलों के सरकारी विद्यालयों को संसाधन युक्त बनाने एवं शिक्षकों को समानुपातिक रूप में पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करना ।

66. श्री प्रदीप प्रसाद--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान-सभा क्षेत्र सहित पूरे झारखण्ड में निजी स्कूलों के द्वारा विभिन्न मदों में फीस की मनमानी लगातार जारी है और प्राईवेट स्कूलों के द्वारा अभिभावकों को केवल एक ही दुकान को चिन्हित करते हुए उनको यूनिफॉर्म/ड्रेस और बुकलिस्ट की पर्ची देते हुए उसी प्राईवेट दुकान से विद्यार्थियों को किताब, कॉपी, जूता-मौजा, स्टेशनरी, स्कूल बैग और यूनिफॉर्म, इत्यादि खरीदने हेतु बाध्य किया जाता है, और हर वर्ष किताबों के पब्लिशर को बदल दिया जाता है, जिससे कमाई का गोरखधंधा बदस्तूर जारी है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस प्रकार के घटनाक्रम को देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्रदान करना अब प्राईवेट स्कूलों के लिए सेवा कार्य न रखकर एक बड़ा व्यापार बन गया है, जिससे पूरा सभ्य समाज प्रभावित हो रहा है और शिक्षा के मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में तत्काल उक्त विसंगतियों को दूर करने हेतु राज्यभर के सभी प्राईवेट स्कूलों की फीस वसूली का एक मानक निर्धारित करते हुए प्राईवेट स्कूलों द्वारा जो किसी खास प्राईवेट दुकान को किताब और यूनिफॉर्म, इत्यादि के खरीद हेतु चिन्हित करने का जो गलत कार्य किया जा रहा है, उसे बंद करवाते हुए उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

शुल्क संरचना को पारदर्शी बनाना ।

67. श्री चन्द्रेव महतो--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा नामांकन के समय विभिन्न प्रकार के शुल्क, वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य मदों के नाम पर अभिभावकों से भारी राशि वसूली जा रही है;

(2) क्या यह बात सरकार के संज्ञान में है कि प्रत्येक वर्ष पाठयक्रम में अनावश्यक बदलाव किया जाता है, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की भावना के विरूद्ध है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शुल्क संरचना को पारदर्शी बनाने तथा छात्रों एवं अभिभावकों को आर्थिक शोषण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

राशि संस्थान के खाते में भेजना ।

68. श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष इंटरमीडियेट कॉलेजों, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसा विद्यालयों को वर्ष में एक बार छात्र संख्या एवं स्लैब के अनुसार अनुदान देती है;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुदान की राशि वित्तीय वर्ष-2018-2019 के पूर्व चेक माध्यम से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा सीधे संस्थाओं के खाते में भेजी जाती थी, जिसे वित्तीय वर्ष-2018-2019 से अनुदान की राशि जिला कोषागार में जिला शिक्षा पदाधिकारी के खाते में भेजी जा रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के खाते में अनुदान की राशि भेजने से स्कूल, इंटर कॉलेजों के शिक्षक कर्मचारियों को सही समय पर अनुदान की राशि नहीं मिल पा रही है और राशि का बंदर बाँट होता है;

(4) क्या यह बात सही है कि दिनांक 27 मार्च, 2020 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने अनुदान की राशि सीधे संस्थाओं के खाते में भेजने का आदेश संचिका पर दिया था जिसका अभी तक अनुपालन नहीं हो रहा है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व की भांति शिक्षक हित में अनुदान की राशि सीधे संस्थाओं के खातें में भेजना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

न्यायसंगत नीति बनाना ।

69. श्री जयराम कुमार महतो--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 1700 पारा शिक्षकों का मानदेय यह कहकर रोक दिया गया है उनके प्रमाण-पत्र फर्जी अथवा अमान्य संस्थानों से निर्गत है;

(2) क्या यह बात सही है कि संबंधित पारा शिक्षक विगत 15-22 वर्षों से अधिक समय से निरंतर सेवा में कार्यरत हैं, उनका प्रमाण-पत्र पूर्व में संबंधित बोर्ड/संस्था द्वारा सत्यापित किया जा चुका है तथा वे विभागीय मूल्यांकन/प्रशिक्षण एवं सेवा-सम्पुष्टि की प्रक्रिया से भी गुजर चुके हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि जब नियमावली/अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 14 अप्रैल, 2022 के तहत प्रमाण-पत्र सत्यापन एवं सेवा-सम्पुष्टि के उपरांत उन्हें सेवा में बनाए रखा गया था;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे पारा शिक्षकों के लिए कोई स्पष्ट, एकरूप एवं न्यायसंगत नीति लाने तथा ऐसे शिक्षकों के मानदेय रोकने का कोई कानूनी आधार बतलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

बहाली प्रक्रिया पूरी करना ।

70. श्रीमती पूर्णिमा साहू--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने सहायक आचार्य के 11000 पदों के लिए प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 (कक्षा 1 से 5) ली थी;

(2) क्या यह बात सही है कि इसमें एक साथ परिणाम न करके समय-समय पर परिणाम जारी कर पदों को भरा जा रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि रिजल्ट मे बार-बार संशोधन किया जा रहा है और अब तक कट ऑफ मार्क्स जारी नही की गयी है;

(4) क्या यह बात सही है कि कोटिवार कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, साथ ही अब तक कितने पदों पर कोटिवार बहाली हुई है इसकी भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गयी है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कबतक कोटिवार कट ऑफ मार्क्स जारी किए जाने और अब तक कोटिवार कितने रिक्त पदों पर बहाली हो चुकी है तथा बहाली प्रक्रिया कब तक पूरी होगी से संबंधित जानकारी देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

गाँवों का सीमांकन ।

71. डॉ० रामेश्वर उराँव--क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के बोकारो, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, मेदिनीनगर एवं सिमडेगा जिला के वन भूमि पर 3578 गाँव अवस्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उसमें 747 गाँव 90598.62 हेक्टर भूमि क्षेत्र में अवस्थित है, जिसका अभी तक सीमांकन नहीं हो सका है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित में उक्त गाँवों का सीमांकन कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पदाधिकारियों को नियुक्त करना ।

72. श्री नवीन जयसवाल--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अधिविध परिषद अधिनियम-2002 एवं संशोधित अधिनियम-2006 के धारा 24 में जैक में वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं एकेडेमिक पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है एवं उक्त पदों की नियुक्ति कुछ अहर्ता के अनुरूप पूर्णकालिक होता है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में झारखण्ड अधिविध परिषद में कोई भी परीक्षा नियंत्रक के कार्य पद में नहीं है, साथ ही पिछले 8 वर्षों से परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त है;

(3) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद में उल्लेखित नियमों के विपरीत वित्त पदाधिकारी एवं एकेडेमिक पदाधिकारी संविदा पर कार्य कर रहे हैं;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड अधिविद्य परिषद अधिनियम के तहत वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं एकेडेमिक पदाधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

रिक्त पदों को भरना ।

73. श्री राजेश कच्छप--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में काफी उतार चढ़ाव के पश्चात कक्षा VI से VII तक के लिए सहायक आचार्य के 26001 पद पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हुई;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित पदों में से कुल 15409 से 16653 पद रिक्त रह गई जिसमें पारा शिक्षक श्रेणी के सर्वाधिक पद हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि विज्ञान विषय की 5008 पद में से 3325 पद तथा गणित विषय की 4991 पद से 3932 पद रिक्त रह गई है;

(4) क्या यह बात सही है कि आरक्षित श्रेणी के 7400 पदों में से 5838 पद जबकि गैर पारा में 3388 पद रिक्त रह गये;

(5) क्या यह बात सही है कि कुल मिलाकर Reserved Category के 10 हजार से अधिक पद रिक्त रह गई है जो चिंता का विषय है;

(6) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिक्त पदों को भरने तथा आरक्षित पदों को अक्षुण्ण रखते हुए नियुक्ति करने तथा किन कारणों से इतने अधिक संख्या में सीटें रिक्त रह गई है का उच्चस्तरीय जाँच करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

रांँची :
दिनांक 24 फरवरी, 2026 (ई०) ।

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रांँची ।

झा०रा०मु० रांँची (एल०ए०) 61--250--21-2-2026 ।

सत्यमेव जयते

षष्टम्

झारखण्ड विधान-सभा

पंचम (बजट) सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, दिनांक 05 फाल्गुन, 1947 (श०) / 24 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-74 (चौहत्तर)

(1)	खान एवं भूतत्व विभाग	...	...	03
(2)	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	...	...	24
(3)	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	...	...	22
(4)	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	...	...	06
(5)	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग	...	...	10
(6)	उद्योग विभाग	...	...	06
(7)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इ-गवर्नेंस विभाग	...	...	03
			कुल योग-	74

बालू उपलब्ध कराना ।

*133. श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018 से पहले बालू घाट बिना किसी कैटेगरी के लघु खनिज की श्रेणी में था;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेसा कानून 1996 के धारा 4(ट), (ठ) के प्रावधानों के तहत लघु खनिजों का खनन पट्टा या नीलामी का कार्य सुझाव और अनुमति से ही किया जाना है;

(3) क्या यह बात सही है कि खनन विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के बालू घाटों का नीलामी के शर्त में बालू घाटों के अनुमानित भण्डार के कीमत का 50 प्रतिशत सकल बिक्री (टर्नओवर) का शर्त ग्राम सभा के बिना परामर्श और अनुमति के रखना अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं के अधिकारों के विरूद्ध है;

(4) क्या यह बात सही है कि खनन विभाग द्वारा सिमडेगा जिला समेत कई जिलों में बालू घाटों का नीलामी का नोटिस के बाद भी नीलामी का एक यह शर्त कि बालू घाटों के अनुमानित भण्डार के कीमत का 50 प्रतिशत सकल (टर्न ओवर) जो अत्याधिक होने के कारण कई बालू घाटों का नीलामी नहीं हो पाया है जिससे जरूरत मंद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और राजस्व की भी हानि हो रही है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बालू घाटों का कैटेगरी को खत्म कर अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को खनन के क्षेत्र में अधिकार देने के साथ लोगों को सरलता पूर्वक बालू देकर राहत देना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

इनडोर स्टेडियम का निर्माण ।

*134. श्री उदय शंकर सिंह--क्या मंत्री, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारठ विधान-सभा क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडोर स्टेडियम का निर्माण अबतक नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि इंडोर स्टेडियम का निर्माण होने से बैडमिन्टन, बास्केट बॉल, बॉलीबॉल, कुश्ती आदि खेलों की सुविधा होगी, जिससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण मिल सकेगा तथा भविष्य में वे झारखण्ड का नाम देश-विदेश में रोशन कर सकेंगे;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सारठ विधान-सभा क्षेत्र के सारठ प्रखण्ड में इनडोर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

समुचित विकास करना ।

*135. श्री नागेन्द्र महतो--क्या मंत्री, पर्यटन कला-संस्कृति खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बगोदर विधान-सभा क्षेत्र में लोगों के आस्था का केन्द्र बना सोना पहाड़ी में सालों भर भारी संख्या में लोग अपनी मन्नत माँगने, मन्नत पूरा होने पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते है, जबकि सोना पहाड़ी को पर्यटन का दर्जा भी प्राप्त है, मगर अभी तक इसका अपेक्षित विकास नही होने के कारण लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि सोना पहाड़ी पर्यटक स्थल का संचालन निजी लोगों द्वारा किए जाने के कारण सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस पर्यटक स्थल का समुचित विकास करने एवं इसका संचालन सरकारी स्तर से करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

राशि वृद्धि करना ।

*136. श्री रामचन्द्र सिंह--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ईटरमीडिएट कॉलेजों, उच्च विद्यालयों, प्रस्वीकृत संस्कृति विद्यालयों एवं मदरसा विद्यालयों को वर्ष में एक बार छात्र संख्या एवं स्लैब के अनुसार अनुदान देती है;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2015 के बाद अभी तक अनुदान राशि में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है जिसके कारण शिक्षक एवं कर्मियों को इस मंहगाई में जीवन यापन में काफी कठिनाई हो रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-(1) मे वर्णित संस्थान ज्यादातर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों मे है जहाँ लगभग 3 लाख से ज्यादा कमजोर एवं गरीब वर्ग के बच्चे अध्ययनरत है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-(1) में वर्णित संस्थानों के शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों पर इस मंहगाई के दौर मे सहानुभूति रखते हुए अनुदान राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

राजस्व वृद्धि करना ।

*137. श्री सुरेश पासवान--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि देवघर जिला अन्तर्गत देवघर शहर में होटल नटराज बिहार अवस्थित है जिसमें भारी संख्या में पर्यटक ठहरते है जिससे राजस्व की प्राप्ति होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय में भवन मरम्मति के अभाव में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिस कारण भारी संख्या में पर्यटक यहाँ ठहरना नहीं चाहते है जिससे राजस्व की हानि हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार होटल नटराज विहार का मरम्मति कराकर राजस्व में वृद्धि कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण ।

*138. श्री संजय कुमार सिंह यादव--क्या मंत्री, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद, एवं युवा कार्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष- 2018-2019 में खेलकूद को बढ़ावा देने एवं स्थानीय स्तर के खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रत्येक प्रखण्ड में एक स्टेडियम निर्माण कराने की सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के हुसैनाबाद प्रखण्ड में उक्त निर्णय के तहत अब तक एक भी स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को काफी असुविधा होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष-2025-2026 में डी०पी०आर० तैयार करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर हुसैनाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत-मधुवरी के ग्राम-डेहरी में स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

छात्राओं को लाभ देना ।

*139. श्री अमित कुमार यादव--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी एवं नियमित रूप से अनुदानित उच्च विद्यालयों एवं इंटरमीडियट महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं को सवित्री बाई फूले बालिका समृद्धि योजना का लाभ प्रत्येक वर्ष दिया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस वर्ष राज्य के अनुदानित इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसा विद्यालयों में अध्ययनरत् हजारों छात्राओं को योजना के लाभ से वंचित किया जा रहा है, साथ ही Online आवेदन समर्पित करने हेतु पोर्टल भी नहीं खुल रहा है, जिससे हजारों गरीब अनु०जाति/ जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की छात्राएं के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में इस वर्ष भी खण्ड-(1) में वर्णित योजना का लाभ छात्राओं को देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करना ।

*140. श्री राजेश कच्छप--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि Dy Director RUSA के पद पर वर्ष 2019 में तथा पुनः उसी पद पर वर्ष 2025 में एक ही अभ्यर्थी को नियुक्ति Rules-Regulations के विरूद्ध कर दी गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-(1) में वर्णित पुनः नियुक्ति हेतु संबंधित विश्व विद्यालय के Vice Chancellor का Consent अति आवश्यक है जिसका अनुपालन नहीं किया गया है जो Executive Rulings को सीधे-सीधे चुनौती देने का दुःस्साहसिक कृत्य है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-(1) में वर्णित Dy Director की योग्यता उक्त पद को धारित करने की नहीं है नियुक्त Dy Director ग्रेड-पे रु० 6000/- में संसीमित है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उच्चस्तरीय जाँच कर नियमों का अनुपालन करने तथा मामले में संलिप्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

स्थायी नियुक्ति करना ।

*141. श्री भूषण बड़ा--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि JAC Act 2002 एवं संशोधित अधिनियम 2006 के धारा 24 में वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं एकेडेमिक पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-(1) में वर्णित पदों पर नियुक्ति पूर्णकालिक होता है और Act में कुछ अहर्ताएँ है जिसके अनुरूप ही नियुक्ति की जानी है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-(2) में वर्णित JAC में प्रत्येक वर्ष 20 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होते है और परीक्षा नियंत्रक का पद पिछले 8 वर्षों से रिक्त है जिसपर JAC बोर्ड ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है;

(4) क्या यह बात सही है कि JAC अधिनियम में उल्लेखित नियमों के विपरीत 11 माह के लिए संविदा पर नियुक्त वित्त पदाधिकारी एकेडेमिक पदाधिकारी एवं अन्य कर्मीगण पद पर बने हुए हैं और वेतन ले रहे हैं;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधिनियम के अनुसार इन पदों पर स्थायी नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण ।

*142. श्री मंगल कालिन्दी--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जुगसलाई विधान-सभा क्षेत्र के बोड़ाम प्रखण्ड अन्तर्गत भुला पंचायत मंडप के सामने कस्तूरबा गाँधी विद्यालय प्रस्तावित है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-(1) में वर्णित विद्यालय का निर्माण कार्य विगत् 03 वर्ष से बंद कर दिया गया है, जिस कारण क्षेत्र की छात्राओं का भविष्य अधर में है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रहित में खण्ड-(01) में वर्णित कस्तूरबा गाँधी विद्यालय का निर्माण यथाशीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्क्रमित करना ।

*143. श्री प्रदीप यादव--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अंतर्गत (i) उत्क्रमित मध्य विद्यालय दामा, प्रखण्ड-गोड्डा (ii) उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कस्तुरी, प्रखण्ड-पोड़ैयाहाट (iii) उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लीलादह, प्रखण्ड-पोड़ैयाहाट एवं दुमका जिला (iv) उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोराजोर प्रखण्ड-सरैयाहाट सभी को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करते हुए+2 विद्यालय में उत्क्रमण करने हेतु अनुशंसा दोनों जिलों DEO द्वारा विभाग को प्रेषित की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चारों विद्यालयों के स्थानीय विषम भौगोलिक स्थिति के कारण छात्र-छात्राओं को माध्यमिक शिक्षण प्राप्ति हेतु काफी दूरी तय कर उच्च विद्यालय जाना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा एवं दुमका DEO के अनुशंसा के आलोक में इसी वित्तीय वर्ष में +2 विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

मुआवजा राशि बढ़ाना ।

*144. श्री मथुरा प्रसाद महतो--क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत टुंडी विधान-सभा क्षेत्र के सभी प्रखण्ड जंगली हाथियों के आतंक से प्रभावित है तथा आये दिन जंगली हाथियों द्वारा घरों को क्षतिग्रस्त करना फसल/अनाज की बर्बादी और बेगुनाह ग्रामीणों की जान लेने की घटना में काफी वृद्धि हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि जंगली हाथियों द्वारा मकान क्षतिग्रस्त करना, फसल/अनाज की बर्बादी, जान-माल की क्षति एवं हाथियों द्वारा ग्रामीणों का जान लेना आदि जैसे घटनाओं में वन विभाग द्वारा नाममात्र मुआवजा राशि दिया जाता है, जिससे हाथियों से प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण ठगा हुआ महसूस करते है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हाथियों द्वारा क्षतिपूर्ति निर्धारण मुआवजा राशि में बढ़ोत्तरी करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

योजना लागू करना ।

*145. श्रीमती श्वेता सिंह--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अंतर्गत BIADA औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) इकाईयाँ वित्तीय संकट, कार्यशील पूंजी की कमी, उच्च ब्याज दर तथा बाजार में मांग की गिरावट के कारण बंद हो चुकी है अथवा बंद होने की स्थिति में है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में बोकारो BIADA औद्योगिक क्षेत्र की बंद/बीमार MSME इकाइयों के पुनः उद्धार हेतु कोई विशेष ऋण सब्सिडी, ब्याज अनुदान अथवा पुनर्जीवन पैकेज लागू नही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो BIADA औद्योगिक क्षेत्र की MSME इकाइयों के पुनः संचालन, स्थानीय रोजगार के संरक्षण, तथा औद्योगिक गतिविधियों को पुनः गति देने के उद्देश्य से ऋण सब्सिडी/ब्याज अनुदान आधारित विशेष पुनः उद्धार योजना लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सुविधा-देना ।

*146. श्री नवीन जायसवाल--क्या मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में वर्ष 2016 में झारखण्ड सरकार के द्वारा स्टार्ट अप (Subsequent Policies) नीति लागू की गई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि नीति के तहत् कुल 107 स्टार्ट अपों का चयन किया गया था और साथ ही साथ सभी स्टार्ट अपों को प्रयोगात्मक नमूना एवं मार्केटिंग के एवज में 20 लाख राशि देने का प्रावधान किया था;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में चयनीत स्टार्ट अपों को प्रयोगात्मक नमूना एवं मार्केटिंग के एवज में मिलने वाली राशि, अभी तक नहीं मिली है;

(4) क्या यह बात सही है कि पूर्व के स्टार्ट अप नीति को रद्द कर वर्ष 2023 में नई स्टार्ट अप नीति बनायी गयी है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्टार्ट अप नीति के तहत् चयनीत स्टार्ट अपों को प्रयोगात्मक नमूना एवं मार्केटिंग राशि के साथ अन्य सुविधाएँ देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

गर्ल्स हाई स्कूल खोलना ।

*147. मो० ताजुद्दीन--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिले के उधवा प्रखण्ड में बच्चियों के शिक्षा के लिए कोई भी गर्ल्स हाई स्कूल नही है;

(2) क्या यह बात सही है कि गर्ल्स हाई स्कूल नहीं होने से बच्चियों को पढ़ाई करने के लिए कई किलोमीटर दूर राजमहल प्रखण्ड आना-जाना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बच्चियों के शिक्षा के लिए साहेबगंज के अधवा प्रखण्ड मे गर्ल्स हाई स्कूल खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

विकसित करना ।

*148. श्री उदय शंकर सिंह--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के पालोजोरी क्षेत्र अंतर्गत बरजोरी, सिमलगढ़ा व कसरायडीह पंचायत के विभिन्न मौजा में 400 एकड़ भू-भाग पर इंडस्ट्रियल हब बनाये जाने के उद्देश्य से जियाडा के अधिकारियों एवं अंचलाधिकारी, सारठ द्वारा भूमि का स्थल निरीक्षण मई-2025 में स्थल निरीक्षण किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए 2025-2026 के बजट में राशि का प्रावधान कर दिया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-(1) के वर्णित क्षेत्र में रेल, सड़क कनेक्टिविटी के साथ-साथ कोयला और पानी की भी उपलब्धता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-(1) में वर्णित भू-भाग को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पढ़ाई की व्यवस्था करना ।

*149. श्री प्रकाश राम--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिले में उच्च विद्यालय-41 तथा इन्टरमिडिएट+2 विद्यालयों-52 यानी कुल संख्या 93 है;

(2) क्या यह बात सही है कि 2025 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या विद्यालयों में 10707 तथा +2 विद्यालयों में 6987 जो करीब 93.5 प्रतिशत है;

(3) क्या यह बात सही है कि 12वीं कक्षा के बाद उत्तीर्ण छात्रों को BBA, BCA वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वोकेशनल कोर्स, तथा BBA, BCA आदि की पढ़ाई हेतु व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

जाँच कराना ।

*150. श्री रोशन लाल चौधरी--क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के अंतर्गत बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखण्ड क्षेत्र में खनन कार्य कर रही NTPC Coal mines परियोजनाओं के MDO कम्पनियों, ट्रांसपोर्ट कम्पनियों एवं बनादाग रेलवे रैक/साइडिंग में प्रदूषण मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है साथ ही सभी जगह कंपनियों को खमियों के बाद भी EC, CTE और CTO सशर्त प्रदान की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कंपनियों को खनन कार्य हेतु EC, CTE और CTO सशर्त प्रदान किया गया है लेकिन कंपनियां शर्तों को बिना पूरा किये खनन कार्य कर रही है, जिस कारण ट्रांसपोर्ट और रेलवे साइडींग से कृषि भूमि को भारी नुकसान हो रहा है तथा क्षेत्रीय अधिकारी का कोई नियमित और औचक निरीक्षण भी नहीं हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखण्ड क्षेत्र में खनन कार्य कर रही NTPC Coal mines परियोजनाओं के MDO कम्पनियों, ट्रांसपोर्ट कम्पनियों एवं बनादाग रेलवे रैक में प्रदूषण मापदंडों का अनुपालन नहीं करने एवं कम्पनियों को EC, CTE और CTO के शर्तों के उल्लंघन की जाँच उच्चस्तरीय टीम गठित कर करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

आधारभूत संरचना का विकास ।

*151. श्री नागेन्द्र महतो--क्या मंत्री, पर्यटन कला-संस्कृति खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अन्य प्रदेशों में वैसे प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों के पोषण संवर्द्धन की उचित व्यवस्था, यथा हर जिले, प्रखंड एवं पंचायत में खेल स्टेडियम का निर्माण करना, कोच की समुचित व्यवस्था करना एवं खिलाड़ियों का अनुदान सहित प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकारों द्वारा की जाती है, जिसकी घोर कमी झारखण्ड प्रदेश में दिखाई पड़ती है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बगोदार विधानसभा क्षेत्र सहित सभी विधान-सभा क्षेत्रों में खेल संबंधी आधारभूत संरचना का विकास अन्य प्रदेशों की भांति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रशिक्षण केन्द्र खोलना ।

*152. श्री चन्द्रदेव महतो--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के शिल्पकार परंम्परागत पेशे से विमुख होकर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे है;

(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड माटी कला बोर्ड का कार्यकाल वर्ष 2020 में समाप्त हो गया है और आज तक पुनर्गठन की दिशा मे वर्तमान सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार माटी कला बोर्ड का पुनर्गठन सहित धनबाद जिला के शिल्पकारों के आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

भवनों का निर्माण ।

*153. श्री दशरथ गागराई--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत खूंटपानी प्रखण्ड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पासेया, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बासाकुटी, उत्क्रमित प्राथमिक सिंगीजारी, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जोगीदारू, प्राथमिक विद्यालय डोम्बरा में विद्यालय भवन अति जर्जर अवस्था मे है;

(2) क्या यह बात सही है कि इन जर्जर भवनों में शिक्षण कार्य कराना सुरक्षित नहीं है;

(3) क्या यह बात सही है कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इन विद्यालयों को ध्वस्त कर नये भवनों का निर्माण आवश्यक है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरवर्णित विद्यालयों के लिए नये भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बहाली करना ।

*154. मो० ताजुद्दीन--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की काफी कमी है;

(2) क्या यह बात सही है कि विषयवार शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालयों में बच्चो का पठन-पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिक्षकों की बहाली करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पार्क निर्माण कराना ।

*155. श्री रामचन्द्र सिंह--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत नेतरहाट अत्यंत ही रमणीय एवं पर्यटक स्थल है, जिसे झारखण्ड का पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है जहां सालों भर हजारों की संख्या में राज्य एवं राज्य के बाहर से पर्यटकों का आवागमन बना रहता है;

(2) क्या यह बात सही है कि यदि वर्त्तमान में नेतरहाट में पर्यटकों के लिए मूलतः सनराईज एवं सनसेट प्वाईंट ही मुख्य आकर्षण का केन्द्र है;

(3) क्या यह बात सही है कि नेतरहाट में जमशेदपुर में अविस्थत जुबली पार्क/जुबली एम्युजमेंट वाटर पार्क के तर्ज पर पार्क बनाया जाय तो पर्यटकों का झुकाव इस क्षेत्र की ओर बढ़ेगा साथ ही सरकार को अतिरिक्त राजस्व एवं स्थानीय लोगों के बीच रोजगार को बढ़ावा मिलेगा;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमशेदपुर में अवस्थित जुबली पार्क/ जुबली एम्युजमेंट वाटर पार्क के तर्ज पर नेतरहाट में भी पार्क निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पदस्थापन करना ।

*156. श्री धन्नजय सोरेन--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला का बोरियो विधान-सभा क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसके चारों प्रखण्डों माण्डरो, बोरियो, तालझारी एवं बोआरीजोर के जितने भी प्राथमिक विद्यालय एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय है उनके शिक्षकों की घोर कमी है;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षकों की कमी होने के कारण सुदूर ग्रामीण स्कूलों में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड-(1) में वर्णित चारों प्रखण्डों के स्कूलों में शिक्षकों का पदस्थापन करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

आकर्षक स्थल बनाना ।

*157. श्री जगत माझी--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोईलकेरा प्रखण्ड अन्तर्गत समीज आश्रम को एक प्रमुख धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि कारो और कोयल नदियों के संगम पर स्थित उक्त आश्रम स्थल का समुचित विकास अबतक नहीं हो पाया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इको टूरिज्म के तहत् उक्त आश्रम स्थल के साथ-साथ निकटस्थ पुरानी इमारतों का नवीनकरण, ट्री-हाऊस और फिशिंग पॉइंट जैसे समुचित विकास कार्य को नियत समय में कराकर सैलानियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण स्थल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

STPI की स्थापना ।

*158. श्रीमती श्वेता सिंह--क्या मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी ई-गवेंनेन्स विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो में STPI स्थापना हेतु भूमि हस्तांतरण, भारत सरकार के साथ एकरारनामा तथा सहायता अनुदान की सभी औपचारिकताएँ पहले ही पूरी की जा चुकी है, जबकि सरकार यह नीति अपनाती रही है कि राँची, देवघर, धनबाद एवं जमशेदपुर में स्थापित STPI केन्द्रों के पूर्ण उपयोग के उपरांत ही नए STPI की स्थापना की जाएगी;

(2) क्या यह बात सही है कि बोकारो एक प्रमुख औद्योगिक नगर होने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्ट-प और युवाओं के रोजगार एवं निवेश के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है;

(3) यदि खण्ड-1 और 2 के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि (क)- क्या बोकारो में STPI स्थापना हेतु चरणबद्ध योजना पर विचार किया जा रहा है ताकि केन्द्र का लाभ युवाओं और उद्योगों तक शीघ्र पहुँच सके; (ख)- क्या सरकार इसके लिए कोई संभव समय-सीमा निर्धारित करना चाहती है, ताकि बोकारो में STPI स्थापना प्रक्रिया अनिश्चितकाल के लिए लंबित न रहे, यदि हाँ तो कृपया विवरण दिया जाए, नहीं, तो इसके कारण स्पस्ट किए जाएँ ?

संसाधनों का निर्माण ।

*159. श्री जिगा सुसारन होरो--क्या मंत्री, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद, एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गुमला जिला के बसिया प्रखण्ड अन्तर्गत बाघमुण्डा पर्यटन स्थल है जहाँ सालों भर स्थानीय एवं बाहरी पर्यटकों का आवागमन बना रहता है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित पर्यटन स्थल में पर्यटकीय सुविधाओं एवं सुरक्षा की घोर कमी है जैसे-सीढ़ियों में रैलिंग, बैठने हेतु शेड, डेन्जर जोन एरिया में रैलिंग आदि नही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाघमुण्डा पर्यटन स्थल को विकसित करने तथा उक्त संसाधनों का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

नौकरी या मुआवजा देना ।

*160. श्री अमित कुमार--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हिंडलको इंडस्ट्रीज का मूरी वर्क्स, राँची में दिनांक 19 अप्रैल, 2019 को रेड मड पौंड धसने से बड़ी दुर्घटना हुई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दुर्घटना में कई व्यक्ति सहित कई वाहन दब गये थे और 35 से 40 एकड़ जमीन मे रेड मड फैल गया था जिससे उक्त जमीन में आज भी खेती नही होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच करवाते हुए दोषियों को दंडित करने और बंजर हुए भू-धारकों को जमीन के बदले नौकरी या वार्षिक मुआवजा देने की विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

बढ़ावा देना ।

*161. श्री जनार्दन पासवान--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योग को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड द्वारा MSME मंत्रालय की SFURTI योजना कार्यान्वित है;

(2) क्या यह बात सही है कि इसके तहत् चतरा जिला में उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लगभग 1682 जिसमें MICRO-1608, Small-70 एवं Medium-04 ईच्छूक उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है;

(3) क्या यह बात सही है कि जिला मे MSME क्षेत्र में संसाधन आधारित एवं माँग आधारित में लघु उद्योग लगाने की असीम संभावना है जिसमें संसाधन आधारित अन्तर्गत Mineral, Agreeculture तथा माँग आधारित में GPP products को बढ़ावा दिया जा सकता है;

(4) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त सशक्त संभावना के बावजुद चतरा जिला मे एक भी Industrial Area विकसित नहीं की गई है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चतरा जिला मे Industrial Area विकसित करने एवं उद्योग को बढ़ावा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो ?

विश्रामगृह का निर्माण ।

*162. श्री विकास कुमार मुण्डा--क्या मंत्री, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तमाड़ स्थित दिवड़ी मंदिर राज्य के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है;

(2) क्या यह बात सही है कि बुण्डू प्रखण्ड स्थित दशम फॉल राज्य के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थलों में सैकड़ों श्रद्धालु एवं पर्यटक प्रतिदिन पूजा हेतु आते है परंतु वहाँ कोई सरकारी विश्राम गृह नहीं है;

(4) यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थलों को देखते हुए हमारे क्षेत्र के उपयुक्त स्थान पर एक विश्रामगृह/अतिथिशाला का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करना ।

**163. श्री प्रकाश राम--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राँची जिले में स्थित मैक्लुस्कीगंज तेजी से एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज रेलवे क्रांसिंग पर ओवरब्रीज नहीं होने के कारण घंटों गेट बंद रहता है;

(3) क्या यह बात सही है कि घंटों गेट बंद रहने के कारण आम आदमी के साथ-साथ पर्यटकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रेलवे से ओवरब्रीज बनवाने के लिए पत्राचार एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नोट-*163 पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के पत्रांक-281, दिनांक 16 फरवरी, 2026 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को हस्तान्तरित ।

विश्वविद्यालय की स्थापना ।

*164. श्री विकास कुमार मुण्डा--क्या मंत्री, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में कला एवं संस्कृति हेतु एक भी विश्वविद्यालय क्रियाशील नही है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य में कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

भवन का निर्माण ।

*165. श्री मथुरा प्रसाद महतो--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि डिग्री कॉलेज माण्डू को राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी गई है तथा जिला प्रशासन के द्वारा भूमि भी उपलब्ध करायी गई है, परन्तु आज तक भवन निर्माण की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, जिसके अभाव में पठन-पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में डिग्री महाविद्यालय माण्डू, जिला-रामगढ़ का भवन निर्माण कार्य करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नेटवर्क का विस्तार ।

*166. डॉ० लुईस मरांडी--क्या मंत्री, प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार की कई एक महात्वाकाँक्षी योजनाएँ ऑनलाईन व्यवस्था पर आधारित है;

(2) क्या यह बात सही है कि राशन, पेंशन, छात्रावृत्ति, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के साथ-साथ और भी अनेकों जन उपयोगी योजनाओं का आधार आज के आधुनिक युग के मोबाईल नेटवर्क पर आधारित है;

(3) क्या यह बात सही है कि संताल परगना के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विशेष कर जामा प्रखंड के ढोढ़ली और थानपुर पंचायत तथा रामगढ़ प्रखंड के छोटी रणबहियार, सिंदुरिया अमड़ापहाड़ी एवं बरमसिया पंचायत में सरकार की योजनाएँ मोबाईल नेटवर्क के अभाव में प्रभावित हो रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित स्थानों पर मोबाईल नेटवर्क के विस्तार का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो ?

स्टेडियम का जीर्णोद्धार ।

*167. श्री सुखराम उराँव--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर विधान-सभा क्षेत्र में पोड़ाहाट स्टेडियम है, जो जर्जर अवस्था मे है;

(2) क्या यह बात सही है कि पोड़ाहाट स्टेडियम जर्जर होने के साथ-साथ वहाँ शौचालय, चेंजिंग रूम तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, जिस कारण खिलाड़ियों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खिलाड़ियों के मनोबल को बनाये रखने तथा खेल को प्राथमिकता देते हुए पोड़ाहाट स्टेडियम के जीर्णोद्धार तथा मूलभूत सुविध ााओं की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

समिति गठित करना ।

*168. श्री रोशन लाल चौधरी--क्या मंत्री, खान एवं भू-तत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के अंतर्गत बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखंड क्षेत्र में खनन कार्य कर रही NTPC कोल माइंस, CCL कोल माइंस, JSW कोल माइंस, अडानी तथा NMDC कोल माइंस परियोजनाओं को खनन पट्टा 17-18 अनिवार्य शर्तों के अनुपालन की शर्त पर निर्गत किया गया है साथ ही परियोजनाओं/ कंपनियों द्वारा उक्त शर्तों का आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त कंपनियों द्वारा नियुक्त MDO कंपनियों के माध्यम से खनन कार्य किया जा रहा है, जिसमें भू-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, स्थानीय लोगों को नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण के मानक, पर्यावरणीय जनसुनवाई, सामाजिक प्रभाव आकलन जैसी खनन पट्टा में निर्धारित अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य संचालित किया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखण्ड क्षेत्र सहित राज्य में खनन कार्य कर रहे कंपनियों एवं उनके MDO के विरूद्ध खनन पट्टा की शर्तों की प्रति उपलब्ध कराते हुए, उक्त शर्तों के उल्लंघन को उच्चस्तरीय जाँच/समीक्षा हेतु समिति गठित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कुशल मजदूरी देना ।

*169. श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कस्तुरबा विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है जहाँ तीन पहर का नास्ता, भोजन दिया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि कस्तुरबा विद्यालयों में नास्ता भोजन बनाने के लिए कुक रखा गया है, जिन्हें न्युनतम मजदूरी दर से भी बहुत कम मजदूरी दिया जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कस्तुरबा विद्यालयों में खाना बनाने वाले कुशल मजदूरों को सम्मानजनक कुशल मजदूरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो ?

पर्यटन स्थल का विकास ।

*170. श्री जनार्दन पासवान--क्या मंत्री, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के प्रखण्ड हन्टरगंज स्थित कौलेश्वरी पर्वत जो हिन्दु, जैन एवं बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण संगम स्थल है जो झारखण्ड के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में एक है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस धार्मिक पर्यटन स्थल पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते है परन्तु राज्य सरकार के पास विदेशी पर्यटकों का वर्षवार कोई अधिकारिक आकड़ा नही है और ना ही संधरित किया जा रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि इस स्थल पर विदेशी एवं देशी पर्यटकों के लिये कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(4) क्या यह बात सही है कि कौलेश्वरी पर्वत पर पर्यटक विकास के उद्देश्य से रोपवे निर्माण का डी०पी०आर० तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभाग के पास लंबित है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कौलेश्वरी पर्वत पर शीघ्र रोप वे निर्माण एवं इसे अन्तराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?

विकसित करना ।

*171. श्री सुखराम उरॉव--क्या मंत्री, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत चक्रधरपुर विधान-सभा क्षेत्र के बन्दगॉव प्रखण्ड के कंसरा गाँव का ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रतिवर्ष कंसरा मंदिर प्रांगण में महोत्सव/मेला का आयोजन किया जाता है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल में पर्यटन विभाग की तरफ से अब तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित कंसरा मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करना ।

*172. श्री उमाकांत रजक--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के चन्दनकियारी में वर्ष-2018 में 10 करोड़ रुपये की प्राक्कलन से स्टेडियम निर्माण हेतु मे० शिव नरेश कम्पनी को कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात भी आज तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में आवंटित प्राक्कलित राशि (डी०पी०आर०) को पुनरीक्षित (REVISE) किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त खण्डों के आलोक में विभाग द्वारा संवेदक को 90 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 7 वर्षों से लंबित कार्य को पूर्ण करने के लिए जाँच कमिटि बना कर कम्पनी एवं विभाग के जवाबदेही पदाधिकारी एवं अभियंता पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कॉलेज स्थापित करना ।

*173. श्री संजय कुमार सिंह यादव--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखण्ड मुख्यालय में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज नहीं होने से यहाँ के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 100-110 किलोमीटर दूरी तय कर जिला मुख्यालय या अन्य जगहों में जाना पड़ता है जिससे छात्र-छात्राओं को आर्थिक बोझ के साथ बहुमूल्य समय की बर्बादी होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित प्रखण्ड मुख्यालय में छात्र-छात्राओं के उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सौंदर्यीकरण कराना ।

*174. श्री सोनाराम सिंकु--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जगन्नाथपुर विधान-सभा क्षेत्र के पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर प्रखण्ड में वैतरणी नदी तट पर रामतीर्थ तीर्थ स्थल (रामेश्वर धाम) में जहाँ सालों भर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक वर्ष 14 तथ 15 जनवरी (मकर संक्रांति) को वैतरणी नदी में लाखों श्रद्धालु स्नान (डूबकी लगाने) करने उक्त स्थल पर आते है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सामतीर्थ तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल एवं सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण ।

*175. श्री सुरेश पासवान--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि देवघर जिला अन्तर्गत प्रखण्ड देवघर के पुनासी जलाशय एवं दिगरिया पहाड़ मोहनपुर प्रखण्ड के तपोवन एवं त्रिकुट पहाड़ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित सभी पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण कर विकसित करने से अधिक संख्या में सैलानियों का आने से हजारों की संख्या मे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सकेगा

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्क्रमित करना ।

*176. श्री शत्रुघ्न महतो--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत मध्य विद्यालय कांड्रा एवं मध्य विद्यालय कपुरिया संचालित काफी पुरातन विद्यालय है;

(2) क्या यह बात सही है कि मध्य विद्यालय कांड्रा में लगभग 300 एवं मध्य विद्यालय कपुरिया में लगभग 350 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिन्हे उच्च विद्यालय की शिक्षा हेतु दूर क्षेत्रों में जाने को विवशता है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों विद्यालयों को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय करने की मांग स्थानीय जनों द्वारा वर्षों से की जा रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मध्य विद्यालय कपुरिया एवं अन्य विद्यालय कांड्रा को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना ।

*177. श्री जगत माझी--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर, आनन्दपुर और गोईलकेरा प्रखण्ड क्षेत्र में एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल खेल में स्थानीय प्रतिभावन खिलाड़ियों ने सिर्फ राज्य ही नहीं देश में भी अपना सफल प्रतिनिधित्व किया है;

(2) क्या यह बात सही है कि मनोहरपुर, आनन्दपुर और गोईलकेरा प्रखण्ड क्षेत्र में एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल खेल में स्थानीय खिलाड़ियों के लिए आवासीय या डे-बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र का सुविधा उपलबध नहीं करांया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मनोहरपुर, आनन्दपुर और गोईलकेरा प्रखण्ड क्षेत्र में एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल खेल में स्थानीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन और बेहतर बनाने के लिए आवासीय या डे-बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र का सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? --

----

इनडोर स्टेडियम का पुनर्निर्माण ।

*178. श्री मनोज कुमार यादव--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरही प्रखण्ड के धमना में अवस्थित इंडोर स्टेडियम रख रखाव के अभाव में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित इंडोर स्टेडियम का निर्माण क्षेत्र के युवा पीढ़ी के खेल कूद में बढ़ावा हेतु किया गया था;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित इंडोर स्टेडियम का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्क्रमित करना ।

*179. श्री शत्रुघ्न महतो--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि BTM उच्च विद्यालय मालकेरा क्षेत्र का सबसे पुरातन विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या काफी ज्यादा है, जिन्हें उच्चतर माध्यमिक +2 की शिक्षा के लिए काफी दूर तक भटकना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि BTM उच्च विद्यालय मालकेरा को उच्चतर माध्यमिक +2 विद्यालय में उत्क्रमित करने की मांग लम्बे समय से की जा रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार BTM उच्च विद्यालय मालकेरा को उच्चतर माध्यमिक +2 में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण ।

*180. श्री अमित कुमार यादव--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कराये जाने का प्रावधान प्रावधानिक है;

(2) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत चलकुशा प्रखण्ड मुख्यालय में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण अबतक स्वीकृत नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में चलकुशा प्रखण्ड सहित राज्य के सभी स्टेडियम रहित प्रखण्ड मुख्यालयों में स्टेडियम निर्माण कराना चाहती रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पर्यटन केन्द्र बनाना ।

*181. श्री धनन्जय सोरेन--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के बोरियों विधान-सभा क्षेत्र के मउरो प्रखण्ड में अवस्थित रक्सी स्थान अत्यंत ही प्राचीन पूजा स्थल है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर प्रतिदिन हजारों लोग पूजा-अर्चना हेतु आते हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल का आज तक समुचित विकास नहीं हो पाया है, यहाँ तक कि स्थल मूलभूत सुविधाओं जैसे धर्मशाला, जल, खाना बनाने के लिए भवन, सड़क चहारदीवारी आदि से वंचित हैं;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज जिले के मउरो प्रखण्ड अवस्थित रक्सी को धार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अभ्यारण्य घोषित करना ।

*182. श्री सरयू राय--क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 12 नवम्बर, 2025 के अपने आदेश में झारखण्ड सरकार को निर्देशित किया है कि सारंडा सघन वन क्षेत्र के 431 वर्गकिलोमीटर क्षेत्र को तीन माह के भीतर वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करें;

(2) क्या यह बात सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने की तीन माह का समय-सीमा आगामी 12 फरवरी, 2026 को पूरी हो जाएगी, परन्तु राज्य सरकार ने अभी तक सारंडा वन्य क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने के बारे में अधिसूचना निर्गत नहीं किया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सारंडा वन क्षेत्र के 431 वर्गकिलोमीटर क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कानूनी कार्रवाई करना ।

*183. श्री अमित कुमार--क्या मंत्री, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का मुरी वर्क्स, राँची को विभागीय पत्रांक-345, दिनांक 18 फरवरी, 2025 द्वारा रेड मड NHAI को भेजने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का मुरी वर्क्स, राँची द्वारा पत्रांक 1884, दिनांक 11 मार्च, 2025 को रेड मड NHAI को भेजने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था जिसमें वर्णित था कि 2 लाख टन NHAI को बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के भेजा जा चुका है;

(3) क्या यह बात सही है कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का मुरी वर्क्स, राँची द्वारा झारखड राज्य प्रदूषण नियंत्रण से निर्गत पत्र संख्या-345, दिनांक 18 फरवरी, 2025 का अनुपालन नहीं किया जाता है । यहाँ तक की रेड मड के परिवहन में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों में तिरपाल भी सुव्यवस्थित ढंग से नहीं लगाया जाता है;

(4) क्या यह बात सही है कि इस निर्गत स्वीकृति पत्र के पृष्ठ संख्या-05 के क्रम संख्या-03 में वर्णित पीएच वैल्यू न्यूट्रालाइज्ड नहीं किया जाता है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का मुरी वर्क्स, राँची पर कानूनी कार्रवाई करने की इच्छा रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

महोत्सव का नियमित आयोजन ।

*184. श्रीमती मंजु कुमारी--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत जमुआ प्रखण्ड में स्थित भगवान शिव का प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदि "झारखण्ड धाम" के नाम से राज्यस्तर पर प्रसिद्ध है जहाँ 51 फीट ऊँची उड़ते हुए मुद्रा में हनुमान जी की भव्य प्रतिमा भी स्थापित है तथा सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में "झारखण्ड धाम" नाम से प्रसिद्ध यह एक मात्र धार्मिक स्थल है;

(2) क्या यह बात सही है कि श्रद्धालुओं भक्तों एवं स्थानीय नागरिकों की लगातार मांग के बावजूद अबतक "झारखण्ड धाम महोत्सव" का पुनः आयोजन नहीं किया जा रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि इस ऐतिहासिक एवं पवित्र स्थल पर महोत्सव के आयोजन से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रत्येक वर्ष वैशाख माह अक्षय तृतीय के अवसर पर "झारखण्ड धाम" महोत्सव के नियमित आयोजन का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कमरों का निर्माण करना ।

*185. श्री जिगा सुसारन होरो--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत सिसई प्रखण्डाधीन राजकीय उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय मुर्गू संचालित है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या-537 है और विद्यालय में कमरा के अभाव में बच्चे दरी में बैठकर पठन-पाठन कर रहे हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्यार्थियों के हित एवं उज्वल भविष्य के लिए विद्यालय में कमरों की निर्माण एवं डेस्क-बेंच की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

राशि की स्वीकृति देना ।

*186. श्री राज सिन्हा--क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि देश के प्रदूषित शहरों में से धनबाद को हरित राहत देने के लिए नगर वन के रूप में दामोदरपुर अर्बन फॉरेस्ट का निर्माण विगत पाँच वर्ष से फंड की कमी, प्रशासनिक देरी तथा धीमे क्रियान्वयन के कारण अधूरा पड़ा हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित योजना में विगत पाँच वर्ष में 31.5 लाख खर्च होने के बावजूद 50 लाख और अतिरिक्त राशि की माँग हेतु जिला मुख्यालय से राज्य मुख्यालय द्वारा लगातार पत्राचार के बावजूद अबतक राशि नहीं हो पाई है, जिस कारण निर्माण राशि में वृद्धि होती जा रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित धनबाद में नगर वन के रूप में अर्द्धनिर्मित दामोदरपुर अर्बन फॉरेस्ट को पूर्णतः निर्माण कराने की दिशा में अतिरिक्त राशि की अविलम्ब स्वीकृति दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उद्योग लगाना ।

*187. डॉ० नीरा यादव--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पिछले पाँच सालों में राज्य में मात्र 6 बड़े उद्योगों की स्थापना हो पायी है तथा राज्य के अधिकांश इंडस्ट्रीयल एरिया में उद्योग बंद पड़े हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत कोडरमा विधान-सभा क्षेत्र में बरियारडीह में आयुध कारखाना लगना था, जो नहीं लगा और एक बड़ा भू-खण्ड खाली पड़ा हुआ है;

(3) क्या यह बात सही है कि कोडरमा विधान-सभा क्षेत्र में अबतक एक भी बड़े उद्योग की स्थापना नहीं की गई है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु उचित कदम उठाने के साथ कोडरमा विधान-सभा क्षेत्र में उद्योग लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

विद्यालय को उत्क्रमित करना ।

*188. श्रीमती सबिता महतो--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, रघुनाथपुर, नीमडीह सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित विद्यालय में अभी वर्ग छः से वर्ग-नवम तक की ही पढ़ाई होती है;

(3) क्या यह बात सही है कि नीमडीह प्रखण्ड के के०जी०बी०भी० को छोड़कर अन्य कोई +2 विद्यालय नहीं है, जिस कारण बालिकाओं को पठन-पाठन में काफी परेशानियाँ होती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रहित में खण्ड-1 में वर्णित प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय को उत्क्रमित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

विद्यालय की स्थापना ।

*189. श्री आलोक कुमार चौरसिया--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के रामगढ़ प्रखण्ड मुख्यालय में कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित प्रखण्ड आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहाँ विद्यालय नहीं होने के चलते यहाँ के छात्राओं को अपनी पढ़ाई में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रामगढ़ प्रखण्ड मुख्यालय में आदिवासी बहुल छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पर्यटन केन्द्र को विकसित करना ।

*190. श्री कुमार उज्जवल--क्या मंत्री, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के लावालौंग प्रखण्ड स्थित वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी औरंगाबाद, तथा झारखण्ड के पलामू, चतरा, हजारीबाग सहित पूरे प्रदेश के लोगों के लिए एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण केन्द्र के रूप में विकसित होने की अपार संभावनाएँ रखता है तथा इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा;

(2) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लावालौंग वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी को जंगज सफारी, इको-टूरिज्म, पर्यटन सुविधा केन्द्र, सड़क एवं आधारभूत संरचना के रूप में विकसित करने हेतु कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

तड़ित चालक लगाना ।

*191. श्री कुमार उज्ज्वल--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के अधिकांश सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में तड़ित चालक (Lightning arrester) स्थापित नहीं है, जिसके कारण बज्रपात की स्थिति में विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की जान पर गंभीर खतरा बना रहता है;

(2) क्या यह बात सही है कि बरसात के मौसम मे बज्रपात की घटनाएँ बढ़ जाती है; जिससे किसी भी समय बड़ी और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटित होने की आशंका बनी रहती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्यालयों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में तड़ित चालक स्थापित करने हेतु कोई ठोस एवं समायबद्ध योजना तैयार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अनियमितता की जाँच ।

*192. डॉ० नीरा यादव--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला में डी०एमएफटी फंड (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में नहीं करके गैर खनन प्रभावित इलाकों में किया जा रहा है जो इसके प्रावधानों का उल्लंघन है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने कोडरमा जिले में डीएमएफटी फंड से छात्रों को कोचिंग कराने का निर्देश दिया था जिसमें हरियाणा की एक कम्पनी Filo edtech को 1 करोड़ 88 लाख 80 हजार रुपये का भुगतान किया गया;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकार ने डीएमएफटी के जरिए कोडरमा जिला में Llife line express train के माध्यम से कार्यक्रम करवाकर लाखों रुपये की राशि का भुगतान किया जबकि Guidline में इस प्रकार राशि खर्च करने का कोई प्रावधान नहीं है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसमें हुई अनियमितता की पूरी जाँच कराकर कार्रवाई करने करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

स्मारक स्थल विकसित करना ।

*193. श्री अरूप चटर्जी--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के लेस्लीगंज का नाम बदलकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजी शासन के विरूद्ध झारखण्ड के पहले संगठित आदिवासी सशस्त्र विद्रोह के नायक रहे नीलांबर-पीतांबर के नाम से नीलांबर पीतांबर कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित स्थान पर अवस्थित एक पिपल पेड़ पर ब्रिटिश हुकुमत द्वारा नीलांबर-पीतांबर को 1859 में फाँसी दे दी गयी थी तथा फाँसी के बाद उनके शव को बगल के एक कुऐं में डाल दिया गया था जो वर्तमान समय में एक ऐतिहासिक फाँसी स्थल और समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित उक्त ऐतिहासिक स्थल वर्तमान समय में भारी रूप से निजी/अवैध कब्जे में है इस कारण शहीदों के सम्मान में ठेस के साथ स्थानीय जनता विशेषकर आदिवासी समाज की भावनाऐं आहत हो रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब उक्त सार्वजनिक महत्व की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराते हुए इस स्थल को एक जनजातीय व क्षेत्रीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्मारक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना ।

*194. श्री सोनाराम सिंकु--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर प्रखण्ड में कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय में भवन की कमी रहने से छात्राओं के पठन-पाठन एवं आवासित होने में काफी कठिनाई हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय, जगन्नाथपुर के छात्रायें भवन के अभाव में आदर्श बालक मध्य विद्यालय, जगन्नाथपुर में पढ़ाई करने एवं आवासित होने को मजबूर हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में अविलम्ब भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सार्थक कदम उठाना ।

*195. श्री भूषण बड़ा--क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिले में वन केवल संरक्षण का विषय नहीं, लाखों ग्रामीणों के लिए सशक्त आजीविका का साधन भी है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित जिले में वन आधारित आजीविका मिशन अबतक शुरू नहीं हो पाया है जिसके कारण लघु वनोपज का प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग की सुविधा से Treditional Forest Dwellers तथा आम ग्रामीण वंचित हैं, जो पलायन का बहुत बड़ा कारक बना है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 मे वर्णित जिले ग्राम स्तर पर न तो संग्रहण व प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई कदम उठाये गये है और न ही वन आधारित आजीविका मिशन ही प्रारंभ किये गये हैं;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहितार्थ मैं सार्थक कदम उठाने का विचार रखती हैं, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

समुचित कार्रवाई करना ।

*196. श्री उमाकान्त रजक--क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के तोपचांची N.H पर स्थित शान ए पंजाब होटल, सेंचुरी वन क्षेत्र, भूमि पर अवैध रूप से वर्षों से कब्जा कर होटल का संचालन कर रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला-गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद सेंचुरी (वन प्राणी) विचरण क्षेत्र अन्तर्गत आता है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 के आलोक में अवैध कब्जा को लेकर आवेदनकर्ता श्री सदानन्द महतो के शिकायत के बाद भी गिरिडीह, हजारीबाग एवं धनबाद जिला-वन विभाग द्वारा सेंचुरी वन क्षेत्र भूमि का सीमांकन नहीं कर पायी है, ना ही अवैध रूप से कब्जा किए गए होटल को हटाने के लिए अबतक कोई कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं किया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त खण्डो के आलोक मे वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सेंचुरी वन क्षेत्र भूमि का सीमांकन करने एवं अवैध कब्जाधारी शान ए पंजाब होटल को हटाते हुए समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज की स्थापना ।

*197. श्री आलोक कुमार चौरसिया--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के भण्डरिया प्रखण्ड मुख्यालय मे एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज नहीं होने से यहाँ के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 50-60 किलोमीटर दूरी तय कर जिला मुख्यालय या अन्य जगहों में जाना पड़ता है जिससे छात्र-छात्राओं को आर्थिक बोझ के साथ बहुमूल्य समय की बर्बादी होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 मे वर्णित प्रखण्ड मुख्यालय में छात्र-छात्राओं के उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की पढ़ाई ।

*198. श्री निर्मल महतो--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालय में झारखण्ड के सभी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की बी०एड०एवं स्नातकोत्तर (PG) स्तरीय पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो सकी है;

(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के मूलवासी/आदिवासी छात्र/छात्रायें बी०एड० एवं स्नातकोत्तर (PG) स्तरीय की पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई बी०एड० एवं स्नातकोत्तर (PG) स्तर राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालय में शुरू करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कॉलेज शुरू कराना ।

*199. श्रीमती पूर्णिमा साहू--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर प्रोफेशनल कॉलेज बन कर तैयार है;

(2) क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर में कई कंपनियाँ कार्यरत है, जिन्हें कुशल और प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती रहती है;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रोफेशनल कॉलेज शुरू हो जाने से जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान के स्थानीय नव-युवक-युवतियों को यहा कौशल विकास कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की योजना थी;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताना चाहेगी कि उक्त कॉलेज को कब तक पीपीपी मोड़ पर शुरू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

वसूली बंद करना ।

*200. श्री प्रदीप प्रसाद--क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत कनहरी पहाड़ हजारीबागवासियों के लिए एक धरोहर है, जहाँ घूमने आने वाले आम नागरिकों और पर्यटकों से वन विभाग द्वारा प्रति व्यक्ति 20/- रु० का टिकट राशि वसूला जाता है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफी असुविधा होती है;

नोट:-*198-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के ज्ञापांक-309, दिनांक 16 फरवरी, 2026 द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को स्थानांतरित ।

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त 20/- रु० टिकट शुल्क को हजारीबाग के सभी निवासियों के लिए खत्म करते हुए उक्त वसूली को पूरी तरीके से बंद करने का विचार रखती है, ताकि अधिक से अधिक हजारीबाग के लोग प्रकृति प्रदत्त इस कनहरी पहाड़ की खूबसूरती का आनंद ले सके यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रशिक्षण प्रारंभ करना ।

*201. श्री अनन्त प्रताप देव--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अन्तर्गत प्रखण्ड नगर ऊँटारी, पंचायत-हनुमंता, ग्राम-महदईया में निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नगर ऊँटारी का वर्तमान भवन काफी जर्जर होने के कारण सत्र-2025-2026 तथा 2026-2027 के लिए विभिन्न व्यवसायों में नामांकित छात्र-छात्राओं का प्रशिक्षण आई०टी०आई० गढ़वा में चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नगर ऊँटारी का जीर्णोद्धार अथवा नव-निर्माण से यहाँ नामांकित विद्यार्थियों को पठन-पाठन और प्रशिक्षण में काफी सुविधा मिलेगी;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित संस्थान के जीर्णोद्धार अथवा नव-निर्माण करते हुए विद्यार्थियों का प्रशिक्षण प्रारंभ करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पर्यटकीय विकास कराना ।

*202. श्री मनोज कुमार यादव--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला एवं कोडरमा जिला में निर्मित तिलैया जलाशय के किनारे चोचरो पार्क प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा आईलैंड है;

(2) क्या यह बात सही है कि चोचरो पार्क पर्यटकीय दृष्टिकोण से एक एडवेंचर स्थल है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चोचरो पार्क को पर्यटकीय विकास कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

वेतन भुगतान करना ।

*203. श्री दशरथ गागराई--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में नवनियुक्त सहायक आचार्यों को पदस्थापित किया गया है;

नोट:-*201-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ज्ञापांक-392, दिनांक 17 फरवरी, 2026 द्वारा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में स्थानांतरित ।

(2) क्या यह बात सही है कि इन सहायक आचार्यों के पदस्थापन के उपरांत इनके शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, परिणामस्वरूप इनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकी है;

(3) क्या यह बात सही है कि इन सहायक आचार्यों को वेतन नहीं मिलने से इन्हें आर्थिक परेशानियों से जुझना पड़ रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य भर के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित नवनियुक्त सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

डैम का विकास ।

*204. श्री अनन्त प्रताप देव--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के धुरकी प्रखण्ड अन्तर्गत "पनघटवा डैम" आदिवासी बहुल (Scheduled Tribes) क्षेत्र, यथा-धुरकी, डंडई, रमना और मेराल प्रखण्ड की सीमा से लगा हुआ है तथा इस डैम का क्षेत्रफल लगभग 265 हेक्टेयर है;

(2) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के नगर ऊँटारी प्रखण्ड अन्तर्गत "कुम्बा डैम" तथा श्री बंशीधर नगर पंचायत अन्तर्गत "पुरैनी पोखरा" का पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास और सौंदर्यीकरण कार्य से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी;

(3) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित डैम सुंदर हरे-भरे जंगलों के बीच शांत वातावरण व मनोरम दृश्य से पर्यटकों, शैक्षणिक भ्रमण पर आने वाले स्कूली बच्चों का लुभाती और आकर्षित करती है, साथ ही प्रकृति की गोद में बसे इस डैम की लोकप्रियता सिर्फ झारखण्ड राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आस-पास के राज्य, यथा-उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से भी पर्यटक यहाँ पिकनिक मनाने और शांति का अनुभव करने के लिए आते हैं;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित डैम तथा पोखरा के निकट जल क्रीड़ा (Water Sports), साहसिक क्रीड़ा (Adventure Sports), स्ट्रीट लाईट, पर्यटकों के ठहराव के लिए शेड, नौका विहार हेतु बोटिंग क्लब, पिकनिक स्पॉट और ईको-टूरिज्म के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

शिक्षकों का पदस्थापन ।

*205. श्रीमती सबिता महतो--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय चौड़ा में शिक्षकों की भारी कमी है, जिस कारण अध्ययनरत छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित विद्यालय के साथ-साथ क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में भी शिक्षकों की घोर कमी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रहित में खण्ड-1 में वर्णित विद्यालय के साथ-साथ ईचागढ़ विधान-सभा क्षेत्र के सभी विद्यालय में सभी विषयों के शिक्षकों के पदस्थापन का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कॉरिडोर बनाना ।

*206. श्री निर्मल महतो--क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सम्प्रति माण्डू एवं गोमिया विधान-सभा क्षेत्र के सीमावर्ती लाइयो, भदवा, सिरका, तिलैया, खखंडा आदि क्षेत्रों में 42 जंगली हाथियों के झुंडों द्वारा मानवों एवं फसलों की क्षति की जा रही तथा अभी हाल ही में उक्त क्षेत्रों के तीन लोगों की मृत्यु एक पागल हाथी के हमले से हुई है जिससे पूर क्षेत्र में लोग दहशत में हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि जंगली हाथियों का यह झुण्ड उक्त क्षेत्र में विचरण करते हुए जान-माल की क्षति कर रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रभावित लोगों को मुआवजा एवं मृत परिवार के आश्रितों को रोजगार देते हुए इन जंगली हाथियों को प्रभावित क्षेत्रों से निकालते हुए इनके लिए एक अलग कॉरिडोर बनाना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

राँचीः
दिनांक 24 फरवरी, 2026 (ई०)

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु०, राँची (एल०ए०) 60--250-21-2-2026 ।

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

षष्ठम् झारखण्ड विधान-सभा

[पंचम(बजट)सत्र]

मंगलवार, तिथि 24 फरवरी, 2026 (ई०) / 05 फाल्गुन,1947 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

-: प्रश्नोत्तर :-

(01) सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(02) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03) शून्यकाल की सूचनाएँ।

-:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्यः-

(04) श्रीमती पूर्णिमा साहू, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-20-02-2026 एवं 21-02-2026 से स्थगित)

(05) श्री विकास कुमार मुण्डा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-20-02-2026 एवं 21-02-2026 से स्थगित)

(06) श्री अमित कुमार, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-02-2026 से स्थगित)

(07) श्री राजेश कच्छप, स०वि०स०,श्री समीर कुमार मोहन्ती, स०वि०स० एवं श्रीमती ममता देवी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-02-2026 से स्थगित)

(08) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-02-2026 से स्थगित)

(09) श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स० एवं मथुरा प्रसाद महतो,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(नागर विमानन प्रभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-02-2026 से स्थगित)

कृ०पृ०उ०........02

(10) सर्वश्री संजय कुमार सिंह यादव, सुरेश पासवान एवं श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-21-02-2026 से स्थगित)

(11) श्री उदय शंकर सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(12) श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पर्यटन, कला संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(13) डॉ नीरा यादव, स०वि०स० एवं श्री देवेन्द्र कुंवर, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उसपर सरकार (उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(14) सर्वश्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, राजेश कच्छप एवं श्री सोनाराम सिंकू,स०वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(15) श्री चन्द्रदेव महतो, स०वि०स० एवं अरूप चटर्जी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

(16) झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

(17) झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(18) याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: वित्तीय-कार्य :-

(19) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक का उपस्थापन।

(20) अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

:रंजीत कुमार:
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-01/2026-437/वि०स०,राँची,दिनांक-23/02/26

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महासचिव लोकसभा, नई दिल्ली/ महासचिव राज्य सभा, नई दिल्ली/ झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।
कृ०पृ०उ०........03

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-01/2026-...437.../वि०स०,राँची,दिनांक-23/02/26

प्रतिलिपि:-अवर सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

23/02/2026

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-01/2026-...437.../वि०स०,राँची,दिनांक-23/02/26

प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/2026

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

23.02.26

झारखण्ड विधान-सभा

جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی

فہرست امور

ششم جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی

{پانچواں (بجٹ) اجلاس}

منگل، مورخہ: 24رفروری، 2026، (عیسوی)

05رپھاگن، 1947، (شک)

[کاروائی شروع ہونے کا وقت 11:00ر بجے دن]

ابتدائی امور

سوال و جواب

01۔ ایوان کے گذشتہ اجلاس کے غیر علامتی اور غیر موجود سوالوں کے جواب کا اسمبلی سکریٹری کے ذریعہ ایوان کے میز پر رکھا جانا (اگر ہو)۔

02۔ مختصر معیادی و علامتی سوال اور ان کے جواب۔

03۔ وقفہ صفر کے اطلاعات۔

توجہ طلب اطلاع اور ان پر سرکاری بیان

04۔ محترمہ پرنیا ساہو، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ تعمیرات شاہراہ) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔ 20رفروری، 2026 اور 21رفروری، 2026 سے ملتوی]

05۔ جناب وکاس کمار منڈا، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔ 20رفروری، 2026 اور 21رفروری، 2026 سے ملتوی]

06۔ جناب امیت کمار، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔ 21رفروری، 2026 سے ملتوی]

07۔ جناب راجیش کچھپ، جناب سمیر کمار مہنتی اور محترمہ ممتا دیوی، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

برائے مہربانی صفحہ الٹیں

[مورخہ۔ 21/فروری، 2026 سے ملتوی]

08۔ جناب چندریشور پرساد سنگھ، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ تعمیرات شاہراہ) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔ 21/فروری، 2026 سے ملتوی]

09۔ جناب اروپ چٹرجی اور جناب متھورا پرساد مہتو، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ کابینہ سکریٹریٹ اور نگرانی (محکمہ شہری ہوابازی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔ 21/فروری، 2026 سے ملتوی]

10۔ جناب سنجے کمار سنگھ یادو، جناب سوریش پاسوان اور جناب نمن وکسل کونگاڑی، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ تعمیرات شاہراہ) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔ 21/فروری، 2026 سے ملتوی]

11۔ جناب اودے شنکر سنگھ، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ زراعت، مویشی اور کوآپریٹیو) کی جانب سے بیان۔

12۔ جناب رام چندر سنگھ، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ سیاحت، فن وثقافت، کھیل کود اور نوجوان امور) کی جانب سے بیان۔

13۔ محترمہ ڈاکٹر نیرا یادو اور جناب دیویندر کنور، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ صنعت) کی جانب سے بیان۔

14۔ جناب نمن وکسل کونگاڑی، جناب راجیش کچھپ اور جناب سونارام سنکو، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات، رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

15۔ جناب چندردیو مہتو اور جناب اروپ چٹرجی، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

کمیٹیوں کی تشکیل

16۔ جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے ضابطہ نامہ، طریقہ کار اور دستور العمل کے تناظر میں کمیٹیوں کی تشکیل (اگر ہو)۔

ایوان کے میز پر رپورٹوں کا رکھا جانا

17۔ جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کی کمیٹیوں کی رپورٹوں کو ایوان کے میز پر رکھا جانا (اگر ہو)

18۔ عرضیوں کی پیشی (اگر ہو)۔

براے مہربانی صفحہ الٹیں

مالیاتی امور

19۔ محکمہ مالیات کے وزیرانچارج جناب رادھا کرشن کشور کے ذریعہ مالی سال 27-2026 کے لیے آمد وخرچ کی پیشی۔

20۔ دیگر نہایت ضروری امور (اگر ہو)۔

(رنجیت کمار)
کارگزار سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی۔

یادداشت نمبر: فہرست امور۔01/2026/4371 ق۔س۔ا، رانچی مورخہ: 23، فروری، 2026 (عیسوی)

نقل تحریر: معزز اراکین حضرات، جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی/معزز وزیر اعلیٰ/معزز وزراء حضرات/معزز اپوزیشن لیڈر، جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی/چیف سکریٹری، جھارکھنڈ/عزت مآب گورنر کے پرنسپل سکریٹری/ایڈوکیٹ جنرل، جھارکھنڈ، رانچی/لوک سبھا، نئی دہلی/راجیہ سبھا نئی دہلی/جھارکھنڈ سرکار کے تمام محکموں کے پرنسپل سکریٹری/سکریٹری کو اطلاعات اور ضروری کارروائی کرنے کے لئے مرسلہ۔

شیراز وجیہ
(سید شیراز وجیہ مُفتی)
ڈپٹی سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

یادداشت نمبر: فہرست امور۔01/2026/4371 ق۔س۔ا، رانچی مورخہ: 23، فروری، 2026 (عیسوی)

نقل تحریر: انڈر سکریٹری، اسپیکر دفتر اور ماہر معتمد، سکریٹری دفتر کو بالترتیب عزت مآب اسپیکر صاحب اور کارگزار سکریٹری کو اطلاعات مرسلہ۔

شیراز وجیہ
(سید شیراز وجیہ مُفتی)
ڈپٹی سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

دداشت نمبر: فہرست امور۔01/2026/4371 ق۔س۔ا، رانچی مورخہ: 23، فروری، 2026 (عیسوی)

اردو ترجمہ: جاری کردہ "شعبہ اردو" جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی۔

نقل تحریر: جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے تمام افسران/شعبہ ویب سائٹ/شعبہ لائبریری، شعبہ تعلقات عامہ اور جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے ٹی وی کو اطلاعات اور ضروری کارروائی کرنے کے لئے مرسلہ۔

شیراز وجیہ
(سید شیراز وجیہ مُفتی)
ڈپٹی سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा

पंचम् (बजट)– सत्र

वर्ग– 02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 05 फाल्गुन, 1947 [श0] / 24 फरवरी, 2026 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
53–	अ0सू0– 37	श्री देवेन्द्र कुंवर	स्वेटर उपलब्ध कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	19.02.2026
54–	अ0सू0– 26	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	योजनाओं का क्रियान्वयन	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	15.02.2026
55–	अ0सू0– 05	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	पारदर्शी व्यवस्था	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.2026
56–	अ0सू0– 30	श्री सरयू राय	कार्रवाई करना	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	17.02.2026
57–	अ0सू0– 07	श्री हेमलाल मुर्मू	शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.2026
58–	अ0सू0– 10	श्री अरूप चटर्जी	सुविधा मुहैया कराना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.2026
59–	अ0सू0– 13	श्री प्रदीप यादव	शिक्षकों की नियुक्ति	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.02.2026

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.	05.	06
60—	अ0सू0— 04	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	शिक्षकों का पद सृजन करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.2026
61—	अ0सू0— 31	श्री राज सिन्हा	वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.02.2026
62—	अ0सू0— 20	श्री कुमार जयमंगल	समान वेतन देना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.02.2026
63—	अ0सू0— 23	डॉ0 रामेश्वर उरॉव	अधिसूचना जारी करना	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	14.02.2026
64—	अ0सू0— 17	श्री जयराम कुमार महतो	दोषियों पर कार्रवाई	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	14.02.2026
65—	अ0सू0— 02	श्री हेमलाल मुर्मू	संसाधन उपलब्ध कराना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.2026
66—	अ0सू0— 06	श्री प्रदीप प्रसाद	कार्रवाई करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.2026
67—	अ0सू0— 01	श्री चन्द्रदेव महतो	शुल्क संरचना को पारदर्शी बनाना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.2026
68—	अ0सू0— 16	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	राशि संस्थान के खाते में भेजना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.02.2026
69—	अ0सू0— 12	श्री जयराम कुमार महतो	न्यायसंगत नीति बनाना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.02.2026
70—	अ0सू0— 27	श्रीमती पूर्णिमा साहू	बहाली प्रक्रिया पूरी करना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	15.02.2026
71—	अ0सू0— 29	डॉ0 रामेश्वर उरॉव	गाँवों का सीमांकन	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	15.02.2026
72—	अ0सू0— 24	श्री नवीन जयसवाल	पदाधिकारियों को नियुक्त करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	15.02.2026
73—	अ0सू0— 35	श्री राजेश कच्छप	रिक्त पदों को भरना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	19.02.2026

रॉंची,
दिनांक— 24 फरवरी, 2026 ई0

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक– झा0वि0स0 प्रश्न– 08/2025.....4369............../वि0स0, रांची, दिनांक– 23/02/26

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रीगण/मा0 संसदीय कार्य मंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

23.02.26

(महेश नारायण सिंह)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न– 08/2025.....4369............/वि0स0, रांची, दिनांक– 23/02/26

प्रतिः– अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा उप सचिव (प्रश्न वर्ग–02) को सूचनार्थ प्रेषित।

22.02.26

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न– 08/2025.....4369............/वि0स0, रांची, दिनांक– 27/02/26

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन समिति शाखा/प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं अनागत प्रश्न एवं क्रियान्वयन समिति शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.02.26

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

20/02/26

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

275
22/02/2026

श्री देवेन्द्र कुंवर, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–37

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–</td><td>माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री</td></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य में ठंड का दौर लगभग समाप्ति की ओर है, कई जिलों में पारा 28° से ऊपर पहुँच गया है लेकिन अब जाकर राज्य में स्कूली बच्चों को मिलेगी स्वेटर की राशि जो बेहद आश्चर्यचकित करने वाली प्रक्रिया है;</td><td>सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के पोशाक के लिए राशि भारत सरकार से समग्र शिक्षा के अन्तर्गत किस्तों में प्राप्त होती है। वर्तमान समय तक मात्र दो किस्तों में प्राप्त केन्द्रांश तथा उक्त के आलोक में प्राप्त राज्यांश के आधार पर कक्षा 1 से 8 के 38,92,487 बच्चों में से 30,89167 बच्चों को पोशाक की राशि/पोशाक उपलब्ध करा दी गयी है। अभी भी पोशाक के लिए रू0 25.75 करोड़ प्राप्त होना शेष है।
कक्षा 9 से 12 में 10,72,344 में से 9,65,647 बच्चों को पोशाक की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गयी है। शेष बच्चों का पी.एफ.एम.एस. में अपलोड किए गए डाटा में त्रुटि के कारण राशि हस्तानांतरण नहीं हो सकी है, जिसका निराकरण राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।
विदित है कि केन्द्र सरकार से राशि देर से प्राप्त होने के कारण विलम्ब से पोशाक की राशि उपलब्ध करायी गयी है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि 15 जिलों में से पाँच जिले क्रमशः पलामू, हजारीबाग, बोकारो, गढ़वा तथा चाईबासा को एक भी पैसे नहीं मिले जबकि दस (10) जिलों में Partly Payment हुआ यानि किसी को स्वेटर की राशि मिली तो किसी को नहीं, अकेले राजधानी राँची में ही 1.80 लाख बच्चों में से 80 हजार बच्चों को कोई राशि नहीं मिली जबकि धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, गढ़वा और गुमला समेत कई जिलों में 40% बच्चों को अभी भी राशि का इंतजार है;</td><td>जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन में सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को पोशाक/पोशाक की राशि उपलब्ध कराने की सूचना है। प्रश्न में वर्णित जिलों में पोशाक के लिए राशि की स्थिति निम्नवत् है–
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>जिला का नाम</th><th>कक्षा 1–8 के विद्यार्थियों का जिन्हे पोशाक के लिए राशि उपलब्ध करायी गई (प्रतिशत में)</th><th>कक्षा 9–12 के विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हे पोशाक के लिए राशि उपलब्ध करायी गई (प्रतिशत में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>पलामू</td><td>85</td><td>98</td></tr>
<tr><td>2</td><td>हजारीबाग</td><td>70</td><td>90</td></tr>
<tr><td>3</td><td>गढ़वा</td><td>69</td><td>99</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पश्चिमी सिंहभूम</td><td>78</td><td>80</td></tr>
<tr><td>5</td><td>राँची</td><td>74</td><td>83</td></tr>
<tr><td>6</td><td>धनबाद</td><td>65</td><td>70</td></tr>
<tr><td>7</td><td>बोकारो</td><td>81</td><td>92</td></tr>
<tr><td>8</td><td>पूर्वी सिंहभूम</td><td>84</td><td>93</td></tr>
<tr><td>9</td><td>गुमला</td><td>90</td><td>82</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित विषय की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकार की प्रणाली को खत्म कर सर्दी आने से पूर्व बच्चों को स्वेटर उपलब्धता सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>कक्षा 1 से 8 के लिए पोशाक की राशि केन्द्र सरकार से समय पर प्राप्त होने पर विद्यार्थियों को समय से पोशाक उपलब्ध कराये जा सकेंगें।</td></tr>
</table>

22.2.2026
(जगी चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 16/वि०–अ०सू०–29/2026...275/ राँची, दिनांक 22/02/2026

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 4231 दिनांक 19.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.2.2026
सरकार के उप सचिव।

Khurshid

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–26

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

		राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत की जाती है, जिसकी राशि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखण्ड शिक्षा परियोजना कार्यालय को दिनांक 17.07.2025 को प्राप्त हुई। *(ii)* विद्यार्थियों की सूची, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा सत्यापन के उपरांत पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिसमें कई त्रुटियों के फलस्वरूप निराकरण उपरांत कुल लक्ष्य– 10,72,344 विद्यार्थियों में से 9,65,647 विद्यार्थियों (90%) को डी.बी.टी. के माध्यम से उनके बैंक खाते में राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, शेष प्रक्रियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग में निधि के अभाव के कारण 161 शिक्षकों/कर्मचारियों का वेतन विगत 6 माह से लंबित है, जिससे उनके समक्ष गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, साथ ही स्कूलों को मिलने वाली विकास अनुदान राशि के अभाव में हैंडवॉश, साबुन, साफ–सफाई एवं पेयजल की व्यवस्था प्रभावित होने से स्वच्छता पर भी भारी असर पड़ा है, जिसके कारण स्कूली बच्चों के बीमार होने का दर अत्यधिक हो गई है;	वेतन भुगतान लंबित रहने के संबंध में स्थिति उपर्युक्त कंडिका–02 में अंकित की गयी है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सिर्फ माध्यमिक विद्यालयों को विद्यालय विकास अनुदान की राशि उपलब्ध करायी गयी है, परंतु समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए विद्यालय विकास अनुदान की राशि स्वीकृत नहीं की जा सकी है, जिसके कारण उक्त मद में विद्यालयों को राशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विगत 6 महीनों से लंबित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन, पोशाक योजना, स्कूल किट योजना तथा विकास अनुदान योजना को अविलंब प्रारंभ करते हुए शिक्षक/कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं के हित में जिन कारणों से यह समस्या उत्पन्न हुई है, उन्हें दंडित करते हुए उपरोक्त योजनाओं को अविलंब क्रियान्वित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 में सन्निहित है।

21/02/26

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–22/2026.......629......./ दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26

सरकार के अवर सचिव।

622
21/02/2026

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–26

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित स्कूल किट योजना वित्तीय संसाधनों के अभाव में लगभग 10 जिलों में स्थगित है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव गरीब बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर रही है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के ज्ञापांक 783 दिनांक 18.02.2026 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए विद्यालय किट योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी जानेवाली सुविधा, यथा– स्कूल बैग एवं कॉपी ससमय सभी जिलों के विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दी गई है। सहायक स्टेशनरी सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। तद्नुसार विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा विद्यार्थियों को सामग्री उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा, गढ़वा समेत राज्य के 10 जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों को 6 माह से वेतन भुगतान नहीं होने तथा पोशाक योजना के प्रभावित होने से बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति एवं पठन–पाठन पर प्रतिकूल असर पड़ा है;	पाकुड़/जामताड़ा/गोड्डा/गढ़वा समेत राज्य के 10 जिलों के योजना मद अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों में से उन शिक्षकों का, जिनकी नियुक्ति/पदस्थापन वर्ष 2025–26 में हुआ है, उनके वेतन मद का बजट उपबंध पूर्व से नहीं रहने के फलस्वरूप द्वितीय अनुपूरक तथा तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से राशि की मांग की गयी है। राशि प्राप्त होते ही भुगतान हेतु आवंटन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। **पोशाक की राशि (कक्षा–1 से 8) :** *(i)* झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के ज्ञापांक 783 दिनांक 18.02.2026 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध कराने हेतु केंद्रांश (60%) राशि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होती है। शेष (40%) राज्यांश राज्य सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है। *(ii)* वर्तमान वर्ष में भारत सरकार से केंद्रांश की पहली किस्त रु. 267.15 करोड़ दिनांक 25.07.2025 को, जिसका राज्यांश रु. 241.46 करोड़ दिनांक 12.08.2025 को प्राप्त हुआ था। पहली किस्त की शेष राशि रु. 25.69 करोड़ केंद्रांश एवं रु. 17.05 करोड़ राज्यांश दिनांक 28.11.2025 को प्राप्त हुआ था। *(iii)* केंद्रांश की द्वितीय किस्त रु. 266.28 करोड़ दिनांक 30.01.2026 को तथा उसका राज्यांश रु. 250.74 करोड़ दिनांक 06.02.2026 को प्राप्त हुआ था। द्वितीय किस्त की शेष राशि रु. 25.75 करोड़ केंद्रांश की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। *(iv)* दो माह विलम्ब से द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त होने के कारण सभी विद्यार्थियों को समय पर पोशाक उपलब्ध कराने में कठिनाई हुई है। वर्तमान समय तक सभी विद्यार्थियों को पोशाक/राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई जारी है। कुल लक्ष्य 38,92,487 विद्यार्थियों के विरुद्ध 30,89,167 विद्यार्थियों, लगभग 79% विद्यार्थियों को पोशाक/राशि डी.बी.टी. के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। **पोशाक की राशि (कक्षा–9 से 12) :** *(i)* कक्षा–9 से 12 के विद्यार्थियों को निःशुल्क पोशाक वितरण

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

226
22/02/2026

श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–05

क्र. सं.	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून में क्षेत्रीय सीमा, जो की पहले 0 से 1 किलोमीटर की सीमा तक, अपेक्षित समूह बच्चे नहीं मिलने पर 1 से 3 किलोमीटर एवं तत्पश्चात 3 से 6 किलोमीटर तक क्षेत्रीय सीमा थी, जिसे सीधा बढ़ाकर 6 किलोमीटर कर दिया गया है;	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकारी की अधिसूचना ज्ञापांक 237 दिनांक 16.02.2016 में इस संबंध में निम्नवत् उल्लिखित है– 'पड़ोस से तात्पर्य है विद्यालय के एक कि.मी. दूरी सीमा के अधीन वास करने वाले बच्चे। यदि इस दूरी सीमा में पर्याप्त बच्चे उपलब्ध नहीं होते है तो विद्यालय के विस्तारित सीमा अर्थात तीन कि.मी. की दूरी सीमा में वास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जायेगा। फिर भी यदि सीट खाली रह जाता है तो छः कि.मी. दूरी सीमा तक वास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जायेगा"। इसके अनुपालन हेतु राज्य परियोजना निदेशक के ज्ञापांक 395 दिनांक 23.02.2022 से सभी उपायुक्त को निदेश भी निर्गत किए गए हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि यदि आवेदनों की संख्या आरक्षित सीटों (25%) से अधिक हो, तो नामांकन के लिए कम्प्यूटरिकृत लॉटरी प्रणाली का उपयोग किया जाने लगा है, जो कि पहले विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावक के समक्ष की जाती थी;	आंशिक स्वीकारात्मक। योग्य आवेदनों की संख्या आरक्षित सीटों से अधिक रहने की स्थिति में नामांकन के लिए कम्प्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली का उपयोग विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों के समक्ष किया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि क्षेत्रीय सीमा को सीधा 6 किलोमीटर तक बढ़ा देने से लॉटरी के माध्यम से नजदीक के बच्चे वंचित रह जाते हैं तथा दूर के बच्चों का नामांकन हो जाता है;	सरकार के समक्ष ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षा का अधिकार कानून में क्षेत्रीय सीमा को पूर्ववत रखने एवं लॉटरी की प्रक्रिया को पूरे पारदर्शी रूप से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डो में उत्तर सन्निहित है।

ह०/- 22.2.2026
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : 16/वि०–अ०सू०–07/2026......276 रॉंची, दिनांक 22/02/2026

प्रतिलिपि : 200 प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3672 दिनांक 11.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- 22.2.2026
सरकार के उप सचिव

Khurshid

श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 24.02.2026 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–30 का उत्तर प्रतिवेदन।

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दामोदर नदी विगत कुछ वर्षों के सतत् नागरिक प्रयास से औद्योगिक प्रदूषण से लगभग मुक्त हो गया है;	स्वीकारात्मक। यह तथ्य है कि विगत कुछ वर्षों में दामोदर नदी के संरक्षण एवं औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु निरंतर प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े जाने वाले प्रदूषित अपशिष्ट में कमी आई है तथा नदी जल की गुणवत्ता में सुधार के संकेत प्राप्त हुए हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि डीवीसी का चन्द्रपुरा ताप बिजली घर के ऐश पौन्ड विस्तार में दामोदर नदी का अतिक्रमण किया गया है तथा बोकारो ताप बिजली घर के ऐश पौन्ड में जाने वाला दूषित बहिस्राव पाईपलाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण कोनार नदी में गिरकर दामोदर नदी को प्रदूषित कर रहा है, परन्तु जिला पर्यावरण समिति एवं झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;	अस्वीकारात्मक। दामोदर नदी के बेड में उच्चतम बाढ़ स्तर के अन्दर पक्का कंक्रीट की अवैध रूप से दीवार निर्माण से संबंधित माननीय से प्राप्त शिकायत के आलोक में झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांक–29.01.2026 को ईकाई का स्थल निरीक्षण किया गया एवं ईकाई को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर कारण पृच्छा की गई है। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांक 12.02.2026 को बोकारो ताप बिजली घर का निरीक्षण किया गया था, जिसमें निरीक्षण के क्रम में इकाई का दूषित बहिःस्राव कोनार नदी में जाता हुआ नहीं देखा गया। प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा नियमित निरीक्षण एवं निगरानी की जा रही है ताकि दामोदर नदी में किसी प्रकार का प्रदूषण न हो।
3.	क्या यह बात सही है कि टंडवा में कोयला खनन से निकले दूषित बहिस्राव को एनटीपीसी दामोदर नदी में सीधे गिरा रहा है और नदी को प्रदूषित कर रहा है;	अस्वीकारात्मक

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दामोदर नदी को प्रदूषित करने वाली एनटीपीसी एवं डीवीसी के विरूद्ध जल और वायु संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अल्प सूचित–40/2026– 653 व0प0, दिनांक–23/02/26

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1156 दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/26

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

262
18/02/2026

श्री हेमलाल मुर्मू, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–07 का उत्तर सामग्रीः–

क्र०	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में बुनियादी शिक्षा (फाउंडेशनल) की स्थिति खराब है, राज्य में निर्धारित उम्र सीमा के 100 से 38 बच्चे ही प्री प्राईमरी से वर्ग दो तक नामांकन करा रहे हैं और पिछले तीन साल में बुनियादी शिक्षा नामांकन का प्रतिशत घटा है;	अस्वीकारात्मक। U-DISE+ के अनुसार राज्य के विद्यालयों के प्री–प्राईमरी से कक्षा 2 तक नामांकन की स्थिति पिछले तीन वर्षों में बढ़ी है, जो निम्नवत् है– (तालिका 1 नीचे)
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के लिए सबसे चिन्ताजनक आंकड़े माध्यमिक स्तर पर हैं जो विगत तीन साल के इस स्तर पर सफल नामांकन अनुपात में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है, परन्तु नवीं से 12वीं कक्षा तक आते–आते सकल नामांकन अनुपात गिरकर 60.6% रह जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। U-DISE+ के अनुसार राज्य में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (GER) की स्थिति पिछले तीन वर्षों में बढ़ी है जो निम्नवत् है– (तालिका 2 नीचे)
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में विशेषकर संथालपरगना में बुनियादी शिक्षा सुदृढ़ करने, निजी विद्यालयों में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर ऐसे कार्यों में निजी विद्यालयों की सहभागिता सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति निम्नवत् है– सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 12 में नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि लाने हेतु निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक, पोशाक, नोट बुक (कॉपी), छात्रवृत्ति, साईकल (कक्षा 8) विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही साथ बुनियादी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए संथालपरगना सहित सभी प्रमण्डलों में शिक्षकों का क्षमता विकास/प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

तालिका 1:

वर्ष	प्री–प्राईमरी से कक्षा 2 तक कुल नामांकन	वार्षिक बढ़ोत्तरी
2023–24	14,86,537	
2024–25	15,25,196	38659
2025–26	15,94,346	69150

तालिका 2:

वर्ष	सकल नामांकन अनुपात			
	माध्यमिक	वार्षिक बढ़ोत्तरी	उच्चतर माध्यमिक	वार्षिक बढ़ोत्तरी
2023–24	62.19		41.62	
2024–25	72.65	10.46	48.62	7.00
2025–26	74.69	2.04	53.89	5.27

18.2.2026
(जागो चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि०–अ०सू०–09/2026.....262....../ रांची, दिनांक 18/02/2026

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3646 दिनांक 11.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.2.2026
(जागो चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

Khurshid

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

261
18/02/2026

श्री अरूप चटर्जी, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–10

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित प्राथमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों (कक्षा 01–08) जिनमें भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय भी सम्मिलित है, में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही ड्रेस/विद्यालय पोशाक, स्कूल किट, पाठ्य–पुस्तक, कॉपी तथा मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। • भारत सरकार द्वारा संचालित समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक में नामांकित एवं अध्ययनरत् सभी विद्यार्थियों को पाठ्य–पुस्तक दिये जाने का प्रावधान है तदनुसार उन्हें पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध कराया जाता है। • शेष सुविधाएँ भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालयों में वर्तमान में उपलब्ध नहीं कराई जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड – 1 में वर्णित प्राथमिक अल्पसंख्यक एवं भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थियों की इस प्रकार कि असमान व्यवस्था से इन विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों में शैक्षणिक असमानता एवं भेदभाव का प्रभाव पड़ रहा है;	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। सरकार स्तर से विद्यार्थियों को यथा संभव सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राथमिक अल्पसंख्यक एवं भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थियों को खण्ड –1 में वर्णित विषय के तर्ज पर सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में उत्तर सन्निहित है।

18.2.2026
(जागो चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि०–अ०सू०–10/2026...261.../ रॉंची, दिनांक 18/02/2026

प्रतिलिपि : 200 प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3649 दिनांक 11.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.2.2026
(जागो चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

Khurshid

श्री प्रदीप यादव, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–13

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

		गोड्डा प्रखण्ड अंतर्गत +2 उच्च विद्यालय, बुढ़ीकुरा में भौतिकी/रसायन एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष स्वीकृत है तथा पोड़ैयाहाट प्रखण्ड अंतर्गत +2 उच्च विद्यालय बक्सरा में भौतिकी/रसायन एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला कक्षा निमार्णाधीन है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पिण्ड्राहाट सहित विभिन्न विद्यालयों में प्रयोगशाला कक्ष के निर्माण हेतु बजट के अनुरूप आगामी वर्षों में कार्रवाई की जानी है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त विद्यालयों में समुचित भवन एवं आवश्यक शिक्षकों के अभाव में स्थानीय छात्र–छात्राओं का पलायन हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। उत्तर खण्ड–01 में सन्निहित है। राज्य सरकार के द्वारा विद्यालयों में नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के निमित्त छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, पोशाक, नोटबुक, छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति (सामान्य वर्ग के लिए) दी जाती है। विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से नियमित रूप से छात्र अभिभावक बैठक का प्रतिमाह आयोजन किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी विद्यालयों में समुचित प्रयोगशाला, विज्ञान भवन एवं शिक्षकों की कमी को पूरी करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खंड–01 एवं 02 में उत्तर सन्निहित है। वर्ष 2016 में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञान के अनुसार कुल 17786 पद के विरुद्ध 13923 पद पर नियुक्ति की जा चुकी है एवं शेष पदों हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा वर्त्तमान में भी अनुशंसा प्राप्त हो रही है तथा माननीय उच्च न्यायालय में भी विभिन्न मामले विचाराधीन हैं। राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग के स्थान पर समेकित माध्यमिक आचार्य संवर्ग के अंतर्गत पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है तथा इस हेतु झारखण्ड सरकारी माध्यमिक आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2025 गठित की गयी है, जिसमें जनजातीय भाषा शिक्षकों, कम्प्यूटर शिक्षकों आदि की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है, जिसके संबंध में प्रांरभिक कार्रवाई, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

21/02/26

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–20/2026.......615......./ दिनांक.....21/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26

सरकार के अवर सचिव।

615
21/02/2026

श्री प्रदीप यादव, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–13

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के (*i*) उच्च विद्यालय, बोहरा, प्रखण्ड– पोड़ैयाहाट (*ii*) उच्च विद्यालय, बुढ़ीकुरा प्रखण्ड– गोड्डा (*iii*) उच्च विद्यालय, पिण्डराहाट, प्रखण्ड– पोड़ैयाहाट (*iv*) उच्च विद्यालय, बांझी, प्रखण्ड– पोड़ैयाहाट (*v*) उच्च विद्यालय, बक्सरा, प्रखण्ड–पोड़ैयाहाट (*vi*) उच्च विद्यालय, गादीझोपा, प्रखण्ड–सरैयाहाट, जिला– दुमका में प्रयोगशाला एवं विज्ञान भवन तथा गणित एवं विज्ञान शिक्षकों का घोर अभाव है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–286 दिनांक–18.02.2026 एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका के पत्रांक–333 दिनांक–18.02.2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिला अंतर्गत संबंधित सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय में स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत T.G.T एवं P.G.T शिक्षकों की विवरणी निम्नवत है:–

क्र	विद्यालय का नाम	T.G.T			P.G.T		
		Subject	स्वीकृत	कार्यरत	Subject	स्वीकृत	कार्यरत
1.	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बोहरा, गोड्डा (माध्यमिक स्तर)	Math/Phy	1	0	Not Applicable		
		Bio/ Chem	1	0			
2	उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय, बुढ़ीकुरा, गोड्डा (उच्च माध्यमिक स्तर)	Math/Phy	1	1	Math	1	0
					Phy	1	0
		Bio/ Chem	1	1	Bio	1	0
					Chem	1	0
3	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पिंडराहाट, गोड्डा (माध्यमिक स्तर)	Math/Phy	1	1	Not Applicable		
		Bio/ Chem	1	0			
4	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बांझी, गोड्डा (माध्यमिक स्तर)	Math/Phy	1	1	Not Applicable		
		Bio/ Chem	1	1			
5	+2 उच्च विद्यालय, बक्सरा, गोड्डा (उच्च माध्यमिक स्तर)	Math/Phy	1	1	Math	1	1
					Phy	1	0
		Bio/ Chem	1	1	Bio	1	1
					Chem	1	0
6	उच्च विद्यालय, गादीझोपा, सरैयाहाट, जिला–दुमका	Math/Phy	1	1	+2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। पद स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।		
		Bio/ Chem	1	0			

उपरोक्त विद्यालयों में भवन यथा–वर्ग कक्ष, प्रयोगशाला, विज्ञान भवन एवं नामांकित छात्र की संख्या निम्नांकित प्रतिवेदित की गयी है :–

क्र	विद्यालय का नाम	Total No of Student	Class Room	Laboratory	Library	Computer Room	Art & Craft Room
1	उत्क्रमित उच्च विद्यालय,बोहरा	59	2	1	1	1	1
2	उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय, बुढ़ीकुरा	162	13	1	1	1	1
3	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पिंडराहाट	160	4	0	0	1	0
4	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बांझी	329	5	1	0	1	0
5	+2 उच्च विद्यालय,बक्सरा	497	8	0	1	1	0
6	उच्च विद्यालय,गादीझोपा, सरैयाहाट,दुमका	951	13	1	0	0	0

609
21/02/2026

डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–04		
क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों एवं प्लस टू विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक का पद सृजित नहीं है;	माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा दिनांक 23.12.2005 को एल.पी.ए. सं. 161/2004 वाद में पारित आदेश में राज्य के प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों के कुल 05 प्रतिशत पदों पर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने का आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर सिविल अपील सं. 8118–21/2010, झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम् अशोक कुमार दांगी एवं अन्य वाद में पारित आदेश दिनांक 04.07.2011 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अतएव राज्य के प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में प्राथमिक शारीरिक शिक्षकों का कोई भी पद सृजित नहीं है। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों का 1752 पद सृजित है, जिसके विरुद्ध 892 शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं तथा 860 पद रिक्त है। सरकारी +2 उच्च विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विषय के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है। राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग के स्थान पर समेकित माध्यमिक आचार्य संवर्ग के अंतर्गत पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत माध्यमिक आचार्य, शारीरिक शिक्षा का पद भी सृजित किया जाना है, जिसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर प्रारंभिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विद्यालयों में विशेषज्ञ शारीरिक शिक्षक नहीं होने से छात्र–छात्राओं को खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों से वंचित रहना पड़ रहा है;	माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों के द्वारा छात्र–छात्राओं को खेलकूद एवं शारीरिक गतिविधियाँ करायी जाती हैं। एन.सी.सी जो पूर्व में पर्यटन कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग का अंग था, वर्तमान में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत है। एन.सी.सी अंतर्गत ANO (Associate NCC Officer) होते हैं, जो शारीरिक शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण कैडेट (विद्यार्थियों) को देते हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित विद्यालयों में विशेषज्ञ शारीरिक शिक्षकों का पद सृजित करते हुए नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–01 में स्थिति अंकित की गयी है।

21/02/26
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–16/2026...609.../ दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26
सरकार के अवर सचिव।

613
21/02/2026

श्री राज सिन्हा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–31

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अन्तर्गत करीब 2450 स्कूलों सहित राज्य के लगभग 45 हजार स्कूलों में से 25 प्रतिशत स्कूलों में अबतक नल से जल नहीं पहुँच पाई है तथा उन स्कूलों में निर्माणाधीन शौचालय (विशेषकर महिला एवं बच्चियों के लिए बनी) की स्थिति दयनीय हो गई है तथा 50 प्रतिशत स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की निर्माण नहीं कराया जा सका है;	जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक 227 दिनांक 19.02.2026 एवं झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के पत्रांक–832 दिनांक 19.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि– 1. धनबाद जिला अंतर्गत कुल 1727 सरकारी विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 1711 विद्यालयों मे चापानल, एवं सप्लाई वाटर के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। कोलियरी (झरिया) क्षेत्र में MADA (Mines Area Development Authority) द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है तथा 699 विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। 2. राज्यान्तर्गत कुल 35454 सरकारी विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 34961 विद्यालयों में चापानल, एवं सप्लाई वाटर के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। क्रियाशील शौचालयों मे पानी की व्यवस्था है तथा 7889 विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। शेष अंतर में चरणबद्ध रूप से प्रतिवर्ष योजना की स्वीकृति के पश्चात् निर्माण कार्य किया जाता है। 3. विद्यालयों में नल से जल आपूर्ति योजना, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से क्रियान्वित किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि धनबाद के करीब 506 स्कूलों सहित राज्य के 13000 से अधिक स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय नहीं होने के कारण दिव्यांग छात्र–छात्राओं को कठिनाईयाँ हो रही हैं;	प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार धनबाद जिला में कुल 226 विद्यालयों में CWSN Toilet (दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय) की सुविधा उपलब्ध है तथा राज्यान्तर्गत कुल 1905 विद्यालयों में CWSN Toilet के (दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय) की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2025–26 में भारत सरकार द्वारा AWP&B (Annual Work Plan and Budget) में स्वीकृत 82 विद्यालयों में CWSN Toilet का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु CWSN Toilet निर्माण हेतु भारत सरकार/राज्य योजना एवं जिला में उपलब्ध निधि से चरणबद्ध तरीके से योजना की स्वीकृति उपरांत सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त खण्डों में वर्णित स्कूलों में शौचालय (विशेषकर महिलाएं, बच्चियों तथा दिव्यांग बच्चों), रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अविलम्ब निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर उपर्युक्त खंड–1 एवं 2 में सन्निहित है।

21/02/26

सरकार के अवर सचिव।

278
22/02/2026

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री कुमार जयमंगल (अनुप सिंह), मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–20

क्र०	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत् प्रशिक्षित एवं टेट पास CRP/BRP की नियुक्ति विज्ञापन के माध्यम् से वर्ष 2005 में हुई है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विभाग के संकल्प 649/18.05.2025 द्वारा 2011.12 में संविदा पर चयनित रिसोर्स शिक्षकों को स्नातक स्तर पर विशेष सहायक आचार्य का वेतन निर्धारण किया गया है;	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर WP(C) संख्या 132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय बनाम भारत सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष सहायक आचार्य का 3451 पद सृजित किया गया है। वैसे रिसोर्स शिक्षक जो जेटेट उत्तीर्ण हैं को भी Jharkhand Staff Selection commission के द्वारा आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तदोपरान्त संविदा आधारित रिसोर्स शिक्षकों को विशेष सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति एवं नियमानुसार वेतन दी जायेगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो विज्ञापन के माध्यम से नियुक्त CRP/BRP जो योग्यता में सहायक आचार्य से अधिक हैं तथा 20 वर्षों से कार्यरत है इनका वेतनमान इनके समकक्ष करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम मद में शैक्षिक अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन हेतु CRP/BRP का चयन किया गया था। भारत सरकार द्वारा इनका मानदेय क्रमशः रू0 12,666.00 एवं रू0 13833.00 प्रतिमाह स्वीकृत है। राज्य सरकार के संकल्प 888, दिनांक 16.07.2024 द्वारा प्रखण्ड साधनसेवी एवं संकुल साधनसेवी संविदा नियम – 2024 को स्वीकृत करते हुए इनके मानदेय में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि एवं प्रतिवर्ष 03 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ दिया गया है जो दिनांक 01.04.2024 से लागू है। वर्तमान में इनको देय मानदेय निम्नवत है:– 1. प्रखण्ड साधनसेवी (प्रशिक्षित) – रू0 27500/– 2. प्रखण्ड साधनसेवी (अप्रशिक्षित) – रू0 26000/– 3. संकुल साधनसेवी (प्रशिक्षित) – रू0 25500/– 4. संकुल साधनसेवी (अप्रशिक्षित) – रू0 23900/– BRP/CRP को सहायक आचार्य के समकक्ष वेतनमान देने से संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

22.2.2026
(जागो चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 16/वि०–अ०सू०–15/2026 278 / रॉंची, दिनांक 22/02/2026

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 4016 दिनांक 14.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.2.2026
सरकार के उप सचिव।

Khurshid

श्री रामेश्वर उराँव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–23

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात भी राज्य सरकार ने सुरक्षित वन घोषित करने की अंतिम अधिसूचना अब तक जारी नहीं की है;	भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित वन के लिए अंतिम अधिसूचना घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। मात्र आरक्षित वन के लिए अंतिम अधिसूचना घोषित करने का प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है कि वन भूमि के सीमांकन की प्रक्रिया नक्शों के सत्यापन, गैर वन भूमि का निष्कासन, अधिसूचना किए जाने वाले वन तथा निष्कासित किए गए क्षेत्र के लिए अधिसूचना का अंतिम प्रारूप जारी नहीं हो पाया है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। सुरक्षित वनभूमि के सीमांकन के पश्चात् अधिसूचित वनभूमि से निष्कासित भूमि को denotification नहीं की गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि भूमि राजस्व विभाग एवं वन विभाग के मध्य समन्वयक के अभाव के कारण वन क्षेत्र का अतिक्रमण, वन भूमि की बिक्री और खरीद तथा वन भूमि के अनाधिकृत उपयोग बड़े पैमाने पर हुआ है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अभिलेखों के मेल मिलाप नहीं होने के कारण वनभूमि को रैयती भूमि के रूप में जमाबंदी तथा दाखिल खारिज कराने/अतिक्रमण करने की कुछ मामले सामने आये हैं, जिसके विरूद्ध वन विभाग द्वारा यथोचित विधिसम्मत कार्रवाई की गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यथाशीघ्र सुरक्षित वन क्षेत्र के लिए अंतिम अधिसूचना यथाशीघ्र जारी करने का विचार रखती है; यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	इस संदर्भ में सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक– 3956 दिनांक 08.10.2024 द्वारा डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डी०जी०पी०एस०) द्वारा वन भूमि के सीमांकन,सर्वेक्षण और भू–संदर्भ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी (SOP) निर्गत है। जिसके तहत संयुक्त सर्वेक्षण के उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि०स० अल्पसूचित–23/2026– 649 राँची दिनांक– 23/02/26

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–4005, दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/02/26

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

274
22/02/2026

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री हेमलाल मुर्मू, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–02

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालयों को आवश्यकता अनुरूप संसाधन युक्त बनाने के लिए 2582 करोड खर्च करने के लिए जिलावार विद्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है और इसे समय सीमा पर लागू करने के लिए जिला के सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सरकारी विद्यालयों में व्याप्त आधारभूत संरचनाओं की कमियों को दूर करने के लिए राज्य एवं जिला स्तर के विभिन्न योजना मद में उपलब्ध राशि का उपयोग करते हुए, अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से इन आधारभूत संरचनाओं के कमियों को दूर करने के लिए संबंधित निदेशालय एवं सभी जिलों को निदेशित किया गया है। इस संदर्भ में सभी जिला के उपायुक्तों को मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक JEPC/CIV/03/1720/2025/4807 दिनांक 18.11.2025 द्वारा सभी उपायुक्त, झारखण्ड को दिशा–निदेश दिया गया है। अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से आधारभूत संरचना की कमियों को दूर करने के लिए UDISE 2024-25 के आकड़ों के आलोक में जिलावार एक कार्य योजना तैयार करते हुए संभावित व्यय रू 2583.00 करोड़ का आकलन किया गया।
2.	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना के कई जिलों/प्रखंण्डों के विद्यालयों में स्वीकृत पदों एवं विद्यार्थियों के संख्या के अनुरूप शिक्षकों को पदस्थापित नहीं किया गया है, अन्य कई बिसंगतियाँ व्याप्त है;	समय–समय पर शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के फलस्वरूप संबंधित जिलों में शिक्षकों का पदस्थापन किया जाता है। संथाल परगना जिलों के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए पदस्थापित शिक्षकों की विवरणी निम्नवत् है– (तालिका नीचे) जिला स्थापना समिति द्वारा विद्यालयों में पदस्थापन किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिलों के सरकारी विद्यालयों को संसाधन युक्त बनाने एवं शिक्षकों को समानुपातिक रूप में पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संथाल परगना प्रमण्डल के अन्तर्गत जिलों के सरकारी विद्यालयों को संसाधनयुक्त बनाने हेतु 1415 स्मार्ट क्लास, 1526 आई.सी.टी. (कम्प्यूटर शिक्षा), 177 विज्ञान लैब, 909 लाईब्रेरी, 55 स्टेम लैब एवं बेंच–डेस्क विद्यालयों में उपलब्ध कराय गया है।

क्र. सं.	जिला का नाम	कुल शिक्षक (सहायक शिक्षा एवं सहायक अध्यापक)	नियुक्ति पत्र प्राप्त सहायक आचार्य की संख्या
1	साहेबगंज	2417	186
2.	गोड्डा	3338	417
3.	जामताड़ा	2345	252
4.	पाकुड़	2039	187
5.	देवघर	4515	653
6.	दुमका	4442	390

22.2.2026
(जागो चौधरी)
सरकार के उप सचिव।
राँची, दिनांक 22/02/2026

ज्ञापांक : 16/वि०–अ०सू०–13/2026 274
प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3647 दिनांक 11.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.2.2026
सरकार के उप सचिव।

Khurshid

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

264
18/02/2026

श्री प्रदीप प्रसाद, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–06

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखण्ड में निजी स्कूलों के द्वारा विभिन्न मदों में फीस की मनमानी लगातार जारी है और प्राईवेट स्कूलों के द्वारा अभिभावकों को केवल एक ही दुकान को चिन्हित करते हुए उनको यूनिफॉर्म/ड्रेस और बुकलिस्ट की पर्ची देते हुए उसी प्राईवेट दुकान से विद्यार्थियों को किताब, कॉपी, जूता–मौजा, स्टेशनरी, स्कूल बैग और यूनिफॉर्म, इत्यादि खरीदने हेतु बाध्य किया जाता है और हर वर्ष किताबों के पब्लिशर को बदल दिया जाता है, जिससे कमाई का गोरखधंधा बदस्तूर जारी है;	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, रांची के पत्रांक–611, दिनांक– 27.03.2025 से झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम, 2017 की धारा 7 (अ) (1) के आलोक में सरकार द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा लगाए गए शुल्क विनियमित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय स्तर पर फीस समिति तथा अधिनियम की धारा 7 (अ) 2) के आलोक में निर्धारित शुल्क के विरूद्ध विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट किये गये मामले में निर्णय लेने के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला समिति के गठन का प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है कि इस प्रकार के घटनाक्रम को देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्रदान करना अब प्राईवेट स्कूलों के लिए सेवा कार्य न रखकर एक बड़ा व्यापार बन गया है, जिससे पूरा सभ्य समाज प्रभावित हो रहा है और शिक्षा के मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है;	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, रांची के पत्रांक–611, दिनांक– 27.03.2025 के द्वारा यह भी प्रावधानित है कि प्रबंधन या निजी विद्यालय द्वारा झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2017 (यथा संशोधित) या इसके तहत् बनाये गये नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में वर्णित उत्तरदायित्वों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन हेतु संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त को अधिकृत किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में तत्काल उक्त विसंगतियों को दूर करने हेतु राज्यभर के सभी प्राईवेट स्कूलों की फीस वसूली का एक मानक निर्धारित करते हुए प्राईवेट स्कूलों द्वारा जो किसी खास प्राईवेट दुकान को किताब और यूनिफॉर्म, इत्यादि के खरीद हेतु चिन्हित करने का जो गलत कार्य किया जा रहा है, उसे बंद करवाते हुए उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में उत्तर सन्निहित है।

ह०/-
18-2-2026
(जार्ज चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 16/वि०–अ०सू०–12/2026..264../
रॉंची, दिनांक 18/02/2026..

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3671 दिनांक 11.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
18-2-2026
सरकार के उप सचिव।

Khurshid

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

266
18/02/2026

श्री चन्द्रदेव महतो, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या
अ०सू०–01

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा नामांकन के समय विभिन्न प्रकार के शुल्क, वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य मदों के नाम पर अभिभावकों से भारी राशि वसूली जा रही है?	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, रांची के पत्रांक–611, दिनांक– 27.03.2025 से झारखंड शिक्षा न्यायाधीकरण संशोधन अधिनियम, 2017 की धारा 7 (अ) (1) के आलोक में सरकार द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा लगाए गए शुल्क विनियमित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय स्तर पर फीस समिति तथा अधिनियम की धारा 7 (अ) 2) के आलोक में निर्धारित शुल्क के विरुद्ध विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट किये गये मामले में निर्णय लेने के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला समिति के गठन का प्रावधान है। प्रबंधन या निजी विद्यालय द्वारा इस अधिनियम या बनाये गए या नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में वर्णित उत्तरदायित्वों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन हेतु संबंधित प्रमंडल के प्रमंलीय आयुक्त को अधिकृत किया गया है।
2.	क्या यह बात सरकार के संज्ञान में है कि प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम में अनावश्यक बदलाव किया जाता है, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की भावना के विरुद्ध है।	अस्वीकारात्मक। समय–समय पर पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव National Curriculum Framework में निहित प्रावधानों के आलोक में JCERT द्वारा किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शुल्क संरचना को पारदर्शी बनाने तथा छात्रों एवं अभिभावकों को आर्थिक शोषण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में उत्तर सन्निहित है।

18.2.2026
(जागो चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 16/वि०–अ०सू०–11/2026......266....../ रांची, दिनांक 18/02/2026...

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3646 दिनांक 11.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.2.2026
(जागो चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

Khurshid

614
21/02/2026

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या—अ.सू.—16

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष इंटरमीडियेट कॉलेजों, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसा विद्यालयों को वर्ष में एक बार छात्र संख्या एवं स्लैब के अनुसार अनुदान देती है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या—810 दिनांक—11.05.2015 (झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) (संशोधित) नियमावली, 2015) एवं संकल्प संख्या—296 दिनांक—06.02.2023 में यथा प्रावधानित स्लैब के अनुसार वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को वर्ष में एक बार अनुदान प्रदान की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि अनुदान की राशि वित्तीय वर्ष 2018—19 के पूर्व चेक माध्यम से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा सीधे संस्थाओं के खाते में भेजी जाती थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2018—19 से अनुदान की राशि जिला कोषागार में जिला शिक्षा पदाधिकारी के खाते में भेजी जा रही है;	प्रशासनिक सुविधा एवं वित्तीय प्रबंधन के दृष्टिकोण से अनुदान की राशि, वित्तीय वर्ष—2017—18 से जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवंटन के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।
3	क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के खाते में अनुदान की राशि भेजने से स्कूल, इंटर कॉलेजों के शिक्षक कर्मचारियों को सही समय पर अनुदान की राशि नहीं मिल पा रही है और राशि का बंदर बाँट होता है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अनुदान समिति द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि का आवंटन संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्गत किया जाता है, जिनके द्वारा संबंधित संस्थान के खाते में भेजी जाती है।
4	क्या यह बात सही है कि दिनांक 27.03.2020 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने अनुदान की राशि सीधे संस्थाओं के खाते में भेजने का आदेश संचिका पर दिया था, जिसका अभी तक अनुपालन नहीं हो रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा अनुदान की राशि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा सीधे विद्यालय/महाविद्यालय के खाते में अंतरित किये जाने का आदेश दिया गया था। उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग, झारखंड, रांची के द्वारा परामर्श दिया गया था कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, नियंत्री पदाधिकारी हैं, उन्हे DDO घोषित करना प्रशासनिक एवं वित्तीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है, तदनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्व की भांति शिक्षक हित में अनुदान की राशि सीधे संस्थाओं के खाते में भेजना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका—4 में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी है।

21/02/26

सरकार के अवर सचिव।

273
22/02/26

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री जयराम कुमार महतो, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–12

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 1700 पारा शिक्षकों का मानदेय यह कहकर रोक दिया गया है उनके प्रमाण–पत्र फर्जी अथवा अमान्य संस्थानों से निर्गत है;	i. आंशिक स्वीकारात्मक। ii. झारखण्ड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली, 2021 की कंडिका 12 में दिए गए प्रावधान के अनुसार कार्यरत सभी पारा शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों का सत्यापन किया गया। iii. प्रमाण–पत्र सत्यापन के क्रम में कुल 961 पारा शिक्षकों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र यथा हिन्दी सहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, हिन्दी सहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रयाग महिला विद्यापीठ एवं गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृंदावन, मथुरा, राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान, कानपुर के द्वारा निर्गत उपाधि की मान्यता नहीं है। विदित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दायर Civil Appeal संख्या 5324/2007 के मामले में हिन्दी सहित्य सम्मेलन, प्रयाग की मान्यता संबंधी मामले को खारिज कर दिया गया। iv. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में दायर LPA संख्या 10/2021 में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार बनाम सरल पंडित के मामले में दिनांक 30.08.2023 को न्यायादेश पारित किया गया जिसमें सहित्य सम्मेलन, प्रयाग के द्वारा निर्गत उपाधि को इंटरमीडिएट के समकक्ष नहीं माना गया है। v. साथ ही राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् उत्तर प्रदेश के पत्र के द्वारा उपरोक्त संस्थानों से निर्गत प्रदत्त उपाधि शिक्षा विशारद एवं शिक्षा अलंकार को समतुल्य नहीं माना गया है।
2	क्या यह बात सही है कि संबंधित पारा शिक्षक विगत 15–22 वर्षों से अधिक समय से निरंतर सेवा में कार्यरत है, उनका प्रमाण–पत्र पूर्व में संबंधित बोर्ड/संस्था द्वारा सत्यापित किया जा चुका है तथा वे विभागीय मूल्यांकन/प्रशिक्षण एवं सेवा–सम्पुष्टि की प्रक्रिया से भी गुजर चुके हैं;	पूर्व में पारा शिक्षकों के द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों को आधार मानकर शिक्षण का कार्य कराया गया। कालान्तर में इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने के कारण झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा पारा शिक्षकों का शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि प्रमाण पत्रों की जाँच करायी गयी। जाँचोपरान्त 961 पारा शिक्षकों का प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत नहीं पाये गये। यह संख्या (I-V) से 810 तथा (VI-VIII) से 151 है।

Khurshid

3	क्या यह बात सही है कि जब नियमावली/अधिसूचना सं0 238 दिनांक 14.04.2022 के तहत् प्रमाण-पत्र सत्यापन एवं सेवा-सम्पुष्टि के उपरांत उन्हें सेवा में बनाए रखा गया था;	अस्वीकारात्मक प्रमाण-पत्र सत्यापन के क्रम में कुल 961 पारा शिक्षकों का प्रमाणपत्र मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत नहीं पाया गया है। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक के पत्रांक 3351 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा कार्रवाई हेतु निदेश निर्गत है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऐसे पारा शिक्षकों के लिए कोई स्पष्ट, एकरूप एवं न्यायसंगत नीति लाने तथा ऐसे शिक्षकों के मानदेय रोकने का कोई कानूनी आधार बतलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

22.2.2026
(जागो चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 16/वि०-अ०सू०-17/2026 273 / रॉंची, दिनांक 22/02/2026

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 4017 दिनांक 14.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.2.2026
सरकार के उप सचिव।

Khurshid

281
22/02/2026

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्रीमती पूर्णिमा साहू, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या
अ०सू०–27

क्र०	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने सहायक आचार्य के 11,000 पदों के लिए प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगित परीक्षा 2023 (कक्षा 1 से 5) ली थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इसमें एक साथ परिणाम न करके समय–समय पर परिणाम जारी कर पदों को भरा जा रहा है;	वस्तुस्थिति निम्नवत् है– 1. कतिपय अभ्यर्थियों के बायोमैट्रिक मिलान नहीं होने के कारण आयोग द्वारा समिति एवं प्रक्रिया का गठन कर संबंधित अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करते हुए अलग से प्रमाण पत्रों की जाँच का आयोजन एवं परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया है। 2. प्रमाण पत्रों की जाँच की तिथि को कतिपय अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को निर्गत कारण पृच्छा के साथ प्राप्त प्रमाण पत्रों के आलोक में अतिरिक्त परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया है। 3. प्रमाण पत्रों की जाँच की तिथि को कतिपय अभ्यर्थियों के विज्ञापन द्वारा वांछित अर्हत्ता के अनुरूप शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्पष्टता के उपरांत अतिरिक्त परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि रिजल्ट में बार–बार संशोधन किया जा रहा है और अब तक कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं की गयी है;	माननीय उच्चतम न्यायालय की त्रिसदस्यीय पीठ द्वारा सिविल अपील सं0–8259/2019 Government of NCT Delhi and Other Vs. Pradeep Kumar and other वाद में दिनांक 24.10.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 के अंतर्गत प्रथम चरण के तहत पूर्व प्रकाशित परीक्षाफल को संशोधित करते हुए पुनः परीक्षाफल प्रकाशित किया गया। झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2023 से संबंधित याचिका संख्या W.P(S) 813/2026 श्रीराम प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 10.02.2026 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में परीक्षा अन्तर्गत इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 01 से 05) में अद्यतन प्रकाशित परीक्षाफल में सम्मिलित कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के आवश्यक सूचना संख्या 99 दिनांक 16.02.2026 एवं आवश्यक सूचना संख्या 101 दिनांक 18.02.2026 के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

Khurshid

4	क्या यह बात सही है कि कोटिवार कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं होने से अभ्यार्थियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, साथ ही अब तक कितने पदों पर कोटिवार बहाली हुई है इसकी भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गयी है;	1. उपर्युक्त कंडिका–3 के अंतर्गत इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 01 से 05) में अद्यतन प्रकाशित परीक्षाफल में सम्मिलित कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गयी है। 2. संबंधित परीक्षा अंतर्गत आयोग द्वारा सभी परीक्षाफलों (संशोधन सहित) का प्रकाशन कोटिवार किया गया है। उक्त सभी परीक्षाफल आयोग के अधिकृत वेबसाईट https://jssc.jharkhand.gov.in/पर प्रकाशित एवं उपलब्ध है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कबतक कोटिवार कट ऑफ मार्क्स जारी किए जाने और अब तक कोटिवार कितने रिक्त पदों पर बहाली हो चुकी है तथा बहाली प्रक्रिया कब तक पूरी होगी से संबंधित जानकारी देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2023, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के अंतर्गत विभिन्न वादों से आच्छादित है। उक्त वादों में माननीय न्यायालय में संपन्न सुनवाई के आलोक में आयोग द्वारा तत्परता से नियमानुसार बहाली प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

22.2.2026

(जागो चौधरी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 16 / वि०–अ०सू०–19 / 2026........281......... /   राँची, दिनांक.....22/02/2026

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 4028 दिनांक 15.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.2.2026

सरकार के उप सचिव।

Khurshid

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री नवीन जयसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–24.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–24 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर–सामग्री
01	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 एवं संशोधित अधिनियम, 2006 के धारा 24 में जैक में वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं एकेडमिक पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है एवं उक्त पदों की नियुक्ति कुछ अहर्ता के अनुरूप पूर्णकालिक होता है;	i) स्वीकारात्मक। ii) वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 एवं संशोधित अधिनियम, 2006 की धारा 14(ग),(घ) एवं (ङ) के तहत जैक में वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं एकेडमिक पदाधिकारी की नियुक्ति एवं अहर्ता का प्रावधान किया गया है तथा ये सभी पद पूर्णकालिक है। iii) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के संबंधित संशोधित अधिनियम, 2006 की छायाप्रति (परिशिष्ट – क) संलग्न।
02	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् में कोई भी परीक्षा नियंत्रक के कार्य पद में नहीं हैं, साथ ही पिछले 8 वर्षों से परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त है;	i) स्वीकारात्मक। ii) परिषद् के पूर्व परीक्षा नियंत्रक, डॉ सत्यजीत कुमार सिंह के विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्त हो जाने के पश्चात् उनके त्याग पत्र से यह पद दिनांक 31.07.18 के प्रभाव से रिक्त है। iii) वस्तु स्थिति यह है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची के विज्ञप्ति संख्या 85/2022 के द्वारा संविदा के आधार पर परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। परन्तु उक्त प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में चयन की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी। iv) संयुक्त सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्य करने हेतु परिषद् द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

		v) परिषद् की आगामी बैठक में परीक्षा नियंत्रक के पद पर पूर्णकालिक चयन के संबंध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव रखा जायेगा तथा तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
03	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् में उल्लेखित नियमों के विपरीत वित्त पदाधिकारी एवं एकेडमिक पदाधिकारी संविदा पर कार्य कर रहे हैं;	सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के ज्ञापांक–140/26 दिनांक–20.02.2026 से प्राप्त सूचना के अनुसार– i) वित्त पदाधिकारी, एकेडमिक पदाधिकारी एवं विशेष कार्य पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति संविदा पर विज्ञप्ति संख्या 72/2015 के आलोक में विहित प्रक्रिया के तहत हुई है तथा क्रमशः वित्त पदाधिकारी दिनांक–23.02.2016 से, शैक्षिक पदाधिकारी दिनांक 25.02.2016 से एवं विशेष कार्य पदाधिकारी दिनांक–12.04.2016 से योगदान कर कार्यरत है। ii) परिषद् द्वारा वित्त पदाधिकारी, एकेडेमिक पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य पदों पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या 85/2022 प्रकाशित की गई। iii) उक्त प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध वित्त पदाधिकारी, श्री राजेश कुमार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या WP(S)26 of 2023 दायर किया गया था। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वादी के याचिका को Premature मानते हुए Dismiss कर दिया गया। वित्त पदाधिकारी द्वारा संदर्भित न्यायादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में Civil Review Petition No.& 03/2023 दायर किया गया है जो माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रक्रियाधीन है। iv) शैक्षिक पदाधिकारी, श्री प्रशांत पाण्डेय के द्वारा भी समान रूप से प्रकाशित विज्ञापन पर चयन की कार्रवाई के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या 179 of 2023 दायर की गई। संदर्भित वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2023 को निम्न कार्यकारी आदेश पारित किया गया है :–

		"If the Petitioner is working, he will not be removed nor the status of the Petitioner will be disturbed without the leave of this Court" उक्त आदेश के विरूद्ध जैक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपीलवाद दायर नहीं किया गया है एवं उक्त पदाधिकारियों की संविदावधि विस्तारित नहीं की गयी है। अंतरिम व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य लिया जा रहा है। सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के ज्ञापांक–140/26 दिनांक–20.02.2026 से प्राप्त सूचना के अनुसार– इन पदों पर पूर्णकालिक नियुक्ति हेतु विज्ञापन के प्रकाशन पर विचार एवं निर्णय हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के आगामी बैठक में प्रस्ताव रखते हुए तद्नुसार परिषद् के निर्णय के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जायेगी।
04	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम के तहत वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं एकेडमिक पदाधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में उत्तर सन्निहित।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 03/विधान–01/2026.360/ राँची, दिनांक :..22/02/26../

प्रतिलिपि : 200 प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–4031/वि.स. दिनांक–15.02.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुप कुमार 22/02/26

(अनुप कुमार)
सरकार के उप सचिव।

परिशिष्ट (क)

22

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-91 26 माघ, 1928 शकाब्द
राँची, गुरुवार, 15 फरवरी, 2007

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

15 फरवरी, 2007

संख्या-एल०जी०-9/2002-06/लेज०[illegible]—झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 7 फरवरी, 2007 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2006
(झारखण्ड अधिनियम 2, 2007)

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 (अधिनियम 2, 2003) के संशोधन हेतु अधिनियम ।

प्रस्तावना :-

चूँकि, इन्टरमीडिएट शिक्षा (+2), माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा [illegible] झारखण्ड राज्य में एक अधिविद्य परिषद् की स्थापना हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम (झारखण्ड अधिनियम 2, 2003) को अधिनियमित किया गया था, जो अधिविद्य परिषद् ऐसी परीक्षा के [illegible] और इन्टरमीडिएट शिक्षा संस्थाओं, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसा की मान्यता के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी तथा इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित यथाविनिर्दिष्ट अन्य विषयों को भी [illegible] क्रियान्वित करेगी ।

और, चूँकि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 को अधिनियमित के उपरान्त परिषद् को समनुदेशित कार्यों के निर्वहन करने में यह प्रतीत हुआ कि कुछ महत्त्वपूर्ण उपबंध, जैसे परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, पदच्युति/परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों की [illegible], परिषद् के कार्य-संचालन, परिषद् को समनुदेशित कार्यों के निष्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों का उपबंध, संस्थाओं के लिए शासी निकाय या प्रबंध समिति के गठन का उपबंध नहीं है या उपबंधों का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण, परिषद् को अपने कार्यों एवं कर्तव्यों के निर्बाध निर्वहन में कठिनाई का बोध हो रहा था अतः यह आवश्यक हो गया है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 का संशोधन किया जाये ।

(3) परीक्षा समिति का कृत्य होगा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में परीक्षकों, प्रश्न-पत्र [illegible], अनुसीमकों, सारणीकारों, कोडकों, पर्यवेक्षकों तथा अन्य पदाधिकारियों के चयन में अध्यक्ष को परामर्श देना।

(4) वित्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

(क) परिषद् के वार्षिक प्राक्कलन का निर्माण।

(ख) परिषद् के बजट के अनुरूप संबंधी कार्य।

(ग) समय-समय पर परिषद् द्वारा सौंपे गए वित्तीय कार्य का निष्पादन करना।

(घ) परिषद् को वित्तीय मामलों में परामर्श देना।

8. अधिनियम की धारा-10 में निम्नलिखित जोड़े जायेंगे :-

(i) अध्यक्ष

(ii) संयुक्त सचिव

(iii) वित्त पदाधिकारी

(iv) परीक्षा नियंत्रक

(v) शैक्षणिक पदाधिकारी

9. धारा-11 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित होगी

11(1) अध्यक्ष की नियुक्ति, पदावधि, सेवा शर्तें तथा परिलब्धि :-

(क) कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं होगा जब तक कि वह अपनी विद्वता, [illegible] तथा प्रशासनिक क्षमता के लिए ख्याति प्राप्त न हो।

(ख) अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् का एक पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा तथा अपने पद पर तीन वर्षों तक बना रहेगा।

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर अवधि को घटा सकती है, यदि कोई कार्य नहीं करना चाहता है या कार्य करने में असमर्थ है या राज्य सरकार की मान्यता है कि वह परिषद् के हित के विरुद्ध काम कर रहा है।

(ग)(i) राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति के समान अध्यक्ष को वेतन एवं सेवा शर्तें होंगी।

परिषद् के अनुसमर्थन के अध्यधीन, कर्मचारियों के स्वीकृत संवर्ग एवं वेतनमान में तथा अन्य अनुसचिवीय कर्मचारी (परिषद् के पदाधिकारियों के अतिरिक्त) के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति करने की शक्ति होगी एवं उन पर पूर्ण अनुशासनात्मक शक्ति तथा नियंत्रण होगा ।

13 (7) अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :—

(क) परिषद् के सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण ।

(ख) पाठ्य बोर्ड एवं समितियों के सदस्यों को जैसा वह उचित समझे, कार्य सुपुर्द करने, और

(ग) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर सचिव एवं परिषद् के सदस्यों को यात्रा भत्ता स्वीकृत करने की ।

12. धारा-14, धारा-14(क) पढ़ी जायेगी और धारा-14 में निम्नलिखित 14 (ख), (ग), (घ), एवं (ङ) जोड़े जायेंगे।

14 (ख) संयुक्त सचिव की अर्हता एवं कर्तव्य :—

(i) संयुक्त सचिव एक पूर्ण कालिक पदाधिकारी होंगे, वह जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर के समतुल्य कोटि का पदाधिकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किया जायेगा ।

(ii) वह अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे और समय-समय पर प्रत्यायोजित कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

(iii) संयुक्त सचिव के दो पद होंगे, एक संयुक्त सचिव परिषद् की स्थापना एवं प्रशासन का प्रभारी होगा और दूसरा संयुक्त सचिव इण्टरमीडिएट महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, मदरसा एवं मध्यमा (संस्कृत) विद्यालयों की स्थापना संबंधी कार्य का प्रभारी होगा ।

14 (ग) वित्त पदाधिकारी की अर्हता एवं कर्तव्य :—

(क) वित्त पदाधिकारी परिषद् का पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा ।

(ख) उसे दस वर्षों का वित्तीय प्रबंधन का अनुभव हो एवं लेखा, अंकेक्षण और बजट प्रक्रिया का विशद ज्ञान हो ।

(ग) वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी की स्नातक डिग्री तथा वित्तीय प्रबंधन में एम०बी०ए० डिग्री होनी चाहिए ।

(घ) परिषद् द्वारा उसकी नियुक्ति होगी ।

(ङ) वह वित्त समिति के सचिव के रूप में काम करेगा तथा अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित कर्तव्यों एवं शक्तियों का निर्वहन करेगा ।

(ग) उसका वेतनमान संयुक्त सचिव के वेतनमान के अनुरूप होगा ।

14 (घ) परीक्षा नियंत्रक की अर्हता एवं कर्त्तव्य :-

(i) परीक्षा नियंत्रक परिषद् का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा ।

(ii) जो विश्वविद्यालय प्रोफेसर भी या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो और उसे विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर या समकक्ष अर्हता प्राप्त हो ।

(iii) परिषद् द्वारा उनकी नियुक्ति होगी ।

(iv) परीक्षा नियंत्रक सभी परीक्षाओं (इन्टरमीडिएट/+2, माध्यमिक विद्यालयों, मदरसा एवं मध्यमा (संस्कृत) को संचालन में तथा समय पर परीक्षाफल प्रकाशन में प्रभारी की भूमिका होगा ।

14 (ङ) शैक्षिक पदाधिकारी की अर्हता एवं कर्त्तव्य :-

(i) शैक्षिक पदाधिकारी परिषद् द्वारा नियुक्त एवं पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा ।

(ii) उसे विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर या समकक्ष अर्हता होनी चाहिए या उसे किसी डिग्री कॉलेज में शिक्षण अथवा परिषद् या अन्य संगठनों में प्रशासन का कम-से-कम 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो ।

15. [illegible] :-

धारा-19 में मूल शब्द की दूसरी पंक्ति में निम्नलिखित विलोपित किया जाय :

[illegible] की अधिकतम अवधि में [illegible]

16. धारा-20 (?) विलोपित की गयी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
[illegible] कुमार,
सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

(18)

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
W.P.(S) No. 179 of 2023

Dr. Prashant Pandey ... Petitioner

-versus-

The State of Jharkhand & Others ... Respondents

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE ANANDA SEN

For the Petitioner : Dr. A.K. Singh, Advocate
Mr. Shivam Singh, Advocate
Ms. Madhu Priya, Advocate

For the Respondents : Mr. Anil Kumar Singh, AC to GP I

2/ 25.01.2023 Dr. A.K. Singh, learned counsel for the petitioner submits that he will remove the defects in course of the day.

Respondents are directed to file counter affidavit in this case within six weeks.

If the petitioner is working, he will not be removed nor the status of the petitioner will be disturbed without the leave of this Court.

(Ananda Sen, J.)

(17)

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
Civil Review No. 3 of 2023

Rajesh Kumar ... Petitioner(s).

Versus

The State of Jharkhand & Ors. ... Respondent(s).

With

W.P.(S) No. 179 of 2023

Dr. Prashant Pandey ... Petitioner(s).

Versus

The State of Jharkhand & Ors. ... Respondent(s).

CORAM :SRI ANANDA SEN, J.

For the Petitioner(s) : Mr. Sameer Sahayr, Advocate
For the JAC : Mr. Krishna Murari, Advocate

04/31.01.2025:

On the request of the learned counsel for the respondents, list these cases in the next week.

(ANANDA SEN, J.)

KNR

-2-

282
22.02.2026

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री राजेश कच्छप, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–35

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न
क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–</th><th>उत्तर
माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य में काफी उतार चढ़ाव के पश्चात कक्षा VI से VIII तक के लिए सहायक आचार्य के 26001 पद पर नियुक्ति प्रकिया प्रारंभ हुई;</td><td>कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के माध्यम से सहायक आचार्य के कक्षा I से V तथा VI से VIII तक के लिए सहायक आचार्य के कुल 26001 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हुई।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित पदों में से कुल 15409 से 16653 पद रिक्त रह गई जिसमें पारा शिक्षक श्रेणी के सर्वाधिक पद है;</td><td>1. झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2023 के आधार पर सहायक आचार्य के कक्षा VI से VIII तक के रिक्त पदों के विरूद्ध आयोग द्वारा प्रकाशित अद्यतन परीक्षाफल निम्नवत् है :–
(क) पारा कोटि (कक्षा VI से VIII)
<table>
<tr><th>पदनाम</th><th>पारा कोटि की अधियाचित रिक्ति</th><th>लिखित परीक्षा में सफल (विज्ञापन द्वारा वांछित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले) अभ्यर्थी</th><th>अद्यतन प्रकाशित परीक्षाफल</th></tr>
<tr><td>गणित एवं विज्ञान शिक्षक</td><td>2470</td><td>504</td><td>295</td></tr>
<tr><td>भाषा शिक्षक</td><td>2463</td><td>411</td><td>203</td></tr>
<tr><td>सामाजिक विज्ञान शिक्षक</td><td>2467</td><td>2265</td><td>1090</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>7400</td><td>3180</td><td>1588</td></tr>
</table>
(ख) गैर पारा कोटि (कक्षा VI से VIII)
<table>
<tr><th>पदनाम</th><th>गैर पारा कोटि की अधियाचित रिक्ति</th><th>लिखित परीक्षा में सफल (विज्ञापन द्वारा वांछित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले) अभ्यर्थी</th><th>अद्यतन प्रकाशित परीक्षाफल</th></tr>
<tr><td>गणित एवं विज्ञान शिक्षक</td><td>2538</td><td>2230</td><td>1470</td></tr>
<tr><td>भाषा शिक्षक</td><td>2528</td><td>1221</td><td>842</td></tr>
<tr><td>सामाजिक विज्ञान शिक्षक</td><td>2535</td><td>6536 (प्रमाण पत्रों के जांच हेतु कुल 3039 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया</td><td>2205</td></tr>
</table>
टिप्पणी :–
1. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा की पारा कोटि के अभ्यर्थी मेधा के आधार पर परीक्षाफल अंतर्गत गैर पारा कोटि में सम्मिलित हैं।</td></tr>
</table>

Khurshid

		2. इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 01 से 05) के अंतर्गत पारा कोटि में कुल अधियाचित रिक्ति के विरूद्ध पारा कोटि में अद्यतन 1833 एवं गैर पारा कोटि में 3362 परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। 3. इस प्रकार आयोग द्वारा सभी पदों के अंतर्गत 11300 परीक्षाफल प्रकाशित करते हुए अबतक 10213 पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग को अनुशंसा भेजी जा चुकी है।
3	क्या यह बात सही है कि विज्ञान विषय की 5008 पद में से 3325 पद तथा गणित विषय की 4991 पद से 3932 पद रिक्त रह गई है;	गणित एवं विज्ञान शिक्षक के 5008 कुल रिक्ति के विरूद्ध मात्र 2734 अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में वांछित न्यूनतम अर्हत्तांक प्राप्त है। अतः सभी 2734 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के उपरांत अबतक कुल–1765 पदों का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। शेष 969 में से भिन्न–भिन्न कोटि के 182 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल विज्ञापन में निहित शर्तों संबंधी विविध कारणों से लंबित है, जिसमें से 140 अभ्यर्थी B.ed अंतर्गत द्विवर्षीय सत्र से संबंधित है, जिनका मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। 97 अभ्यर्थी प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे हैं। अवशेष 690 अभ्यर्थी विज्ञापन द्वारा निर्धारित अर्हत्ता को पूर्ण नहीं करते हैं अथवा विज्ञापन द्वारा आरक्षित वर्गों के लिए अधियाचित रिक्ति के अतिरेक हैं।
4	क्या यह बात सही है कि आरक्षित श्रेणी के 7400 पदों में से 5838 पद जबकि गैर पारा में 3388 पद रिक्त रह गये;	उपर्युक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के क्रमानुसार झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2023 अंतर्गत कक्षा 06 से 08 के सभी तीन विषयों के पारा कोटि में कुल आरक्षित 4393 अधियाचित रिक्तियों के विरूद्ध 819 का परीक्षाफल प्रकाशित है तथा उपर्युक्त विषयों के गैर पारा कोटि में कुल–4551 अधियाचित रिक्तियों के विरूद्ध 2325 का परीक्षाफल प्रकाशित है। 2. इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 01 से 05) के पारा कोटि में कुल आरक्षित 3264 अधियाचित रिक्तियों के विरूद्ध 820 का परीक्षाफल प्रकाशित है तथा उपर्युक्त विषयों के गैर पारा कोटि में कुल–3315 अधियाचित रिक्तियों के विरूद्ध 1823 का परीक्षाफल प्रकाशित है। 1. उल्लेखनीय है कि पारा कोटि के अभ्यर्थी मेधा के आधार पर परीक्षाफल अंतर्गत गैर पारा कोटि में सम्मिलित हैं। 2. उपर्युक्त आंकड़ा औपबंधिक है, अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत उक्त आंकड़ों में परिवर्तन संभावित है। अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जाँच की तिथि को कतिपय अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अनुपलब्धता/अभ्यर्थियों के विज्ञापन द्वारा वांछित अर्हत्ता के अनुरूप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों

Khurshid

		की अस्पष्टता तथा माननीय न्यायालय में विचाराधीन विभिन्न वादों के आलोक में सभी विषयों के अंतर्गत पद लंबित रखे गए हैं।
5	क्या यह बात सही है कि कुल मिलाकर Reserved Category के 10 हजार से अधिक पद रिक्त रह गई है जो चिंता का विषय है;	झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड, रांची द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नवत् है– उपर्युक्त खण्ड–2 एवं खण्ड 3 के क्रमानुसार कक्षा 06 से 08 के सभी तीन विषयों सहित इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 01 से 05) के आरक्षित वर्गों की पारा एवं गैर पारा कोटि में अधियाचित रिक्तियों की तुलना में झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2023 के लिखित परीक्षा में विज्ञापन द्वारा वांछित न्यूनतम अर्हत्तांक अप्राप्त रहने की अवस्था में विभिन्न आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थी मेधासूची के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। 2. उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय में लंबित वादों एवं विज्ञापन में निहित शर्तों संबंधी विविध कारणों से लंबित रखे गए परीक्षाफल प्रकाशन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
6	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिक्त पदों को भरने तथा आरक्षित पदों को अक्षुण रखते हुए नियुक्ति करने तथा किन कारणों से इतने अधिक संख्या में सीटें रिक्त रह गई है का उच्चस्तरीय जाँच करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर खण्ड 2, 3 एवं 4 में सन्निहित है।

22.2.2026
(जॉगी चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 16/वि०–अ०सू०–27/2026.......282........./ रांची, दिनांक...22.02.2026

प्रतिलिपि : 200 प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 4229 दिनांक 19.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.2.2026
सरकार के उप सचिव।

Khushbu

झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

षष्ठम् झारखण्ड विधान–सभा
पंचम् (बजट) सत्र
वर्ग– 02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 05 फाल्गुन, 1947 (श0) को 24 फरवरी, 2026 (ई0)

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
133–	ख– 05	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	बालू उपलब्ध कराना।	खान एवं भूतत्व	13.02.2026
134–	टन–33	श्री उदय शंकर सिंह	इनडोर स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	16.02.2026
135–	टन–08	श्री नागेन्द्र महतो	समुचित विकास करना।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	11.02.2026
136–	शि–14	श्री रामचन्द्र सिंह	राशि वृद्धि करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.02.2026
137–	टन–14	श्री सुरेश पासवान	राजस्व वृद्धि करना।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	13.02.2026
138–	टन–06	श्री संजय कुमार सिंह यादव	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	11.02.2026
139–	शि–18	श्री अमित कुमार यादव	छात्राओं को लाभ देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.02.2026
		(महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को हस्तांतरित)			
140–	उत–10	श्री राजेश कच्छप	कार्रवाई करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	16.02.2026

01	02.	03.	04.	05.	06
141–	शि–23	श्री भूषण बड़ा	स्थायी नियुक्ति करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.02.2026
142–	शि–16	श्री मंगल कालिन्दी	विद्यालय का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.02.2026
143–	शि–12	श्री प्रदीप यादव	उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.02.2026
144–	वन–02	श्री मथुरा प्रसाद महतो	मुआवजा राशि बढ़ाना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	27.01.2026
145–	उ– 04	श्रीमती श्वेता सिंह	योजना लागू करना।	उद्योग	11.02.2026
146–	सूई–02	श्री नवीन जायसवाल	सुविधा देना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गर्वेन्स	15.02.2026
147–	शि–24	मो0 ताजुद्दीन	गर्ल्स हाई स्कूल खोलना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.02.2026
148–	उ– 09	श्री उदय शंकर सिंह	विकसित करना।	उद्योग	16.02.2026
149–	शि–17	श्री प्रकाश राम	पढ़ाई की व्यवस्था करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.02.2026
150–	वन–15	श्री रोशन लाल चौधरी	जाँच कराना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	16.02.2026
151–	टन–09	श्री नागेन्द्र महतो	आधारभूत संरचना का विकास	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	11.02.2026
152–	उ– 02	श्री चन्द्रदेव महतो	प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।	उद्योग	11.02.2026
153–	शि–19	श्री दशरथ गागराई	भवनों का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.02.2026
154–	शि–20	मो0 ताजुद्दीन	बहाली करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13.02.2026
155–	टन–15	श्री रामचन्द्र सिंह	पार्क निर्माण कराना।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	13.02.2026
156–	शि–25	श्री धनंजय सोरेन	पदस्थापन करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	15.02.2026

कृ0पृ0उ0–

01	02.	03.	04.	05.	06
157—	टन—24	श्री जगत माझी	आकर्षण स्थल बनाना।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	13.02.2026
158—	सूई—01	श्रीमती श्वेता सिंह	STPI की स्थापना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई—गर्वेन्स	11.02.2026
159—	टन—07	श्री जिगा सुसारन होरो	संसाधनों का निर्माण।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	11.02.2026
160—	उ— 05	श्री अमित कुमार	नौकरी या मुआवजा देना।	उद्योग	11.02.2026
161—	उ— 10	श्री जनार्दन पासवान	बढ़ावा देना।	उद्योग	16.02.2026
162—	टन—03	श्री विकास कुमार मुण्डा	विश्रामगृह का निर्माण।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	11.02.2026
'क' 163—	टन—22	श्री प्रकाश राम	कार्रवाई करना।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	13.02.2026
164—	टन—27	श्री विकास कुमार मुण्डा	विश्वविद्यालय की स्थापना।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	16.02.2026
165—	उत—04	श्री मथुरा प्रसाद महतो	भवन का निर्माण।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	10.02.2026
166—	सूई—03	डॉ0 लुईस मराण्डी	नेटवर्क का विस्तार।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई—गर्वेन्स	17.02.2026
167—	शि—22	श्री सुखराम उराँव	स्टेडियम का जीर्णोद्धार।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.02.2026
168—	ख—06	श्री रोशन लाल चौधरी	समिति गठित करना।	खान एवं भूतत्व	16.02.2026
169—	शि—33	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	कुशल मजदूरी देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.02.2026
170—	टन—32	श्री जनार्दन पासवान	पर्यटन स्थल का विकास	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	16.02.2026
171—	टन—31	श्री सुखराम उराँव	विकसित करना।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	16.02.2026
172—	टन—36	श्री उमाकान्त रजक	कार्रवाई करना।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	15.02.2026
173—	उत—05	श्री संजय कुमार सिंह यादव	कॉलेज स्थापित करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	11.02.2026

कृ0पृ0उ0/—

174—	टन—26	श्री सोनाराम सिंकू	सौंदर्यीकरण करना।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	16.02.2026
175—	टन—16	श्री सुरेश पासवान	पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	13.02.2026
176—	शि—31	श्री शत्रुघ्न महतो	उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.02.2026
177—	टन—23	श्री जगत माझी	सुविधा उपलब्ध कराना।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	13.02.2026
178—	टन—28	श्री मनोज कुमार यादव	इनडोर स्टेडियम का पुर्ननिर्माण।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	16.02.2026
179—	शि—32	श्री शत्रुघ्न महतो	उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.02.2026
180—	टन—20	श्री अमित कुमार यादव	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	13.02.2026
181—	टन—38	श्री धनन्जय सोरेन	पर्यटन केन्द्र बनाना	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	17.02.2026
182—	वन—16	श्री सरयू राय	अभ्यारण्य घोषित करना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	16.02.2026
183—	वन—04	श्री अमित कुमार	कानूनी कार्रवाई कराना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	11.02.2026
184—	टन—35	श्रीमती मंजू कुमारी	महोत्सव का नियमित आयोजन।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	15.02.2026
185—	शि—04	श्री जिगा सुसारन होरो	कमरों का निर्माण कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.2026
186—	वन—21	श्री राज सिन्हा	राशि की स्वीकृति देना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	17.02.2026
187—	उ— 01	डॉ0 नीरा यादव	उद्योग लगाना।	उद्योग	27.01.2026
188—	शि—29	श्रीमती सबिता महतो	विद्यालय को उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.02.2026
189—	शि—03	श्री आलोक कुमार चौरसिया	विद्यालय की स्थापना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.2026
190—	वन—11	श्री कुमार उज्जवल	पर्यटन केन्द्र को विकसित करना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	14.02.2026

कृ0पृ0उ0—

191—	शि—15	श्री कुमार उज्जवल	तड़ित चालक लगाना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.02.2026
192—	ख—01	डॉ0 नीरा यादव	अनियमितता की जाँच	खान एवं भूतत्व	27.01.2026
193—	टन—01	श्री अरूप चटर्जी	स्मारक स्थल विकसित करना।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	27.01.2026
194—	शि—21	श्री सोनाराम सिंकू	भवन निर्माण करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.02.2026
* 195—	वन—17	श्री भूषण बड़ा	सार्थक कदम उठाना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	16.02.2026
196—	वन—19	श्री उमाकान्त रजक	समुचित कार्रवाई करना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	17.02.2026
197—	उत—02	श्री आलोक कुमार चौरसिया	डिग्री कॉलेज की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	11.02.2026
'ख' 198—	शि—02	श्री निर्मल महतो	क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का पढ़ाई।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.2026
199—	उत—16	श्रीमती पूर्णिमा साहू	कॉलेज शुरू कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	17.02.2026
200—	वन—06	श्री प्रदीप प्रसाद	वसूली बंद करना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	11.02.2026
'ग' 201—	उत—07	श्री अनन्त प्रताप देव	प्रशिक्षण प्रारंभ करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	13.02.2026
202—	टन—10	श्री मनोज कुमार यादव	पर्यटकीय विकास कराना।	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 कार्य	13.02.2026
203—	शि—27	श्री दशरथ गागराई	वेतन भुगतान करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	15.02.2026
204—	टन—11	श्री अनन्त प्रताप देव	डैम का विकास	पर्यटन कला सं0 खे0कू0एवंयु0 काय	13.02.2026
205—	शि—30	श्रीमती सबिता महतो	शिक्षकों का पदस्थापन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.02.2026
206—	वन—07	श्री निर्मल महतो	कॉरिडोर बनाना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	11.02.2026

नोट– 'क' 163– टन–22 पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के ज्ञापांक– 281, दिनांक– 16.02.26 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित।

'ख' 198– शि–02 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के ज्ञापांक– 304, दिनांक– 16.02.26 के द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को स्थानांतरित।

'ग' 201– उत–07 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ज्ञापांक– 392, दिनांक– 17.02.26 के द्वारा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को स्थानांतरित।

रांची,
दिनांक– 24 फरवरी, 2026 (ई0)।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रांची।

कृ0पृ0उ0–

*→ 195-वन-17 – वन, पर्या० एवं जल० परि० विभाग के ज्ञापांक-622 दिनांक-20.02.2026 के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, कृषि, पशु० एवं सहकारिता विभाग, एवं अनु० जन०, अनु० जा०, अल्प० एवं पि० वर्ग कल्याण विभाग में हस्तांतरित।

ज्ञाप संख्या– झा0वि0स0 (प्रश्न)– 08/25–....4370..../वि0स0, रांची, दिनांक–23/02/26

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ माननीय नेता प्रतिपक्ष / माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

22.02.26

(महेश नारायण सिंह)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0वि0स0 (प्रश्न)– 08/25–.....4370...../वि0स0, रांची, दिनांक–23/02/26

प्रतिः– अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय/उप सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

22.02.26

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0वि0स0 (प्रश्न)– 08/25–....4370..../वि0स0, रांची, दिनांक–23/02/26

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/वेबसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा/आश्वासन शाखा एवं जे0भी0एस0 टी0भी शाखा, झारखण्ड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

22.02.26

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

सुभाष/–

21/02/2026

श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–05

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018 से पहले बालू घाट बिना किसी कैटेगरी के लघु खनिज की श्रेणी में था;	अस्वीकारात्मक। राज्य अन्तर्गत Streams/Rivers को Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 (झारखण्ड गजट अधिसूचना संख्या– 581 दिनांक 18.08.2017) के अनुपालन में जिला सर्वेक्षण समिति द्वारा Category-I एवं Category-II में विभाजित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेसा कानून 1996 के धारा 4(ट), (ठ) के प्रावधानों के तहत लघु खनिजों का खनन पट्टा या नीलामी का कार्य सुझाव और अनुमति से ही किया जाना है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखण्ड नियमावली, 2025 के नियम–30(ii) तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के नियम–5(4) में प्रावधान है कि "अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित ग्राम सभा अथवा समुचित पंचायत स्तर की "स्वतंत्र पूर्व संसूचित सहमति" के बिना लघु खनिज का कोई खनन पट्टा अथवा खुली खान अनुमति पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।" का अनुपालन किया जा रहा है और Jharkhand Sand Mining Rules, 2025 के अनुसार जिला स्तर से बालू खनिज की नीलामी की जा रही है।
3	क्या यह बात सही है कि खनन विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के बालू घाटों का नीलामी के शर्त में बालू घाटों के अनुमानित भण्डार के कीमत का 50% सकल बिक्री (टर्नओवर) का शर्त ग्राम सभा के बिना परामर्श और अनुमति के रखना अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं के अधिकारों के विरुद्ध है;	
4	क्या यह बात सही है कि खनन विभाग द्वारा सिमडेगा जिला समेत कई जिलों में बालू घाटों का नीलामी का नोटिस के बाद भी नीलामी का एक यह शर्त कि बालू घाटों के अनुमानित भण्डार के कीमत का 50% सकल (टन ओवर) जो अत्याधिक होने के कारण कई बालू घाटों का नीलामी नहीं हो पाया है जिससे जरूरतमंद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और राजस्व की भी हानि हो रही है;	अस्वीकारात्मक। जिले से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार झारखण्ड बालू खनिज नियमावली, 2025 के तहत सिमडेगा जिलान्तर्गत Category-II के एक घाट (पिथरा–II & तिलगा) का ई–नीलामी के पश्चात् LOI निर्गत है शेष 13 बालूघाटों की नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। Category-I के 05 बालूघाट संचालित है, जिससे प्रखण्ड/पंचायत स्तर के सरकारी योजनाओं एवं ग्रामीण कार्यों में बालू की आपूर्ति की जाती है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बालू घाटों का कैटेगरी को खत्म कर अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को खनन के क्षेत्र में अधिकार देने के साथ लोगों को सरलता पूर्वक बालू देकर राहत देना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपरोक्त क्रमांक–1, 2 एवं 3

झारखण्ड सरकार
<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>

ज्ञापांक:–वि०स०(तारा0)–11/2026 330 /एम०, राँची, दिनांक:– 20/02/26

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–3926 दिनांक–13.02.2026 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20.2.26
सरकार के उप सचिव

श्री उदय शंकर सिंह, मा० स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–24.02.2026 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–33 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री उदय शंकर सिंह, मा० सदस्य विधान सभा	श्री सुदिव्य कुमार, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सारठ विधानसभा क्षेत्र में खेलों को बढ़वा देने के उद्देश्य से इंडोर स्टेडियम का निर्माण अब तक नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2009–10 में सारठ प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई जो अद्यावधि निर्मित है।
2	क्या यह बात सही है कि इंडोर स्टेडियम का निर्माण होने से बैडमिन्टन, बास्केटबॉल, बॉलबॉल, कुश्ती आदि खेलों की सुविधा होगी, जिससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण मिल सकेगा तथा भविष्य में वे झारखण्ड का नाम देश–विदेश में रोशन कर सकेंगे;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सारठ विधानसभा क्षेत्र के सारठ प्रखण्ड में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है; यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, देवघर से सारठ प्रखण्ड में इन्डोर स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि विवरणी सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–36/2026 ......354...... /   राँची, दिनांक 20/02/2026

प्रतिलिपिः   अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–4070/वि०स०, दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/02/2026
सरकार के अवर सचिव

8

श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ट०न०–08 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि बगोदर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के आस्था का केंद्र बना सोना पहाड़ी में सालों भर भारी संख्या में लोग अपनी मन्नत माँगने, मन्नत पूरा होने पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते है, जबकि सोना पहाड़ी को पर्यटन का दर्जा भी प्राप्त है, मगर अभी तक इसका अपेक्षित विकास नहीं होने के कारण लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है;	1.	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि सोना पहाड़ी पर्यटक स्थल का संचालन निजी लोगों द्वारा किए जाने के कारण सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है;	2.	अस्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस पर्यटक स्थल का समुचित विकास करने एवं इसका संचालन सरकारी स्तर से करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	प्रश्नाधीन बगोदर विधानसभा के सोना पहाड़ी धाम को विभागीय अधिसूचना सं०–06, दिनांक–30.03.2022 के द्वारा श्रेणी–C के रूप में पर्यटक स्थल अधिसूचित है। सोना पहाड़ी धाम के पर्यटकीय विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–13, दिनांक–16.03.2021 रूपये 98,88,900.00 की स्वीकृति दी गयी है। उक्त योजना का कार्य पूर्ण है। उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक–70/जि0वि0, 17.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त निर्मित परिसम्पतियों का वर्तमान समय में निजी लोगों द्वारा संचालन नहीं किया जा रहा है। उक्त परिसम्पतियों का संचालन के निमित्त उपायुक्त, गिरिडीह का पत्रांक–277, दिनांक–16.07.2024 द्वारा सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह से न्यूनतम दर की माँग की गई है। दर प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार उक्त परिसम्पतियों का संचालन सरकारी स्तर से कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/08/2026 348 /राँची, दिनांक 20/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3642/वि०स०, दिनांक– 11/02/2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/2026

सरकार के अपर सचिव

जितेन्द्र

625
31/03/2026

श्री रामचन्द्र सिंह, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि.–14

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार इंटरमीडिएट कॉलेजों, उच्च विद्यालयों, प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसा विद्यालयों को वर्ष में एक बार छात्र संख्या एवं स्लैब के अनुसार अनुदान देती है;</td><td>स्वीकारात्मक।
वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–810 दिनांक–11.05.2015 (झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) (संशोधित) नियमावली, 2015) एवं संकल्प संख्या–296 दिनांक–06.02.2023 में प्रावधानित स्लैब के अनुसार वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को वर्ष में एक बार अनुदान प्रदान की जाती है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2015 के बाद अभी तक अनुदान राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसके कारण शिक्षक एवं कर्मियों को इस मंहगाई में जीवन यापन में काफी कठिनाई हो रही है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्वीकृत मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के संबंध में पूर्व निर्गत संकल्प संख्या–1953 दिनांक–18.10.2014 में संशोधन कर एवं राशि वृद्धि करते हुए संकल्प संख्या–296 दिनांक–06.02.2023 में यथा प्रावधानित स्लैब के अनुसार प्रस्वीकृत मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों को छात्र संख्या के आधार पर अनुदान प्रदान की जाती है।
झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 यथासंशोधित नियमावली, 2015 द्वारा पूर्व में स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय को देय अनुदान की राशि में वृद्धि की गई है। पुनः इन वित्त रहित शिक्षण संस्थान अन्तर्गत स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय/प्रस्वीकृति इंटर महाविद्यालय के अनुदान वृद्धि संबंधी प्रस्ताव के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित संस्थान ज्यादातर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में है जहां लगभग 3 लाख से ज्यादा कमजोर एवं गरीब वर्ग के बच्चे अध्ययनरत हैं।</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि उपर्युक्त वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान, शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिए गए अनुदान के अनुसार वित्त रहित अनुदानित माध्यमिक विद्यालय एवं इंटर विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की संख्या निम्नवत् है –
<table><tr><th>माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 9 एवं 10)</th><th>इंटर (वर्ग 11 एवं 12)</th><th>कुल</th></tr><tr><td>124549</td><td>208918</td><td>333467</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित संस्थानों के शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मियों पर इस मंहगाई के दौर में सहानुभूति रखते हुए अनुदान राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>उपर्युक्त कंडिका–02 में स्थिति अंकित की गई है।</td></tr>
</table>

31/03/26

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–34/2026 625 / दिनांक 31/03/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/03/26

सरकार के अवर सचिव।

श्री सुरेश पासवान, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या टन०–14 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला अन्तर्गत देवघर शहर में होटल नटराज विहार अवस्थित है जिसमें भारी संख्या में पर्यटक ठहरते हैं, जिससे राजस्व की प्राप्ति होती है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय में भवन मरम्मति के अभाव में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है जिस कारण भारी संख्या में पर्यटक यहीं ठहरना नहीं चाहते है जिससे राजस्व की हानि हो रही है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार होटल नटराज विहार का मरम्मति कराकर राजस्व में वृद्धि करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि०, राँची द्वारा देवघर जिला अन्तर्गत देवघर शहर में होटल नटराज विहार के स्थान पर PPP मोड पर चार सितारा (4-Star Hotel) होटल निर्माण प्रस्तावित है एवं वर्तमान में तत्संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 11 / 2026 351 / राँची, दिनांक 20/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3837 / वि०स०, दिनांक–13 / 02 / 2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/2026
सरकार के अवर सचिव

श्री संजय कुमार सिंह यादव, मा० स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–24.02.2026 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–06 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री संजय कुमार सिंह यादव, मा० सदस्य विधान सभा	श्री सुदिव्य कुमार, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में खेलकूद को बढ़ावा देने एवं स्थानीय स्तर के खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रत्येक प्रखण्ड में एक स्टेडियम निर्माण कराने की सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया है;	स्वीकरात्मक। मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 608 दिनांक 20.04.2012 द्वारा राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक–एक स्टेडियम निर्माण हेतु निर्णय है।
2	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के हुसैनाबाद प्रखण्ड में उक्त निर्णय के तहत अब तक एक भी स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को काफी असुविधा होती है;	वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभागीय आंटनादेश संख्या– 34/आ०, दिनांक– 12.09.2022 द्वारा पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु रू० 67,58,400 की सैद्धान्तिक सहमति देते हुए रू० 33,79,200/– मात्र निधि का आवंटन उपायुक्त, पलामू को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024–25 में विषयांकित योजना का पुनरीक्षण करते हुए विभागीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या– 38/रा०, दिनांक–01.08.2024 द्वारा रू० 2,26,85,000/– की स्वीकृति प्रदान की गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में डी०पी०आर० तैयार करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर हुसैनाबाद प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत मधुवरी के ग्राम–डेहरी में स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका–1 एवं 2 में निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–06/2026 332 / राँची, दिनांक 19/02/2026

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3633/वि०स०, दिनांक–11.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/02/26
सरकार के अवर सचिव

1

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.02.2026 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– शि०–18 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी एवं नियमित रुप से अनुदायित उच्च विद्यालयों एवं इंटरमीडियट महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं को सावित्री बाई फूले बालिका समृद्धि योजना का लाभ प्रत्येक वर्ष दिया जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अन्तर्गत सरकारी/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित/महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित/ National Child Labour Project (NCLP) के अन्तर्गत संचालित/ झारखण्ड सरकार द्वारा प्रबंधित/अनुदानित विद्यालयों में कक्षा–8 से कक्षा– 12 में अध्ययनरत सभी अर्हताधारी बालिकाओं को आच्छादित किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि इस वर्ष राज्य के अनुदानित इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसा विद्यालयों में अध्ययनरत् हजारों छात्राओं को योजना के लाभ से वंचित किया जा रहा है, साथ ही Online आवेदन समर्पित करने हेतु पोर्टल भी नहीं खुल रहा है, जिससे हजारों गरीब अनु०जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की छात्राएं के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2025–26 में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से राज्य के कुल 09 लाख योग्य किशोरियों को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है। सम्प्रति योजना के अन्तर्गत कुल 15,007 अनुदानित विद्यालयों के 6,51,184 छात्राओं का आवेदन प्राप्त है, जिसमें से 4,56,000 छात्राओं को योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित/अनुदानित महाविद्यालयों के 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत अर्हत्ताधारी योग्य छात्राओं को योजना से लाभान्वित करने हेतु योजना से संबंधित संकल्प में संशोधन की कार्रवाई की जा रही है। एतद् हेतु विभागीय पत्रांक–524, दिनांक–19.02.2026 द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित/ अनुदानित महाविद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों की संख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में इस वर्ष भी खंड–(1) में वर्णित योजना का लाभ छात्राओं को देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–75/2026 – 545 रॉंची, दिनांक : 20-02-2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को उनके ज्ञापांक–4057/वि०स०, दिनांक– 16.02.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.2.26
(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री राजेश कच्छप, स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक–24.02.2026 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–10 से संबंधित उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि Dy Director, RUSA के पद पर वर्ष 2019 में तथा पुनः उसी पद पर वर्ष 2025 में एक ही अभ्यर्थी को नियुक्ति Rules-Regulation के विरूद्ध कर दी गई है ;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 के द्वारा गठित झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अधीनस्थ राज्य परियोजना निदेशालय में उप निदेशक के पद पर वर्ष 2019 में प्रतिनियुक्ति विभागीय संकल्प सं० 977 दिनांक–04.04.2016 के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करते हुए की गई है। वर्ष 2025 में प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित करने में भी उपर्युक्त संकल्प तथा राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक सं० 1567 दिनांक–09.06.2025 द्वारा प्रदत निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है।
02	क्या यह बात सही है कि खंड–(1) में वर्णित पुनः नियुक्ति हेतु संबंधित विश्व विद्यालय के Vice Chancellor का Consent अति आवश्यक है जिसका अनुपालन नहीं किया गया है जो Executive Rulings को सीधे–सीधे चुनौती देने का दुःस्साहसिक कृत्य है ;	अस्वीकारात्मक। वर्णित प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के उपरांत विहित प्रावधानुसार अवधि विस्तार के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की अनुशंसा एवं माननीय राज्यपाल–सह–कुलाधिपति की स्वीकृति प्राप्त की गई है।
03	क्या यह बात सही है कि खंड–(1) में वर्णित Dy Director की योग्यता उक्त पद को धारित करने की नहीं है नियुक्त Dy Director ग्रेड पे रू० 6000/– में संसीमित है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं० 977 दिनांक–04.04.2016 हेतु राज्य परियोजना निदेशालय के उप निदेशक के पद को सृजित करते हुए योग्यता एवं अनुभव का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार आवेदक विश्वविद्यालय के शिक्षक/राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी जिनको 07 वर्ष का शैक्षणिक/प्रशासनिक अनुभव तथा RUSA की जानकारी तथा PB-III 15600-39100, GP-6000 हों, निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थी उक्त अहर्ता को पूर्ण करते हैं।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उच्चस्तरीय जाँच कर नियमों का अनुपालन करने तथा मामले में संलिप्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में उत्तर सन्निहित है ।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि०स०–23/2026 458 / रॉची, दिनांक : 21/02/2026/

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं०–4063, दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/26

(सुधीर कुमार)
सरकार के अवर सचिव

I:/ Budget Session, Uttar Prativedan 2026 7

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री भूषण बड़ा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक–24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि.–23 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर–सामग्री
01	क्या यह बात सही है कि JAC Act, 2002 एवं संशोधित अधिनियम, 2006 के धारा 24 में वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं एकेडमिक पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है;	i) स्वीकारात्मक। ii) वस्तुस्थिति है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 एवं संशोधित अधिनियम, 2006 की धारा 14(ग),(घ) एवं (ङ) के तहत जैक में वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं एकेडमिक पदाधिकारी की नियुक्ति एवं अहर्ता का प्रावधान किया गया है। iii) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के संबंधित संशोधित अधिनियम, 2006 की छाया प्रति (परिशिष्ठ–'क') संलग्न।
02	क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित पदों पर नियुक्ति पूर्णकालिक होता है और Act में कुछ अहर्ताऐं है जिसके अनुरूप ही नियुक्ति की जानी है;	स्वीकारात्मक।
03	क्या यह बात सही है कि खंड (2) में वर्णित JAC में प्रत्येक वर्ष 20 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होते है और परीक्षा नियंत्रक का पद पिछले 8 वर्षों से रिक्त है जिसपर JAC बोर्ड ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है;	i) स्वीकारात्मक। ii) परिषद् के पूर्व परीक्षा नियंत्रक, डॉ सत्यजीत कुमार सिंह के विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्त हो जाने के पश्चात् उनके त्याग पत्र से यह पद दिनांक 31.07.18 के प्रभाव से रिक्त है। iii) वस्तु स्थिति यह है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची के विज्ञप्ति संख्या 85/2022 के द्वारा संविदा के आधार पर परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। परन्तु उक्त प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में चयन की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी।

		iv) संयुक्त सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्य करने हेतु परिषद् द्वारा प्राधिकृत किया गया है। v) परिषद् की आगामी बैठक में परीक्षा नियंत्रक के पद पर पूर्णकालिक चयन के संबंध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव रखा जायेगा तथा तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
04	क्या यह बात सही है कि JAC अधिनियम में उल्लेखित नियमों के विपरीत 11 माह के लिये संविदा पर नियुक्त वित्त पदाधिकारी, एकेडमिक पदाधिकारी एवं अन्य कर्मीगण पद पर बने हुए है और वेतन ले रहें है;	सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के ज्ञापांक–140/26 दिनांक–20.02.2026 से प्राप्त सूचना के अनुसार– i) वित्त पदाधिकारी, एकेडमिक पदाधिकारी एवं विशेष कार्य पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति संविदा पर विज्ञप्ति संख्या 72/2015 के आलोक में विहित प्रक्रिया के तहत हुई है तथा क्रमशः वित्त पदाधिकारी दिनांक–23.02.2016 से, शैक्षिक पदाधिकारी दिनांक 25.02.2016 से एवं विशेष कार्य पदाधिकारी दिनांक–12.04.2016 से योगदान कर कार्यरत है। ii) परिषद् द्वारा वित्त पदाधिकारी, एकेडमिक पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य पदों पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या 85/2022 प्रकाषित की गई। iii) उक्त प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध वित्त पदाधिकारी, श्री राजेश कुमार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या **WP(S)26 of 2023** दायर किया गया था। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वादी के याचिका को **Premature** मानते हुए **Dismiss** कर दिया गया। वित्त पदाधिकारी द्वारा संदर्भित न्यायादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में **Civil Review Petition No.& 03/2023** दायर किया गया है जो माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रक्रियाधीन है। iv) शैक्षिक पदाधिकारी, श्री प्रशांत पाण्डेय के द्वारा भी समान रूप से प्रकाशित विज्ञापन पर चयन की कार्रवाई के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या 179 **of 2023** दायर की गई।

		संदर्भित वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2023 को निम्न कार्यकारी आदेश पारित किया गया है :– *"If the Petitioner is working, he will not be removed nor the status of the Petitioner will be disturbed without the leave of this Court"* उक्त आदेश के विरूद्ध जैक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपीलवाद दायर नहीं किया गया है एवं उक्त पदाधिकारियों की संविदावधि विस्तारित नहीं की गयी है। अंतरिम व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य लिया जा रहा है। सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के ज्ञापांक–140/26 दिनांक–20.02.2026 से प्राप्त सूचना के अनुसार– इन पदों पर पूर्णकालिक नियुक्ति हेतु विज्ञापन के प्रकाशन पर विचार एवं निर्णय हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के आगामी बैठक में प्रस्ताव रखते हुए तदनुसार परिषद् के निर्णय के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
05	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम के तहत वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं एकेडमिक पदाधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों;	उपरोक्त कंडिका में उत्तर सन्निहित।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक :02/विधान–02/2026..361../ राँची, दिनांक :....22/02/26..../

प्रतिलिपि : 200 प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–4050/वि.स. दिनांक–16.02.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुप कुमार 23/02/26

(अनुप कुमार)

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-87 | 26 माघ, 1928 शकाब्द
रांची, बृहस्पतिवार, 15 फरवरी, 2007

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना
15 फरवरी, 2007

संख्या-एल०जी०-9/2002-05/लेज०]--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 7 फरवरी, 2007 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड अधिविद परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2006
(झारखण्ड अधिनियम 2, 2007)

झारखण्ड अधिविद परिषद् अधिनियम, 2003 (अधिनियम 12, 2003) के संशोधन हेतु अधिनियम ।

प्रस्तावना :-

चूंकि, इन्टरमीडिएट शिक्षा (+2), माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा की परीक्षा संचालनार्थ, झारखण्ड राज्य में एक अधिविद परिषद् की स्थापना हेतु झारखण्ड अधिविद परिषद् अधिनियम, (झारखण्ड अधिनियम 12, 2003) को अधिनियमित किया गया था। अधिविद परिषद् ऐसी परीक्षा को मान्यता और इन्टरमीडिएट शिक्षा संस्थाओं, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों की मान्यता के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी तथा उससे इसके पश्चात् अतिरिक्त [illegible] अन्य विषयों या कार्यों को अधिनियमित करेगी।

और चूंकि झारखण्ड अधिविद परिषद् अधिनियम, 2003 की अधिनियमिति के उपरान्त परिषद् को सम्पुर्देशित कार्यों के निर्वहन करने में, यह प्रतीत हुआ कि कतिपय महत्वपूर्ण उपबंध, जैसे परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, [illegible] परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों की निरर्हता, परिषद् के कार्य-संचालन, परिषद् को समनुदेशित कार्यों के सम्पादन के लिए महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का उपबंध, संस्थाओं के लिए शासी निकाय या प्रबंध समिति के गठन का उपबंध जहाँ नहीं हो या उसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण, परिषद् को अपने कृत्यों एवं कर्तव्यों के निर्बाध निर्वहन में कठिनाई का बोध होता था अतः यह आवश्यक हो गया है कि झारखण्ड अधिविद परिषद् अधिनियम, 2003 का संशोधन किया जाय ।

(3) परीक्षा समिति का कृत्य होगा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में परीक्षकों, प्रश्न-पत्र संयोजकों, अनुसीमकों, सारणीकारों, मोडरेटरों, पर्यवेक्षकों तथा अन्य पदाधिकारियों के चयन में अध्यक्ष को परामर्श देना।

(4) वित्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

(क) परिषद् के वार्षिक आयव्ययक का निर्माण।

(ख) परिषद् के लेखा की अंकेक्षण संबंधी कार्य।

(ग) क्रय-आपेक्ष एवं परिषद् द्वारा सौंपे गए वित्तीय कार्य का निष्पादन करना।

(घ) परिषद् को वित्तीय मामलों में परामर्श देना।

8. अधिनियम की धारा-10 में निम्नलिखित जोड़े जायेंगे :-

(i) उपाध्यक्ष

(ii) संयुक्त सचिव

(iii) वित्त पदाधिकारी

(iv) परीक्षा नियंत्रक

(v) शैक्षणिक पदाधिकारी

धारा-11 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित होगी :-

(1) अध्यक्ष की नियुक्ति, पदावधि, सेवा शर्तें तथा परिलब्धियाँ :-

[illegible] अपनी विद्वता,

(क) किसी भी व्यक्ति अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं होगा [illegible]

[illegible] शिक्षाविद् तथा प्रशासनिक क्षमता के लिए ख्याति प्राप्त न हो।

(ख) [illegible] राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष परिषद् का एक पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा तथा अपने पद पर तीन वर्षों तक बना रहेगा।

[illegible] राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर अध्यक्ष को हटा सकती है, यदि वह [illegible] राज्य सरकार की राय में काम नहीं करना चाहता है, या काम करने में असमर्थ है या परिषद् के हित के विरुद्ध काम कर रहा है।

[illegible] होगी।

(ग)(i) पद की [illegible] के समान [illegible] वेतन एवं सेवा शर्तें [illegible]

परिषद् के अनुसमर्थन के अध्यधीन, कर्मचारियों के स्वीकृत संवर्ग एवं वेतनमान में तथा अन्य अनुसचिवीय कर्मचारी (परिषद् के पदाधिकारियों के अतिरिक्त) के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति करने की शक्ति होगी एवं उन पर पूर्ण अनुशासनात्मक शक्ति तथा नियंत्रण होगा ।

13 (7) अध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :-

(क) परिषद् के सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण ।

(ख) परिषद् बोर्ड एवं समितियों के सदस्यों को जैसा वह उचित समझे, कार्य सुपुर्द करने, और

(ग) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर सचिव एवं परिषद् के सदस्यों की यात्रा भत्ता स्वीकृत करने की ।

12\. धारा-14; धारा-14(क) जोड़ी जायेगी और धारा-14 में निम्नलिखित 14 (ख), (ग), (घ), एवं (ङ) जोड़े जायेंगे :-

14 (ख) संयुक्त सचिव की अर्हता एवं कर्त्तव्य :-

(i) संयुक्त सचिव एक पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा, वह जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से अन्यून कोटि का पदाधिकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किया जायेगा ।

(ii) वह अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा और समय-समय पर समनुदेशित कर्त्तव्य का निर्वहन करेगा ।

(iii) संयुक्त सचिव के दो पद होंगे, एक संयुक्त सचिव परिषद् की स्थापना एवं प्रशासन का प्रभारी होगा और दूसरा संयुक्त सचिव इंटरमीडिएट महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों की स्थापना संबंधी कार्य का प्रभारी होगा ।

14 (ग) वित्त पदाधिकारी की अर्हता एवं कर्त्तव्य :-

(क) वित्त पदाधिकारी परिषद् का पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा ।

(ख) उसे दस वर्षों का वित्तीय प्रशासन का अनुभव हो एवं लेखा, अंकेक्षण और बजट प्रक्रियाओं का विशेषज्ञ होना चाहिए ।

(ग) उसे वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी की स्नातक डिग्री तथा वित्तीय प्रबंधन में एम०बी०ए० डिग्री होनी चाहिए ।

(घ) परिषद् द्वारा उसकी नियुक्ति होगी ।

(ङ) वह वित्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा तथा अध्यक्ष द्वारा समनुदेशित कर्त्तव्यों एवं शक्तियों का निर्वहन करेगा ।

(घ) उसका वेतनमान संयुक्त सचिव के वेतनमान के अनुरूप होगा ।

14 (ग) परीक्षा नियंत्रक की अर्हता एवं कर्तव्य :-

(i) परीक्षा नियंत्रक परिषद् का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा ।

(ii) उसे विश्वविद्यालय प्रोफेसर के रूप में या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो और उसे विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि प्राप्त हो ।

(iii) परिषद् द्वारा इसकी नियुक्ति होगी ।

(iv) परीक्षा नियंत्रक सभी परीक्षाओं (इंटरमीडिएट/+2, माध्यमिक विद्यालय, मदरसा एवं मध्यमा (संस्कृत)) के संचालन में तथा उसके परीक्षाफल प्रकाशन में परिषद् को सहायता करेगा ।

14 (ङ) शैक्षिक पदाधिकारी की अर्हता एवं कर्तव्य :-

(i) शैक्षिक पदाधिकारी परिषद् द्वारा नियुक्त एक पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा ।

(ii) उसे विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि होनी चाहिए या उसे किसी डिग्री कॉलेज में शिक्षक अथवा परिषद् या अन्य संगठनों में प्रशासन का कम-से-कम 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो ।

15. व्याख्या :- [illegible]

[illegible] में [illegible] की [illegible] निम्नलिखित [illegible] किया [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (1) [illegible]

[illegible]

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

[illegible]

[illegible] परामर्शी,

विधि (विधायी) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

परिशिष्ट ख।

(18)

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
W.P.(S) No. 179 of 2023

Dr. Prashant Pandey ... Petitioner

-versus-

The State of Jharkhand & Others ... Respondents

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE ANANDA SEN

For the Petitioner : Dr. A.K. Singh, Advocate
Mr. Shivam Singh, Advocate
Ms. Madhu Priya, Advocate

For the Respondents : Mr. Anil Kumar Singh, AC to GP I

2/ 25.01.2023 Dr. A.K. Singh, learned counsel for the petitioner submits that he will remove the defects in course of the day.

Respondents are directed to file counter affidavit in this case within six weeks.

If the petitioner is working, he will not be removed nor the status of the petitioner will be disturbed without the leave of this Court.

(Ananda Sen, J.)

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
Civil Review No. 3 of 2023

Rajesh Kumar ... Petitioner(s).

Versus

The State of Jharkhand & Ors. ... Respondent(s).

With
W.P.(S) No. 179 of 2023

Dr. Prashant Pandey ... Petitioner(s).

Versus

The State of Jharkhand & Ors. ... Respondent(s).

CORAM :SRI ANANDA SEN, J.

For the Petitioner(s) : Mr. Sameer Sahayn, Advocate
For the JAC : Mr. Krishna Murari, Advocate

04/31.01.2025:

On the request of the learned counsel for the respondents, list these cases in the next week.

(ANANDA SEN, J.)

KNB

-2-

616
21/02/2026

श्री मंगल कालिन्दी, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि.–16		
क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जुगसलाई विधान सभा क्षेत्र के बोड़ाम प्रखण्ड अन्तर्गत भुला पंचायत मंडप के सामने कस्तूरबा गाँधी विद्यालय प्रस्तावित है;	जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक 287 दिनांक 19.02.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बोड़ाम प्रखण्ड अंतर्गत भूला पंचायत मंडप के सामने झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। वर्त्तमान में झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय, बोड़ाम, कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय, जमशेदपुर के विद्यालय परिसर में संचालित है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(01) में वर्णित विद्यालय का निर्माण कार्य विगत् 03 वर्ष से बंद कर दिया गया है, जिस कारण क्षेत्र की छात्राओं का भविष्य अधर में है;	वर्णित झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय के विद्यालय भवन का निर्माण कार्य, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के द्वारा निविदा के माध्यम से *M/s Highway Construction, Adityapur, Jamshedpur* के द्वारा कराया जा रहा है। उक्त भवन निर्माण कार्य वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था, परन्तु *Plinth Level* तक निर्माण कार्य कर अग्रेतर निर्माण कार्य वर्ष 2017 से ही बंद है। इस संबंध में पूर्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जे.ई.पी.सी., पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक 908 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगन लिमिटेड, राँची से पत्राचार किया गया था। इसके उपरांत उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 1003 दिनांक 14.12.2020 एवं जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जे.ई.पी.सी., पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक 1223 दिनांक 29.12.2021 के द्वारा झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रांची को स्मार–पत्र प्रेषित किया गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जे.ई.पी.सी., पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक 1035 दिनांक 31.07.2025 द्वारा झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची से निर्माण संबंधित पुनः पत्राचार किया गया है, परन्तु निर्माण कार्य संबंधित संस्था के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है। महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रांची के पत्रांक 436 दिनांक 27.09.2016 द्वारा *M/s Highway Construction, Adityapur, Jamshedpur* को उनके द्वारा निविदित राशि रु. 4,20,56,418/– (चार करोड़ बीस लाख छप्पन हजार चार सौ अठारह) मात्र पर कार्य कराए जाने, जिसकी प्रारम्भ तिथि दिनांक 22.11.2016 तथा समाप्ति तिथि दिनांक 21.02.2018 निर्धारित की गयी थी, कार्य पूर्ण किया जाना था। उपर्युक्त विलंब/कार्य नहीं किए जाने के फलस्वरूप कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रांची के पत्रांक 49(वि) दिनांक 06.01.2022 द्वारा भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना सं. 3855 दिनांक 31.12.2015 तथा

श्री मंगल कालिन्दी, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि.–16 क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
		झारखण्ड संवेदक निबंधन नियमावली की कंडिका–11.1.4 के आलोक में निगम द्वारा भविष्य में आमंत्रित की जानेवाली निविदाओं में भाग लेने से *M/s Highway Construction, Adityapur, Jamshedpur* को *Debar* किया गया था, जिसके विरुद्ध संबंधित निविदादाता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद सं. *WP(C) No. 4966 of 2024* दायर किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 30.01.2025 को पारित आदेश द्वारा *Allow* कर दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रहित में खण्ड–(01) में वर्णित कस्तूरबा गाँधी विद्यालय का निर्माण यथाशीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के ज्ञापांक 3435 दिनांक 09.09.2025 के द्वारा झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रांची (*JSBCCL*) से झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय, बोड़ाम का भवन निर्माण शीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु पुनः अनुरोध किया गया है।

21/02/26

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–33/2026 616 / दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26

सरकार के अवर सचिव।

626
21/02/2026

श्री प्रदीप यादव, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि.–12 क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अंतर्गत (i) उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दामा, प्रखण्ड–गोड्डा (ii) उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कस्तुरी, प्रखण्ड–पोड़ैयाहाट (iii) उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लीलादह, प्रखण्ड–पोड़ैयाहाट एवं दुमका जिला (iv) उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चौराजोर, प्रखण्ड–सरैयाहाट सभी को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करते हुए +2 विद्यालय में उत्क्रमण करने हेतु अनुशंसा दोनों जिलों *DEO* द्वारा विभाग को प्रेषित की गई है;	जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक 48 दिनांक 10.01.2026 द्वारा 03 उत्क्रमित मध्य विद्यालय – उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दामा, प्रखण्ड– गोड्डा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कस्तूरी, प्रखण्ड– पोड़ैयाहाट तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लीलादह, प्रखण्ड– पोड़ैयाहाट का उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका के पत्रांक 68 दिनांक 10.01.2026 द्वारा दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखण्ड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चोराजोर को +2 विद्यालय में उत्क्रमण करने हेतु प्रस्ताव विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त चारो विद्यालयों के स्थानीय विषम भौगोलिक स्थिति के कारण छात्र–छात्राओं को माध्यमिक शिक्षण प्राप्ति हेतु काफी दूरी तय कर उच्च विद्यालय जाना पड़ता है;	वस्तुस्थिति यह है कि नयी शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग के स्थान पर समेकित माध्यमिक (Secondary Class 09-12) आचार्य संवर्ग के अंतर्गत पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है तथा इस हेतु झारखण्ड सरकारी माध्यमिक आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2025 गठित की गयी है, जिसमें जनजातीय भाषा शिक्षकों, कम्प्यूटर शिक्षकों आदि की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। माध्यमिक (Secondary Class 09-12) आचार्य के पद सृजन एवं विद्यालयों के आनुपातिक उत्क्रमण के निर्णय हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर प्रारंभिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोड्डा एवं दुमका DEO के अनुशंसा के आलोक में इसी वित्तीय वर्ष में +2 विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्रवाई से संबंधित वस्तुस्थिति उपर्युक्त उत्तर कंडिका–2 में अंकित की गयी है।

21/02/26
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–32/2026.....626...../ दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती श्वेता सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–04

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अन्तर्गत BIADA औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) इकाईयां वित्तीय संकट, कार्यशील पूंजी की कमी, उच्च ब्याज दर तथा बाजार में मांग की गिरावट के कारण बंद हो चुकी है अथवा बंद होने की स्थिति में हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में बोकारो BIADA औद्योगिक क्षेत्र की बंद/बीमार MSME इकाईयों को पुनः उद्धार हेतु कोई विशेष ऋण सब्सिडी, ब्याज अनुदान अथवा पुनर्जीवन पैकेज लागू नहीं हैं;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बोकारो BIADA औद्योगिक क्षेत्र की MSME इकाईयों को पुनः संचालन, स्थानीय रोजगार के संरक्षण, तथा औद्योगिक गतिविधियों को पुनः गति देने के उद्देश्य से ऋण सब्सिडी/ब्याज अनुदान आधारित विशेष पुनः उद्धार योजना लागू करने का विचार रखती; हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति–2021 में रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के पुनर्जीवन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–06/2026 237 /राँची, दिनांक– 19/02/26
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3679 दिनांक–11.02.2026 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.2.26
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड विधानसभा के पंचम (बजट) सत्र में श्री नवीन जायसवाल, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक24.02.2026 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0—सूई—02 का उत्तर

प्रतिवेदनः—

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में वर्ष 2016 में झारखण्ड सरकार के द्वारा स्टार्टअप (Subsequent Policies) नीति लागू की गई थी;	**स्वीकारात्मक।** झारखण्ड स्टार्टअप पॉलिसी—2016, वर्ष 2016 से 2021 तक प्रभावी थी, वर्त्तमान में झारखण्ड स्टार्टअप पॉलिसी—2023 अगले पाँच वर्षों के लिए लागू है।
02	क्या यह बात सही है कि उक्त नीति के तहत् कुल 107 स्टार्टअपों का चयन किया गया था और साथ ही साथ सभी स्टार्टअपों को प्रयोगात्मक नमूना एवं मार्केटिंग के एवज में 20 लाख राशि देने का प्रावधान किया गया था;	**स्वीकारात्मक।** झारखण्ड स्टार्टअप पॉलिसी—2016 के तहत् कुल 107 स्टार्टअपों का चयन किया गया था साथ ही उक्त पॉलिसी के अंतर्गत प्रयोगात्मक नमूना एवं मार्केटिंग हेतु क्रमशः अधिकतम 10—10 लाख का प्रावधान किया गया था।
03	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में चयनीत स्टार्टअपों को प्रयोगात्मक नमूना एवं मार्केटिंग के एवज में मिलने वाली राशि, अभी तक नहीं मिली है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** उक्त चयनित 107 स्टार्टअपों में से 22 स्टार्टअप को Prototype Fund का 25% वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। काफी लम्बे समय तक ए0बी0भी0आई0एल0 के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पद रिक्त रहने एवं मानव बल नहीं रहने के कारण इसकी गतिविधियों को संचालित करने में कठिनाई आई। वर्त्तमान में झारखण्ड स्टार्टअप पॉलिसी—2016 प्रभावी नहीं है। अतएव उक्त पॉलिसी के अंतर्गत चयनित स्टार्टअप को प्रयोगात्मक नमूना एवं मार्केटिंग हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के बिन्दु पर ABVIL की Board of Directors की आगामी बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
04	क्या यह बात सही है कि पूर्व के स्टार्ट अप नीति को रद्द कर 2023 में नयी स्टार्ट अप नीति बनायी गयी है;	उपर्युक्त खण्ड—1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
05	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्टार्ट अप नीति के तहत् चयनीत स्टार्ट अपों को प्रयोगात्मक नमूना एवं मार्केटिंग राशि के साथ अन्य सुविधाएँ देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड—3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई0—गवर्नेंस विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची—4

ज्ञापांकः IT/VIDH/SESS/2/2026/DoIT Section1 — 288 राँची दिनांकः 19/02/26

प्रतिलिपिः— अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0—4025 दिनांक 15.02.2026 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/2/2026

(भीम रविदास)
सरकार के संयुक्त सचिव

628
21/02/2026

<table>
<tr><td colspan="3">मो. ताजुद्दीन, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि.–24
क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–</td></tr>
<tr><th>क्र.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिले के उधवा प्रखण्ड में बच्चियों के शिक्षा के लिए कोई भी गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
उधवा प्रखण्ड में मात्र बच्चियों की शिक्षा हेतु बालिका उच्च विद्यालय नहीं है, परंतु CO-Education (सहशिक्षा) के अन्तर्गत उधवा प्रखंड में संचालित कुल 06 माध्यमिक विद्यालय है, जहाँ 2501 छात्राएँ अध्ययनरत है। विद्यालयवार अध्ययनरत वर्ग 9–10 तक के छात्राओं की संख्या–
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र0</th><th rowspan="2">विद्यालय का नाम</th><th colspan="2">वर्ग 9 में नामांकित छात्र संख्या</th><th colspan="2">वर्ग 10 में नामांकित छात्र संख्या</th></tr>
<tr><th>Boy</th><th>Girls</th><th>Boy</th><th>Girls</th></tr>
<tr><td>1</td><td>उत्क्र0+2उ0वि0 उर्दू, जोका</td><td>56</td><td>60</td><td>63</td><td>73</td></tr>
<tr><td>2</td><td>उत्क्र0उ0वि0, आसापुर</td><td>93</td><td>93</td><td>100</td><td>123</td></tr>
<tr><td>3</td><td>उत्क्र0उ0वि0, बेगमगंज</td><td>133</td><td>186</td><td>82</td><td>66</td></tr>
<tr><td>4</td><td>उच्च विद्यालय, फुदकीपुर</td><td>163</td><td>231</td><td>153</td><td>223</td></tr>
<tr><td>5</td><td>उत्क्र0+2उ0वि0 राधानगर</td><td>216</td><td>262</td><td>208</td><td>184</td></tr>
<tr><td>6</td><td>+2 उच्च विद्यालय, उधवा</td><td>340</td><td>498</td><td>335</td><td>502</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>1001</td><td>1330</td><td>941</td><td>1171</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि गर्ल्स हाई स्कूल नहीं होने से बच्चियों को पढ़ाई करने के लिए कई किलोमीटर दूर राजमहल प्रखण्ड आना–जाना पड़ता है;</td><td>अस्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बच्चियों के शिक्षा के लिए साहेबगंज के उधवा प्रखण्ड में गर्ल्स हाई स्कूल खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>माध्यमिक (Secondary Class 09-12) आचार्य के पद सृजन एवं विद्यालयों के आनुपातिक उत्क्रमण के निर्णय हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर प्रारंभिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, अतएव संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अन्य समरूप मामले सहित इस मामले को भी विचार एवं निर्णय हेतु रखा जाएगा।</td></tr>
</table>

21/02/26

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–26 / 2026.........628........../ दिनांक........21/02/2026........

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26

सरकार के अवर सचिव।

श्री उदय शंकर सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–09

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के पालोजोरी क्षेत्र अन्तर्गत बरजोरी, सिमलगढ़ा व कसरायडीह पंचायत के विभिन्न मौजा में 400 एकड़ भू–भाग पर इण्डस्ट्रियल हब बनाये जाने के उद्देश्य से जियाडा के अधिकारियों एवं अंचलाधिकारी, सारठ द्वारा भूमि का स्थल निरीक्षण मई 2025 में स्थल निरीक्षण किया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए 2025–26 के बजट में राशि का प्रावधान कर दिया गया है;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) के वर्णित क्षेत्र में रेल, सड़क कनेक्टिविटी के साथ–साथ कोयला और पानी की भी उपलब्धता है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित भू–भाग को इण्डस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची के पत्रांक–1400 दिनांक–30.12.2025 द्वारा उपायुक्त, देवघर से पालोजोरी अवस्थित मौजा– बलियापुर, सगरुबाद, कासमाला एवं रंगमटिया की भूमि अंतर्गत कुल 474.92 एकड़ भूमि की लागत मूल्य की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही, अन्यत्र औद्योगिक विकास हेतु 300–400 एकड़ उपयुक्त गैर–मजरूआ सरकारी भूमि चिन्हित कर समुचित विवरणी के साथ प्राधिकार को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–11/2026 238 /राँची, दिनांक:– 19/02/26

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–4079 दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/– 19.2.26
सरकार के अवर सचिव

श्री उदय शंकर सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–09

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के पालोजोरी क्षेत्र अन्तर्गत बरजोरी, सिमलगढ़ा व कसरायडीह पंचायत के विभिन्न मौजा में 400 एकड़ भू–भाग पर इण्डस्ट्रियल हब बनाये जाने के उद्देश्य से जियाडा के अधिकारियों एवं अंचलाधिकारी, सारठ द्वारा भूमि का स्थल निरीक्षण मई 2025 में स्थल निरीक्षण किया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए 2025–26 के बजट में राशि का प्रावधान कर दिया गया है;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) के वर्णित क्षेत्र में रेल, सड़क कनेक्टिविटी के साथ–साथ कोयला और पानी की भी उपलब्धता है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित भू–भाग को इण्डस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची के पत्रांक–1400 दिनांक–30.12.2025 द्वारा उपायुक्त, देवघर से पालोजोरी अवस्थित मौजा– बलियापुर, सगरुबाद, कासमाला एवं रंगमटिया की भूमि अंतर्गत कुल 474.92 एकड़ भूमि की लागत मूल्य की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही, अन्यत्र औद्योगिक विकास हेतु 300–400 एकड़ उपयुक्त गैर–मजरूआ सरकारी भूमि चिन्हित कर समुचित विवरणी के साथ प्राधिकार को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–11/2026 238 /राँची, दिनांक:– 19/02/26

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–4079 दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 19.2.26

सरकार के अवर सचिव

श्री उदय शंकर सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–09

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के पालोजोरी क्षेत्र अन्तर्गत बरजोरी, सिमलगढ़ा व कसरायडीह पंचायत के विभिन्न मौजा में 400 एकड़ भू–भाग पर इण्डस्ट्रियल हब बनाये जाने के उद्देश्य से जियाडा के अधिकारियों एवं अंचलाधिकारी, सारठ द्वारा भूमि का स्थल निरीक्षण मई 2025 में स्थल निरीक्षण किया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए 2025–26 के बजट में राशि का प्रावधान कर दिया गया है;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) के वर्णित क्षेत्र में रेल, सड़क कनेक्टिविटी के साथ–साथ कोयला और पानी की भी उपलब्धता है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित भू–भाग को इण्डस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची के पत्रांक–1400 दिनांक–30.12.2025 द्वारा उपायुक्त, देवघर से पालोजोरी अवस्थित मौजा– बलियापुर, सगरूबाद, कासमाला एवं रंगमटिया की भूमि अंतर्गत कुल 474.92 एकड़ भूमि की लागत मूल्य की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही, अन्यत्र औद्योगिक विकास हेतु 300–400 एकड़ उपयुक्त गैर–मजरूआ सरकारी भूमि चिन्हित कर समुचित विवरणी के साथ प्राधिकार को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–11/2026 238 /राँची, दिनांक:–19/02/26

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–4079 दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/– 19-2-26

सरकार के अवर सचिव

624
31/02/2026

श्री प्रकाश राम, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि.–17		
क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिले में उच्च विद्यालय–41 तथा इन्टरमीडिएट +2 विद्यालयों–52 यानी कुल संख्या 93 है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के ज्ञापांक 26 दिनांक 18.02.2026 द्वारा उपलब्ध कराया गया है कि लातेहार जिला में वर्ष 2025 की माध्यमिक परीक्षा में कुल 98 विद्यालयों से तथा इंटर परीक्षा में कुल 35 +2 विद्यालयों/इंटर महाविद्यालयों से परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं।
2	क्या यह बात सही है कि 2025 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या विद्यालयों में 10707 तथा +2 विद्यालयों में 6987 जो करीब 93.5 प्रतिशत है;	सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के ज्ञापांक 26 दिनांक 18.02.2026 द्वारा प्राप्त उत्तर सामग्री के अनुसार लातेहार जिला से वर्ष 2025 के माध्यमिक परीक्षा में कुल 10707 तथा इंटर परीक्षा में कुल 7073 छात्र/छात्राएँ उत्तीर्ण हुए हैं। जिला का परीक्षाफल 94 प्रतिशत रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि 12वीं कक्षा के बाद उत्तीर्ण छात्रों को BBA, BCA तथा वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है;	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, रांची के पत्रांक 436 दिनांक 19.02.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नीलाम्बर –पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू एवं गढ़वा जिले में अवस्थित अंगीभूत महाविद्यालय में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई की व्यवस्था है। उनका यह भी उत्तर प्रतिवेदन है कि लातेहार जिला में नव स्थापित मॉडल महिला कॉलेज एवं मनिका डिग्री कॉलेज में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई प्रारंभ करने के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर से समीक्षा के उपरांत आवश्यकतानुसार वोकेशनल कोर्स प्रारंभ करने पर विचार किया जाएगा।
4	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वोकेशनल कोर्स तथा BBA, BCA आदि की पढ़ाई हेतु व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर उपर्युक्त खंड–3 के उत्तर में सन्निहित है।

31/02/26
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–30/2026 624 / दिनांक 31/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/02/26
सरकार के अवर सचिव।

2	क्या यह बात सही है कि उक्त कम्पनियां को खनन कार्य हेतु EC, CTE और CTO सशर्त प्रदान किया गया है लेकिन कम्पनियां शर्त को बिना पूरा किये खनन कार्य कर रही है, जिस कारण ट्रांसपोर्ट और रेलवे साईडिंग से कृषि भूमि को भारी नुकसान हो रहा है तथा क्षेत्रीय अधिकारी का कोई नियमित और औचक निरीक्षण भी नहीं हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance) सक्षम प्राधिकार (MoEF & CC/SEIAA) द्वारा ही निर्गत की जाती है। EC के शर्तों के अनुसार ही CTE/CTO सशर्त निर्गत की जाती है। पर्षद द्वारा परियोजनाओं को निर्गत CTO में वर्णित शर्तों का अनुपालन जैसे–जल छिड़काव, वृक्षारोपण, ट्रकों को त्रिपाल से ढ़ककर परिवहन, परिवेशीय वायु की जाँच हेतु Continuous Ambient Air Quality Monitoring System(CAAQMS) एवं PM 10 Analyzer इत्यादि स्थापित किया गया है। ट्रकों/हाईवा को तिरपाल से ढ़ककर परिवहन किया जाता है एवं समय समय पर पर्षद द्वारा इसकी जाँच की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बड़कागाँव एवं केरेडारी प्रखण्ड क्षेत्र में खनन कार्य कर रही NTPC Coal mines परियोजनाओं के MDO कम्पनियों, ट्रांसपोर्ट कम्पनियों एवं बानादाग रेलवे रैक में प्रदूषण मापदंडो का अनुपालन नहीं करने एवं कम्पनियों को EC, CTE और CTO के शर्तों के उल्लंघन का जाँच उच्चस्तरीय टीम गठित कर कराने में विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

<u>वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग</u>

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित–33/2026– 651 व0प0, दिनांक–23/02/26

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–4075 दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/02/26

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

श्री रोशनलाल चौधरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक – 24.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन– 15 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के अन्तर्गत बड़कागॉव एवं केरेडारी प्रखण्ड क्षेत्र में खनन कार्य कर रही NTPC Coal mines परियोजनाओं के MDO कम्पनियॉ ट्रांसपोर्ट कम्पनियों एवं बानादाग रेलवे रैक/साइडिंग में प्रदूषण मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है साथ ही सभी जगह कंपनियों को खामियों के बाद भी EC, CTE और CTO सशर्त प्रदान की गई है;	अस्वीकारात्मक। हजारीबाग जिला के अन्तर्गत बड़कागॉव एवं केरेडारी प्रखण्ड क्षेत्र में 4 माइंस स्थापित है। (1) NTPC पकरी बरवाडीह कोल परियोजना (2) NTPC नोर्थ-वेस्ट पकरी बरवाडीह कोल परियोजना, (3) NTPC चटीबरियातु कोल परियोजना, (4) NTPC केरेडारी कोल परियोजना। कोयला खनन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (MoEF & CC) भारत सरकार द्वारा निर्गत E.I.A Notification 2006 यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance) प्राप्त है। NTPC नोर्थ वेस्ट पकरी बरवाडीह खुली खदान परियोजना को SEIAA, Jharkhand से खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इन खनन परियोजनाओं के प्रस्तावक को CTE/CTO निर्गत की जाती है। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा चारों खनन परियोजनाओं का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है। CTO में वर्णित शर्तों जैसा कि हॉल रोड, पानी का छिड़काव, ट्रकों को त्रिपाल से ढ़ककर परिवहन, माइन क्षेत्र में पानी का छिड़काव, सड़क मार्ग में पानी का छिड़काव की व्यवस्था माइन के कोर जॉन एवं वफर जॉन में परिवेशीय वायु की जॉच हेतु Continuous Ambient Air Quality Monitoring System(CAAQMS) एवं PM 10 Analyzer स्थापित है एवं Real Time Data Transmission किया जाता है। वाहनों की धुलाई से उत्सर्जित Effluent की सफाई हेतु ETP की स्थापना, खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण, OB Dump के किनारे टॉ वाल एवं गारलैंड ड्रेन एवं सिल्टेशन पौंड की स्थापना आदि का अनुपालन करने के पश्चात ही परियोजना को CTO Grant/Renew किया जाता है। उपर्युक्त वर्णित शर्तो का उल्लघंन मिलने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाती है। बानादाग रेलवे साइडिंग (पर्षद के पत्रांक JSPCB/RO/HZB/CTO-23650921/2025/87 Dated : 2025-12-30 for the Production Capacity- Loading & Unloading of Raw Coal - 2333333.33 TPM, valid upto 31.12.2026 तक के लिए सशर्त निर्गत किया गया है) से पकरी बरवाडीह कोल परियोजना का कोयला रेल द्वारा भेजा जाता है। रेलवे साइडिंग में ट्रकों को त्रिपाल से ढ़ककर भेजा जाता है। रेलवे साइडिंग में Dust Suppression हेतु Fixed water sprinkler स्थापित है एवं इसके अलावे मोबाइल टैंकर द्वारा भी जल छिड़काव किया जाता है। परिवेशीय वायु में Particulate Matter की जॉच हेतु PM 10 Analyzer स्थापित है। रेलवे साइडिंग में वृक्षारोपन किया गया है।

श्री नागेन्द्र महतो, मा० स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–24.02.2026 को पुच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–09 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री नागेन्द्र महतो, मा० सदस्य विधान सभा	श्री सुदिव्य कुमार, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अन्य प्रदेशों में वैसे प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों के पोषण संवर्द्धन की उचित व्यवस्था, यथा हर जिले, प्रखण्ड एवं पंचायत में खेल स्टेडियम का निर्माण करना, कोच की समुचित व्यवस्था करना एवं खिलाड़ियों को अनुदान सहित प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकारों द्वारा की जाती है, जिसकी घोर कमी झारखण्ड प्रदेश में दिखाई पड़ती है;	अस्वीकारात्मक। 1. गिरिडीह प्रखण्ड में आउटडोर, इंडोर, मिनी स्टेडियम निर्मित है एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 2. गिरिडीह जिलान्तर्गत गांडेय, गावां, तिसरी, बिरनी, जमुआ प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्मित है। 3. धनवार प्रखण्ड में मिनी स्टेडियम निर्मित है। 4. देवरी प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। 5. बेंगाबाद प्रखण्ड में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। (गिरिडीह जिलान्तर्गत संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची:) 1. आवासीय बालक फुटबॉल प्रशिक्षण केन्द्र, गिरिडीह स्टेडियम, गिरिडीह। 2. फुटबॉल खेलो इंडिया प्रशिक्षण केन्द्र (बालक), प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम, जमुआ। 3. बैडमिन्टन डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र (बालक एवं बालिका), इंडोर स्टेडियम, गिरिडीह। 4. बैडमिन्टन क्रीड़ा किसलय केन्द्र (बालक एवं बालिका), इंडोर स्टेडियम, गिरिडीह। 5. बैडमिंटन क्रीड़ा किसलय केन्द्र, बिजॉय इंस्टिटयूट, गिरिडीह।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बगोदर विधानसभा क्षेत्र सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों में खेल संबंधी आधारभूत संरचना का विकास अन्य प्रदेशों की भांति करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। बगोदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खेल संबंधी आधारभूत संरचना निर्मित/निर्माणाधीन है जिनकी सूची निम्नवत् है:– 1. बगोदर प्रखण्ड स्थित घाघरा कॉलेज में स्थिति इण्डोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 2. बगोदर प्रखण्ड में पूर्व से स्थित स्टेडियम का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 3. बगोदर प्रखण्ड के दोंदलो में स्टेडियम निर्माण कार्य किया जा रहा है।

		4. सरिया प्रखण्ड स्थित सरिया कॉलेज में इण्डोर स्टेडियम निर्माण कार्य किया जा रहा है। 5. सरिया प्रखण्ड में पूर्व से स्थित स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। 6. सरिया के केशवारी में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निमार्ण की स्वीकृति दी गई है। 7. बिरनी प्रखण्ड के चान्हों में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–09/2026 357 /   राँची, दिनांक 20/02/2026

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3644/वि०स०, दिनांक–11.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/02/2026

सरकार के अवर सचिव

श्री चन्द्रदेव महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–02

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के शिल्पकार परंपरागत पेशे से विमुख होकर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड माटी कला बोर्ड का कार्यकाल वर्ष 2020 में समाप्त हो गया है और आज तक पुनर्गठन की दिशा में वर्तमान सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झारखण्ड माटी कला बोर्ड का पुनर्गठन सहित धनबाद जिला के शिल्पकारों के आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है; हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड माटी कला बोर्ड कार्यरत है। बोर्ड के प्रबंध निदेशक का पदस्थापन, अध्यक्ष एवं गैर- सरकारी सदस्यों का मनोनयन विचाराधीन है। वर्तमान में धनबाद जिला में आधुनिक प्रशिक्षण केन्द खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। झारखण्ड माटी कला बोर्ड द्वारा झारखण्ड गवर्मेंट टूल रूम रामगढ़, दुमका, बुण्डू के माध्यम से अबतक कुल 602 (छः सौ दो) कुम्भकारों/माटी शिल्पकारों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
<u>उद्योग विभाग</u>

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–03/2026 236 /राँची, दिनांकः– 19/02/26
प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3640 दिनांक–11.02.2026 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19-2-26

सरकार के अवर सचिव

1

279
22/02/2026

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री दशरथ गागराई, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि०–19

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत खूंटपानी प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पासेया, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बासाकुटी, उत्क्रमित प्राथमिक सिंगीजारी, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जोगीदारू, प्राथमिक विद्यालय डोम्बरा में विद्यालय भवन अति जर्जर अवस्था में है;	स्वीकारात्मक। सहायक अभियंता समग्र शिक्षा अभियान पश्चिम सिंहभूम द्वारा जाँच करायी गयी। जाँच में भवनों को पूर्णतः जर्जर बताया गया।
2	क्या यह बात सही है कि इन जर्जर भवनों में शिक्षण कार्य कराना सुरक्षित नहीं है।	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इन विद्यालयों को ध्वस्त कर नये भवनों का निर्माण आवश्यक है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरवर्णित विद्यालयों के लिए नये भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त मरम्मति/जर्जर भवनों को डी.एम.एफ.टी. फण्ड से निर्माण कराने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्रांक CW/24/25/221/(B) दिनांक 13.02.2025 से जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा को अनुरोध किया गया है। साथ ही जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्रांक 75 दिनांक 22.01.2026 से उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, डी.एम.एफ.टी. फण्ड से पाँचों विद्यालयों में दो–दो अतिरिक्त वर्गकक्ष का निर्माण के लिए अनुरोध किया गया है।

22.2.2026
(जार्ज चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 16/वि०–ता०–23/2026 279 / राँची, दिनांक 22/02/2026

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 4056 दिनांक 16.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.2.2026
सरकार के उप सचिव।

Khurshid

627
21/02/2026

मो. ताजुद्दीन, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि.–20		
क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	**प्रश्न**	**उत्तर**
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की काफी कमी है;	वस्तुस्थिति यह है कि साहेबगंज जिला के माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के स्वीकृत 944 पदों के विरुद्ध 413 शिक्षक कार्यरत हैं।
2	क्या यह बात सही है कि विषयवार शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालयों में बच्चों का पठन–पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपर्युक्त 531 रिक्त पदों में विभिन्न विद्यालयों में रिक्ति के विषयों का पठन–पाठन कार्य प्रभावित होता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षकों की बहाली करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्ष 2016 में रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञान के अनुसार कुल 17786 पद के विरुद्ध 13923 पद पर नियुक्ति की जा चुकी है एवं शेष पदों हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा वर्त्तमान में भी अनुशंसा प्राप्त हो रही है तथा माननीय उच्च न्यायालय में भी विभिन्न मामले विचाराधीन हैं। राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग के स्थान पर समेकित माध्यमिक आचार्य संवर्ग के अंतर्गत पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है तथा इस हेतु झारखण्ड सरकारी माध्यमिक आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2025 गठित की गयी है, जिसमें जनजातीय भाषा शिक्षकों, कम्प्यूटर शिक्षकों आदि की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। माध्यमिक (Secondary Class 09-12) आचार्य के पद सृजन एवं विद्यालयों के आनुपातिक उत्क्रमण के निर्णय हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर प्रारंभिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

21/02/26
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–23/2026......627....../ दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26
सरकार के अवर सचिव।

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या टन०—15 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत नेतरहाट अत्यंत ही रमणीय एवं पर्यटक स्थल है, जिसे झारखण्ड का पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है जहां सालों भर हजारों की संख्या में राज्य एवं राज्य के बाहर से पर्यटकों का आवागमन बना रहता है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि यदि वर्तमान में नेतरहाट में पर्यटकों के लिए मूलतः सनराईज एवं सनसेट प्वाइंट ही मुख्य आकर्षण का केन्द्र है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि नेतरहाट में जमशेदपुर में अवस्थित जुबली पार्क/ जुबली एम्युजमेंट वाटर पार्क के तर्ज पर पार्क बनाया जाय तो पर्यटकों का झुकाव इस क्षेत्र की ओर बढ़ेगा साथ ही सरकार को अतिरिक्त राजस्व एवं स्थानीय लोगों के बीच रोजगार को बढ़ावा मिलेगा;	3.	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमशेदपुर में अवस्थित जुबली पार्क / जुबली एम्युजमेंट वाटर पार्क के तर्ज पर नैतरहाट में भी पार्क निर्मान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	विभागीय अधिसूचना सं०—01, दिनांक 22.02.2019 द्वारा नेतरहाट को श्रेणी—A के पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेतरहाट पर्यटन स्थल के समुचित विकास एवं संरक्षण हेतु विभागीय अधिसूचना सं०—15, दिनांक 18.07.2023 द्वारा नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकार का गठन किया गया है, उक्त प्राधिकार वर्तमान में नेतरहाट पर्यटन स्थल में क्रियाशील है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृत्यादेश सं०—05—(03)/2018—SD, दिनांक 27.08.2018 द्वारा स्वदेश योजना के तहत नेतरहाट का पर्यटकीय विकास हेतु योजना की स्वीकृति दी गयी है, जिससे पुनः स्वीकृत्यादेश सं०—SD— 05/27/2018, दिनांक 28.09.2022 द्वारा पुनरीक्षित किया गया है। उक्त योजना के तहत नेतरहाट के कोयल व्यू पॉईंट एवं नेतरहाट लेक के पास पर्यटकीय विकास के कार्य कराया गया है। विभागीय पत्रांक—30, दिनांक 31.12.2024 द्वारा नेतरहाट पर्यटन क्षेत्र के सम्पूर्ण पर्यटकीय विकास कार्य (फेज—02) हेतु रू 43,08,18,114.00 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। विभागीय पत्रांक—301, दिनांक—17.02.2026 द्वारा भूमि की उपलब्धता के आलोक में जमशेदपुर में अवस्थित जुबली पार्क/जुबली एम्युजमेंट वाटर पार्क के तर्ज पर नेतरहाट में भी पार्क निर्माण कराने प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त—सह— अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन परिषद्, लातेहार से आवश्यक कारवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक—पर्यटन/वि०स०/14/2026......313......../राँची, दिनांक.......20/02/2026

प्रतिलिपिः— अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या—3840/वि०स०, दिनांक— 13/02/2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/2026

सरकार के अवर सचिव

जितेन्द्र

277
22/02/2026

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री धन्नजय सोरेन, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि०--25

क्र०	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला का बोरियो विधान सभा क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसके चारों प्रखण्डों माण्डरो, बोरियो, तालझारी एवं बोआरीजोर के जितने भी प्राथमिक विद्यालय एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय है उनके शिक्षकों की घोर कमी है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि शिक्षकों की कमी होने के कारण सुदूर ग्रामीण स्कूलों में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है;	JSSC द्वारा 180 नवनियुक्त सहायक आचार्य के नियुक्ति की अनुशंसा जिला में किया गया था, जिसे छात्र-शिक्षक अनुपात में विद्यालयों में पदस्थापित किया जा रहा है। इस क्रम में प्रश्न में वर्णित चारो प्रखण्डों में पदस्थापन की स्थिति निम्नवत् है- <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रखंड</th><th>01-05</th><th>06-08</th><th>कुल</th></tr><tr><td>1.</td><td>बोरियो</td><td>5</td><td>11</td><td>16</td></tr><tr><td>2.</td><td>मंडरो</td><td>0</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>3.</td><td>तालझारी</td><td>4</td><td>11</td><td>15</td></tr><tr><td>4.</td><td>बोआरीजोर</td><td>24</td><td>10</td><td>34</td></tr></table>
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित चारों प्रखण्डों के स्कूलों में शिक्षकों का पदस्थापन करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में उत्तर सन्निहित है।

22.2.2026
(जागो चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 16/वि०-ता०-14/2026....277..../ रॉंची, दिनांक..22/02/2026

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 4033 दिनांक 15.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.2.2026
सरकार के उप सचिव।

Khurshid

श्री जगत मांझी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या टन०–24 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	-	मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोईलकेरा प्रखंड अन्तर्गत समीज आश्रम को एक प्रमुख धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि कारो और कोयल नदियों के संगम पर स्थित उक्त आश्रम स्थल का समुचित विकास अबतक नहीं हो पाया है;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इको टूरिज्म के तहत् उक्त आश्रम स्थल के साथ–साथ निकटस्थ पुरानी इमारतो का नवीनकरण, ट्री–हाऊस और फिशिंग पॉइंट जैसे समुचित विकास कार्य को नियत समय में कराकर सैलानियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण स्थल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	प्रश्नाधीन पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोईलकेरा प्रखंड अन्तर्गत समीज आश्रम को विभागीय अधिसूचना सं०–11, दिनांक–27.10.2021 के द्वारा – श्रेणी B के रूप में पर्यटक स्थल अधिसूचित है। उल्लेखनीय होगा कि विभागीय पत्रांक 772, दिनांक 28.02.2024 एवं विभागीय पत्रांक 1495, दिनांक 23.09.2025 द्वारा अधिसूचित पर्यटन स्थलों की विकास हेतु प्रस्ताव प्राक्कलन उपलब्ध कराने का अनुरोध सभी उपायुक्त, झारखण्ड से किया गया है। साथ ही विभागीय पत्रांक 298, दिनांक 17.02.2026 उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम से उक्त स्थल का समग्र पर्यटकीय विकास हेतु प्रस्ताव/प्राक्कलन माँगा गया है। प्रस्ताव/प्राक्कलन प्राप्त होने पर भूमि की उपलब्धता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर योजना की स्वीकृति दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/19/2026.....344...../राँची, दिनांक.....20/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3844/वि०स०, दिनांक– 13/02/2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/2026
सरकार के अवर सचिव

जितेन्द्र

झारखण्ड विधानसभा के पंचम (बजट) सत्र में श्रीमती श्वेता सिंह, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–सूई–01 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि बोकारो STPI स्थापना हेतु भूमि हस्तांतरण, भारत सरकार के साथ एकरारनामा तथा सहायता अनुदान की सभी औपचारिकताएँ पहले ही पूरी की जा चुकी है, जबकि सरकार यह नीति अपनाती रही है कि राँची, देवघर, धनबाद एवं जमशेदपुर में STPI केन्द्रों के पूर्ण उपयोग के उपरांत ही नए STPI की स्थापना की जाएगी;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि बोकारो एक प्रमुख औद्योगिक नगर होने के साथ–साथ सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्ट–प और युवाओं के रोजगार एवं निवेश के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है;	स्वीकारात्मक।
03	यदि खंड–1 और 2 के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि (क)– क्या बोकारो में STPI स्थापना हेतु चरणबद्ध योजना पर विचार किया जा रहा है ताकि केन्द्र का लाभ युवाओं और उद्योगों तक शीघ्र पहुँच सके; (ख)– क्या सरकार इसके लिए कोई संभव समय–सीमा निर्धारित करना चाहती है, ताकि बोकारा में STPI स्थापना प्रक्रिया अनिश्चितकाल के लिए लंबित न रहे, यदि हाँ तो कृपया विवरण दिया जाए, नहीं, तो इसके कारण स्पष्ट किए जाएँ?	(क) बोकारो में STPI केन्द्र स्थापित करने से पूर्व माननीय विभागीय मंत्री द्वारा पूर्व में विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न स्थलों यथा–राँची, देवघर, धनबाद एवं जमशेदपुर में निर्मित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों का पूर्णतः Utilize कराने के उपरांत अन्यत्र जगहों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाने का निदेश दिया गया है। अतः इन STPI केन्द्रों के पूर्णतः उपयोग के उपरांत सरकार द्वारा बोकारो में STPI केन्द्र बनाने की कार्रवाई की जायेगी। (ख) उपरोक्त 03 (क) में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई०–गवर्नेंस विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची–4

ज्ञापांकः IT/VIDH/Sess/1/2026-DoIT-Section1 – 286 राँची दिनांक : 19/02/26

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–3678 दिनांक 11.02.2026 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/2/2026

(भीम रविदास)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

— अ धि सू च ना —

राँची, दिनांक- 02/02/2026 ई०।

सं0–सं0म0स0 05/विधायी कार्य सत्र–03/2016 115 / षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का पंचम (बजट) सत्र दिनांक– 18.02.2026 से 19.03.2026 तक आहूत है, में माननीय मुख्यमंत्री के प्रभाराधीन विभागों से संबंधित प्रश्न, ध्यानाकर्षण/ निवेदन/ याचिका/ विधेयक/ संकल्प आदि सभी प्रकार की विधायी सूचनाओं के उत्तर देने एवं अन्य विधायी कार्य हेतु निम्न माननीय मंत्रीगण को उनके नाम के सम्मुख अंकित विभागों के लिए प्राधिकृत किया जाता है :

क्र.	माननीय मंत्री	विभाग का नाम
1.	श्री दीपक बिरूवा	➢ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ➢ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य रहित) ➢ मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग ➢ विधि विभाग ➢ सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग ➢ सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग ➢ निबंधन विभाग
2.	श्री चमरा लिण्डा	➢ महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
3.	श्री योगेन्द्र प्रसाद	➢ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन रहित) ➢ ऊर्जा विभाग ➢ खान एवं भूतत्व विभाग
4.	श्री सुदिव्य कुमार	➢ पथ निर्माण विभाग ➢ भवन निर्माण विभाग ➢ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ➢ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

2. कृपया इसे तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अवनेश कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं0–सं0म0स0 05/विधायी कार्य सत्र–03/2016 115 / राँची, दिनांक- 02/02/2026 ई०।

प्रतिलिपि :– राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा/सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव/ संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री जिगा सुसारन होरो, मा०रा०वि०स० द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या टन०–07 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गुमला जिला के बसिया प्रखण्ड अन्तर्गत बाघमुण्डा पर्यटन स्थल है जहाँ सालों भर स्थानीय एवं बाहरी पर्यटकों का आवागमन बना रहता है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड – 1 में वर्णित पर्यटन स्थल में पर्यटकीय सुविधाओं एवं सुरक्षा की घोर कमी है जैसे– सीढ़ियों में रैलिंग, बैठने हेतु शेड, डेनजर जोर एरिया में रैलिंग आदि नहीं है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बाघमुण्ड पर्यटन स्थल को विकसित करने तथा उक्त संसाधनों का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	प्रश्नाधीन गुमला जिलान्तर्गत बाघमुण्डा जलप्रपात, बसिया को विभागीय अधिसूचना सं०–01, दिनांक–22.02.2019 के द्वारा श्रेणी C के पर्यटक स्थल रूप में अधिसूचित किया गया है। विदित हो कि श्रेणी 'C' एवं श्रेणी 'D' के पर्यटन स्थलों के पर्यटकीय विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् को Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया जाता है और जिला स्वयं इससे श्रेणी 'C' एवं श्रेणी 'D' के पर्यटक स्थलों का विकास कर सकता है। इस सन्दर्भ में विभाग से संकल्प सं०–02, दिनांक 06.06.2022 निर्गत है तथा विभागीय आवंटन आदेश सं०–49, दिनांक–10.12.2025 द्वारा रू०1,00,00,000/– का आवंटन जिला पर्यटन संवर्धन परिषद, गुमला को प्रदान किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय होगा कि विभागीय पत्रांक 261, दिनांक 20.02.2025 द्वारा जिला में अवस्थित श्रेणी 'C' एवं श्रेणी 'D' के पर्यटक स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराने हेतु संबंधित को निदेशित किया गया तथा विभागीय पत्रांक 772, दिनांक 28.02.2024 एवं विभागीय पत्रांक 1495, दिनांक 23.09.2025 द्वारा अधिसूचित पर्यटन स्थलों की विकास हेतु प्रस्ताव प्राक्कलन उपलब्ध करने का अनुरोध सभी उपायुक्त, झारखण्ड से किया गया है। साथ ही विभागीय पत्रांक–261, दिनांक–13.02.2026 द्वारा उपायुक्त, गुमला से बाघमुण्डा जलप्रपात, बसिया के पर्यटकीय विकास हेतु प्रस्ताव/प्राक्कलन माँगा गया है। उक्त स्थल का पर्यटकीय विकास हेतु प्रस्ताव/प्राक्कलन प्राप्त होने पर भूमि की उपलब्धता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर योजना की स्वीकृति दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/07/2026 342 /राँची, दिनांक 20/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3632/वि०स०, दिनांक–11/02/2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/26

सरकार के अवर सचिव

जितेन्द्र

श्री अमित कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–05

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का मूरी वर्क्स, राँची में दिनांक–19 अप्रैल 2019 को रेड मड पौंड धसने से बड़ी दुर्घटना हुई थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त दुर्घटना में कई व्यक्ति सहित कई वाहन दब गये थे और 35 से 40 एकड़ जमीन में रेड मड फैल गया था जिससे उक्त जमीन में आज भी खेती नहीं होती हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस दुर्घटना की उच्चस्तरीय जाँच करवाते हुए दोषियों को दंडित करने और बंजर हुए भू–धारकों को जमीन के बदले नौकरी या वार्षिक मुआवजा देने की विचार रखती है; हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जिला प्रशासन राँची के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मूरी वर्क्स परिसर में रेड मड पौंड के एक हिस्से में वर्ष 2019 में आंशिक क्षति की घटना हुई थी। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह घटना सीमित प्रकृति की थी तथा स्थिति पर तत्काल नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। उक्त घटना के बाद संबंधित भूमि की प्री मानसून एवं पोस्ट मॉनसून सर्वे कराया गया था और किसी भी कृषि भूमि के बंजर होने को कोई रिपार्ट नहीं थी। फिर भी कंपनी ने आंतरिक समीक्षा कर भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–05/2026 248 /राँची, दिनांक:– 20.02.26

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3681 दिनांक–11.02.2026 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20-2-26

सरकार के अवर सचिव

श्री जनार्दन पासवान, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–10

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योग को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड द्वारा MSME मंत्रालय की SFURTI योजना कार्यान्वित है;	स्वीकारात्मक। मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड द्वारा MSME मंत्रालय की SFURTI योजना अन्तर्गत कुल 07 कलस्टर का क्रियान्वयन किया जा रहा है जो निम्नवत है– क्र० / जिला / कलस्टर का नाम 1. / रॉंची / बैम्बू क्राफ्ट कलस्टर, बुण्डू, रॉंची। 2. / रॉंची / बुण्डू लाह फार्मिंग एण्ड प्रोसेसिंग कलस्टर, बुण्डू, रॉंची। 3. / लोहरदगा / हनी प्रोसेसिंग कलस्टर, कुडू, लोहरदगा। 4. / रामगढ़ / गोल्ड एण्ड सिल्वर ज्वेलरी कलस्टर, सुकरीगढ़ा, रामगढ़। 5. / हजारीबाग / करिबातपुर ब्रास मैन्यूफेक्चरिंग कलस्टर, इचाक, हजारीबाग। 6. / गोड्डा / बसंतराय बैंज एण्ड एम्ब्रोयडरी कलस्टर, बसंतराय, गोड्डा। 7. / बोकारो / अनंतदेव वुडक्राफ्ट प्रोड्युसर कंपनी लि०, चास, बोकारो।
2.	क्या यह बात सही है कि इसके तहत चतरा जिला में उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लगभग 1682 जिसमें MICRO-1608, Small-70 एवं Medium-04 ईच्छूक उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में MSME क्षेत्र में संसाधन आधारित एवं मांग आधारित में लघु उद्योग लगाने की असीम संभावना है जिसमें संसाधन आधारित अन्तर्गत Mineral, Agriculture तथा मांग आधारित में GPP Products को बढ़ावा दिया जा सकता है;	स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त सशक्त संभावना के बावजूद चतरा जिला में एक भी Industrial Area विकसित नहीं की गयी है;	स्वीकारात्मक।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चतरा जिला में Industrial Area विकसित करने एवं उद्योग को बढ़ावा देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, रॉंची के पत्रांक–62 दिनांक–16.01.2025 द्वारा उपायुक्त, चतरा से भेड़ा पार्क की लगभग 1600 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–12/2026 239 /रॉंची, दिनांक:– 19/02/26
प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को उनके ज्ञाप संख्या–4078 दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 13.2.26
सरकार के अवर सचिव

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या टन०–03 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि तमाड़ स्थित दिवड़ी मंदिर राज्य के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक हैं;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि बुण्डू प्रखण्ड स्थित दशम फॉल राज्य के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थलों में सैकड़ों श्रद्धालु एवं पर्यटक प्रतिदिन पूजा हेतु आते हैं परंतु वहाँ कोई सरकारी विश्राम गृह नहीं है;	3.	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थलों को देखते हुए हमारे क्षेत्र के उपयुक्त स्थान पर एक विश्रामगृह/अतिथिशाला का निर्माण करने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	प्रश्नाधीन राँची जिलान्तर्गत बुण्डू प्रखण्ड स्थित दशम फॉल एवं तमाड़ स्थित दिवड़ी मंदिर को विभागीय अधिसूचना सं०–01, दिनांक–22.02.2019 के द्वारा – श्रेणी A के रूप में पर्यटक स्थल अधिसूचित है। उल्लेखनीय होगा कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 17, दिनांक 26.06.2023 द्वारा राँची जिलान्तर्गत दिवड़ी मंदिर के पर्यटकीय विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु रू० 8,68,99,800/– की योजना की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें प्रमुख रूप से भोग हॉल, विवाह मण्डप एवं विश्रामगृह का निर्माण का स्वीकृति है। उपायुक्त, राँची के पत्रांक 52, दिनांक 18.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दशम फॉल के क्षेत्र में विश्रामगृह / अतिथिशाला के निर्माण कराये जाने की निमित उपयुक्त भूमि के चिन्हितीकरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तदोपरांत प्रस्ताव/प्राक्कलन प्राप्त होने पर भूमि की उपलब्धता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर योजना की स्वीकृति दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/03/2026 349 /राँची, दिनांक 20/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3883/वि०स०, दिनांक–11/02/2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/2026
सरकार के अवर सचिव

माननीय श्री प्रकाश राम, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"टन–22" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि रांची जिले में स्थित मैक्लुस्कीगंज तेजी से एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है ; 2. क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रीज नहीं होने के कारण घंटों गेट बंद रहता है ; 3. क्या यह बात सही है कि घंटों गेट बंद रहने के कारण आम आदमी के साथ–साथ पर्यटकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रेलवे से ओवरब्रीज बनवाने के लिए पत्राचार एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत खेलारी–मैक्लुस्कीगंज के बीच Level Crossing संख्या–8/A/T के स्थान पर ROB निर्माण कार्य रेल मंत्रालय, भारत सरकार के गति शक्ति इकाई अंतर्गत प्रस्तावित है। एतदर्थ वर्तमान में संबंधित प्राधिकार द्वारा परामर्शी नियुक्त कर DPR सूत्रण की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :–प0नि0वि0–11–ता0प्र0–38/2026 (बजट सत्र) 353(S)...राँची/दिनांक :–21/02/2026

प्रतिलिपि :– श्री सुरेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3848, दिनांक–13.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

21.02.26

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०रा०वि०स० द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या टन०–27 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि, झारखण्ड राज्य में कला एवं संस्कृति हेतु एक भी विश्वविद्यालय क्रियाशील नहीं है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य में कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है; यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	2.	राज्य में कला एवं सांस्कृतिक के क्षेत्र में विभिन्न शास्त्रीय एवं लोक विधाओं से संबंधित नृत्य, संगीत, नाटक एवं वाद्य यंत्रों आदि का प्रशिक्षण हेतु वर्तमान में विभागान्तर्गत सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के अधीन निम्न राज्य सम्पोषित सांस्कृतिक संस्थाएँ गठित है :– 1. झारखण्ड कला मंदिर, होटवार, राँची। 2. राजकीय छउ नृत्य कला केन्द्र, सरायकेला। 3. राजकीय मानभूम छउ नृत्य कला केन्द्र, सिल्ली, राँची। राज्य की समृद्ध कला संस्कृति, साहित्य एवं ललित कला के संवर्द्धन, संरक्षण एवं समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न अकादमी का गठन किया गया है, इसे क्रियाशील बनाने हेतु कार्यालय संरचना एवं नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है :– (1) झारखण्ड राज्य संगीत नाटक अकादमी (2) झारखण्ड राज्य साहित्य अकादमी (3) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी। तथापि राज्य में कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय की आवश्यकता के संबंध में समीक्षोपरांत निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/32/2026 360 /राँची, दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–4074/वि०स०, दिनांक–16/02/2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/26
सरकार के अवर सचिव

जितेन्द्र

श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक–24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या उत–04 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि, डिग्री कॉलेज माण्डू को राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी गई है तथा जिला प्रशासन के द्वारा भूमि भी उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु आज तक भवन निर्माण की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, जिसके अभाव में पठन–पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश ज्ञापांक–1956, दिनांक–07.09.2016 के द्वारा माण्डु विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत डिग्री महाविद्यालय, माण्डु की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। डिग्री महाविद्यालय, माण्डु के निर्माण हेतु माण्डु अंचल अन्तर्गत मौजा–सिमरा, थाना नं0–55, कुल रकबा–05 एकड़ किस्म गैर–मजरूआ खास (परती कदीम) हस्तांतरित है। उक्त हस्तांतरित भूमि पर डिग्री महाविद्यालय, माण्डु के निर्माण हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के द्वारा रू0 40,14,96,500/– (चालीस करोड़ चौदह लाख छियानबे हजार पाँच सौ) मात्र का डी0पी0आर0 तैयार किया गया है, जिसपर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत डिग्री महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ की जायेगी।
02	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में डिग्री महाविद्यालय माण्डू, जिला–रामगढ़ का भवन निर्माण कार्य करने का विचार रखती है; यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–10/2026 ....459..../ राँची, दिनांक : 21/02/2026/

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं0–3627, दिनांक–11.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
सरकार के अवर सचिव

श्री लुईस मरांडी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं. सुई–03 का उत्तर प्रतिवेदन –

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार की कई एक महत्वकांक्षी योजनाएँ ऑनलाईन व्यवस्था पर आधारित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राशन, पेंशन, छात्रवृति, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के साथ–साथ और भी अनेकों जन उपयोगी योजनाओं का आधार आज के आधुनिक युग के मोबाईल नेटवर्क पर आधारित है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि संताल परगना के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विशेष कर जामा प्रखंड के ढ़ोढ़ली और थानपुर पंचायत तथा रामगढ़ प्रखंड के छोटी रणबहियार, सिंदुरिया आमड़ापहाडी एवं बरमसिया पंचायत में सरकार की योजनाएँ मोबाई नेटवर्क के अभाव में प्रभावित हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 1. वस्तुस्थिति यह है कि दुमका जिले के जामा प्रखण्ड में कुल 44 एवं रामगढ़ प्रखण्ड में 35 मोबाईल टॉवर संचालित है। **(सूची संलग्न)** 2. जामा प्रखण्ड के ढ़ोढ़ली पंचायत में 01 मोबाईल टॉवर संचालित है तथा थानपुर पंचायत के समीप नावाडीह, बटनिया एवं बाड़ा पंचायतों में कई मोबाईल टॉवर संचालित है। 3. रामगढ़ प्रखण्ड के छोटी रणबहियार, आमड़ापहाडी एवं बरमसिया पंचायतों में एक–एक मोबाईल टॉवर संचालित है तथा सिंदुरिया पंचायत के निकट बोरिया पंचायत में टॉवर संचालित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित स्थानों पर मोबाईल नेटवर्क के विस्तार का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि मोबाईल नेटवर्क का विस्तार पूर्णतः केन्द्र सरकार की परिधि में है एवं राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल नेटवर्क का विस्तार हेतु केन्द्र सरकार को अनुरोध किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची–834004

ज्ञापांक : IT/VIDH/SESS/4/2026/DoIT-Section1/302 रांची, दिनांक : 20/02/26

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्रांक–4165/वि.स., दि. 17.02.2026 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/2/2026

(भीम रविदास)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : IT/VIDH/SESS/4/2026/DoIT-Section1/302 रांची, दिनांक : 20/02/26

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/2/2026
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : IT/VIDH/SESS/4/2026/DoIT-Section1/302 रांची, दिनांक : 20/02/26

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय प्रभारी मंत्री के वरीय आप्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/2/2026
संयुक्त सचिव।

DISTRICT-DUMKA, BLOCK-JAMA (Existing)

Sl. No	Tower Id	Company Name	District Name	Block Name	Panchayat Name/ Ward No.
1	JHE-DU-201301185611	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	JAMA	BARA
2	JHE-DU-20210116380	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	JAMA	DHODLI
3	JHE-DU-202201115647	ATC	DUMKA	JAMA	LAGLA
4	JHE-DU-202201121856	ATC	DUMKA	JAMA	SARSABAD
5	JHE-DU-20240116065	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	JAMA	BARA
6	JHE-DU-20240116095	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	JAMA	BARA
7	JHE-DU-202401162332	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	JAMA	LAGLA
8	JHE-DU-202401163516	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	JAMA	BARA
9	JHE-DU-202401165449	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	JAMA	BEDIA
10	JHE-DU-202701132956	ATC	DUMKA	JAMA	NAWADIH

DISTRICT-DUMKA, BLOCK-JAMA (Fresh)

S.NO	TowerId	Company Name	Dist	Block	Panchayat
1	JH-DU-24251014210	Indus Towers Limited	DUMKA	JAMA	TENGDHOWA
2	JH-DU-24080517109	Indus Towers Limited	DUMKA	JAMA	CHIKNIA
3	JH-DU-212601141535	ATC	DUMKA	JAMA	SIMRA
4	JH-DU-212601143034	ATC	DUMKA	JAMA	ASANJOR
5	JH-DU-232108125820	Indus Towers Limited	DUMKA	JAMA	BEDIA
6	JH-DU-232606163922	Indus Towers Limited	DUMKA	JAMA	Nischitpur
7	JH-DU-211003122747	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	JAMA	ASANSOL KURUA
8	JH-DU-21100312100	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	JAMA	TENGDHOWA
9	JH-DU-211001153448	ATC	DUMKA	JAMA	BHUTOKORIA
10	JH-DU-191111190456	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	JAMA	CHIKNIA
11	JH-DU-191006194823	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	JAMA	SIKTIA
12	JH-DU-192810175127	Reliance Jio Infratel Private limited	DUMKA	JAMA	ASANSOL KURUA
13	JH-DU-190611133823	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	JAMA	TENGDHOWA
14	JH-DU-20090113563	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	JAMA	BEDIA
15	JH-DU-192511145726	Reliance Jio Infratel Private limited	DUMKA	JAMA	NACHANGARIA
16	JH-DU-190312185125	Reliance Jio Infratel Private limited	DUMKA	JAMA	BEDIA
17	JH-DU-202202173454	Reliance Jio Infratel Private limited	DUMKA	JAMA	BHARAIBPUR
18	JH-DU-18271011327	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	JAMA	CHIKNIA
19	JH-DU-181311184157	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	JAMA	BARA
20	JH-DU-182212140051	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	JAMA	MOHULBANA
21	JH-DU-190801165144	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	JAMA	NAWADIH
22	JH-DU-193001172234	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	JAMA	BATNIA
23	JH-DU-183010184612	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	JAMA	CHIKNIA
24	JH-DU-182408160122	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	JAMA	MOHULBANA
25	JH-DU-182408171242	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	JAMA	SARSABAD
26	JH-DU-18240817206	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	JAMA	BEDIA
27	JH-DU-182408185051	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	JAMA	LAGLA
28	JH-DU-18060909561	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	JAMA	SIMRA
29	JH-DU-181909165333	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	JAMA	BHARAIBPUR
30	JH-DU-181303141319	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	JAMA	TAPSI
31	JH-DU-180703174925	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	JAMA	BATNIA
32	JH-DU-182302111455	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	JAMA	CHIKNIA
33	JH-DU-182402160458	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	JAMA	KHATANGI
34	JH-DU-182602135458	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	JAMA	BARA

DISTRICT-DUMKA, BLOCK-RAMGARH (Existing)

Sl. No	Tower Id	Company Name	District Name	Block Name	Panchayat Name/ Ward No.
1	JHE-DU-201001144521	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	RAMGARH	DHOWA
2	JHE-DU-201301120528	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	RAMGARH	THARIHAT
3	JHE-DU-201301123053	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	RAMGARH	BARI RANBAHIYAR
4	JHE-DU-201301161144	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	RAMGARH	BARI RANBAHIYAR
5	JHE-DU-202301131358	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	RAMGARH	KANJO
6	JHE-DU-222907161040	Indus Towers Limited	DUMKA	RAMGARH	Karbindha

DISTRICT-DUMKA, BLOCK-RAMGARH (Fresh)

Sl.NO.	TowerId	CompanyName	Dist	Block	Panchayat
1	JH-DU-233108111029	Indus Towers Limited	DUMKA	RAMGARH	AMRAPAHARI
2	JH-DU-233108112815	Indus Towers Limited	DUMKA	RAMGARH	NOKHETA
3	JH-DU-230109112721	Indus Towers Limited	DUMKA	RAMGARH	BORIA
4	JH-DU-23010911322	Indus Towers Limited	DUMKA	RAMGARH	DANRO
5	JH-DU-230307131911	Indus Towers Limited	DUMKA	RAMGARH	DHOWA
6	JH-DU-202602134114	ATC	DUMKA	RAMGARH	BORIA
7	JH-DU-202110180539	ATC	DUMKA	RAMGARH	BHALSUMAR
8	JH-DU-200901122926	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	RAMGARH	AMARPUR
9	JH-DU-192510125219	Reliance Jio Infratel Private limited	DUMKA	RAMGARH	KARUDIH
10	JH-DU-192510130347	Reliance Jio Infratel Private limited	DUMKA	RAMGARH	SUSNIA
11	JH-DU-192811164332	Reliance Jio Infratel Private limited	DUMKA	RAMGARH	MAHUBANA
12	JH-DU-201809194056	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	RAMGARH	Chhoti Ranbhiyar
13	JH-DU-201909122025	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	RAMGARH	SILTHA
14	JH-DU-202009201042	BHARTI INFRATEL LTD	DUMKA	RAMGARH	PATHARIA
15	JH-DU-192512163845	Reliance Jio Infratel Private limited	DUMKA	RAMGARH	LATBERWA
16	JH-DU-192512164743	Reliance Jio Infratel Private limited	DUMKA	RAMGARH	BARMASIA
17	JH-DU-180109171224	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	RAMGARH	
18	JH-DU-181311124939	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	RAMGARH	BHALSUMAR
19	JH-DU-180112171728	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	RAMGARH	AMARPUR
20	JH-DU-18291019320	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	RAMGARH	BARI RANBAHIYAR
21	JH-DU-182408190642	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	RAMGARH	BHALSUMAR
22	JH-DU-182408191617	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	RAMGARH	KANJO
23	JH-DU-182708152856	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	RAMGARH	NOKHETA
24	JH-DU-183008124346	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	RAMGARH	KARUDIH
25	JH-DU-180309180828	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	RAMGARH	SILTHA
26	JH-DU-181708141714	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	RAMGARH	BHATURIA A
27	JH-DU-18170814367	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	RAMGARH	DANRO
28	JH-DU-181708152341	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	RAMGARH	SILTHA B
29	JH-DU-171612112531	RELIANCE JIO INFOCOMM LTD	DUMKA	RAMGARH	BHALSUMAR

श्री रोशन लाल चौधरी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या--ख0–06

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के अंतर्गत बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखंड क्षेत्र में खनन कार्य कर रही NTPC कोल माइंस, CCL कोल माइंस, JSW कोल माइंस, अडानी तथा NMDC कोल माइंस परियोजनाओं को खनन पट्टा 17–18 अनिवार्य शर्तों के अनुपालन की शर्त पर निर्गत किया गया है साथ ही परियोजनाओं/कंपनियों द्वारा उक्त शर्तों का आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक–238, दिनांक–19.02.2026 एवं M/s NTPC द्वारा Allotment Agreement में निर्दिष्ट सभी शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है, M/s CCL द्वारा भूमि कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहण किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत अर्जित की गई भूमि के सभी अधिकार (जिसमें खनन अधिकार भी शामिल हैं) केन्द्र सरकार द्वारा CCL में निहित कर दिया गया है। जिन शर्तों के तहत निहित किया गया है उन शर्तो का पालन CCL द्वारा किया जा रहा है। M/s JSW Coal Mines, M/s NMDC Coal तथा M/s Adani Coal Mines द्वारा खनन कार्य चालू नहीं किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त कंपनियों द्वारा नियुक्त MDO कंपनियों के माध्यम से खनन कार्य किया जा रहा है, जिसमें भू–अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, स्थानीय लोगों का नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण के मानक, पर्यावरणीय जनसुनवाई, सामाजिक प्रभाव आकलन जैसी खनन पट्टा मे निर्धारित अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य संचालित किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। जिला खनन कार्यालय, हजारीबाग के पत्रांक–238 दिनांक–19.02.2026 के साथ CCL एवं NTPC के संलग्न पत्रों के अनुसार M/s NTPC एवं M/s CCL द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सभी वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही खनन कार्य किया जा रहा है। M/s CCL द्वारा Coal India के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) नीति, 2012 के अनुसार नियोजन एवं मुआवजा प्रदान किया जाता है। M/s CCL द्वारा MDO के माध्यम से खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। M/s NTPC द्वारा MDO के माध्यम से खनन कार्य किया जा रहा है एवं खनन कम्पनी MDO द्वारा स्थानीय लोगों को योग्यता एवं उपलब्धता के आधार पर नियोजन पर प्राथमिकता दी जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखंड क्षेत्र सहित राज्य में खनन कार्य कर रहे कंपनियों एवं उनके MDO के विरुद्ध खनन पट्टा की शर्तों की प्रति उपलब्ध कराते हुए, उक्त शर्तों के उल्लंघन को उच्चस्तरीय जाँच/समीक्षा हेतु समिति गठित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपरोक्त क्रमांक–1 एवं 2

झारखण्ड सरकार

<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>

ज्ञापांक:–दि०स०(तारा०)–15/2026 319 /एम०, राँची, दिनांक:– 20/02/26

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–4080 दिनांक–16.02.2026 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.2.26

सरकार के उप सचिव

629
21/02/2026

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि.–33

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कस्तुरबा विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, जहां तीन पहर का नास्ता, भोजन दिया जाता है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कस्तुरबा विद्यालयों में नास्ता, भोजन बनाने के लिए कुक रखा गया है, जिन्हें न्यूनतम् मजदूरी दर से भी बहुत कम मजदूरी दिया जाता है;	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के पत्रांक 83 दिनांक 19.02.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार Project Approval Board, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय अंतर्गत कार्यरत कुक (रसोईया) के लिए प्रतिमाह स्वीकृत मानदेय रु. 6000/– (60% अर्थात् रु. 3600/– केंद्रांश तथा 40% अर्थात् रु. 2400/– राज्यांश) एवं सहायक रसोईया के लिए रु. 4800/– (60% अर्थात् रु. 2880/– केंद्रांश तथा 40% अर्थात् रु. 1920/– राज्यांश) है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कस्तुरबा विद्यालयों में खाना बनाने वाले कुशल मजदूरों को सम्मानजनक कुशल मजदूरी देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दी गयी मानदेय बढ़ोत्तरी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के आलोक में वर्त्तमान में इनका मानदेय **1. रसोईया – रु. 16000/– (रु. 3600/– केंद्रांश, रु. 2400/– राज्यांश एवं रु. 10000/– राज्य सरकार द्वारा स्वयं की निधि से अतिरिक्त वृद्धि) प्रतिमाह एवं 2. सहायक रसोईया – रु. 7200/– (रु. 2880/– केंद्रांश, रु. 1920/– राज्यांश एवं रु. 2400/– राज्य सरकार द्वारा स्वयं की निधि से अतिरिक्त वृद्धि) प्रतिमाह है।** साथ ही, राज्य सरकार के संकल्प संख्या 1983 दिनांक 21.10.2025 द्वारा कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के मानदेय में 04% की वार्षिक वृद्धि का प्रावधान किया गया है।

21/02/26
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–37/2026 629 / दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26
सरकार के अवर सचिव।

श्री जनार्दन पासवान, मा० स०वि०स०, से प्राप्त दिनांक – 24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या टन – 32 का प्रश्नोत्तर :

प्रश्न			उत्तर
क्या मंत्री पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–			मा० मंत्री, पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के प्रखण्ड हंटरगंज स्थित कौलेश्वरी पर्वत जो हिन्दु, जैन एवं बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण संगम स्थल है, जो झारखण्ड के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल मे एक है ;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि इस धार्मिक पर्यटन स्थल पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं परन्तु राज्य सरकार के पास विदेशी पर्यटकों का वर्षवार कोई अधिकारिक आँकड़ा नहीं है और ना ही संधारित किया जा रहा है ;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक। पर्यटन के डाटा हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा सूचिबद्ध एजेंसियों में से चयनित एजेंसी CMRSD द्वारा डाटा संग्रहण कर आँकड़ा तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गृह विभाग (पुलिस विभाग) के द्वारा भी विदेशी पर्यटकों का डाटा संधारित किया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि इस स्थल पर विदेशी एवं देशी पर्यटकों के लिये कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है ;	3.	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि कौलेश्वरी पर्वत पर पर्यटक विकास के उद्देश्य से रोप–वे निर्माण का डी०पी०आर० तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभाग के पास लंबित है ;	4.	आंशिक स्वीकारात्मक। कौलेश्वरी पर्वत पर पर्यटक विकास के उद्देश्य से रोप–वे हेतु एजेंसी Rites Ltd. द्वारा Feasibility Study कराया गया, जिसमें एजेंसी के द्वारा रोप–वे को Feasible पाया गया है। पर्यटन विभाग के पास तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होने के कारण उक्त रोप–वे के अधिष्ठापन संबंधी कार्य पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड के माध्यम से कराया जायेगा।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कौलेश्वरी पर्वत पर शीघ्र रोप–वे निर्माण एवं इसे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है; यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	5.	विभागीय पत्रांक 650, दिनांक 03.04.2025 द्वारा कौलेश्वरी रोप–वे हेतु पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड के माध्यम से कराये जाने हेतु पथ निर्माण विभाग से पत्राचार किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

ज्ञापांक – पर्यटन/वि०स०/35/2026 362 /राँची, दिनांक 21/02/2026 /

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक 4071/वि०स०, दिनांक 16.02.2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/2026
सरकार के अवर सचिव

श्री सुखराम उराँव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या टन०–31 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के बन्दगाँव प्रखण्ड के कंसरा गाँव का ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है;	1.	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि प्रतिवर्ष कंसरा मंदिर प्रांगण में महोत्सव/मेला का आयोजन किया जाता है;	2.	अस्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है उक्त स्थल में पर्यटन विभाग की तरफ से अब तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है;	3.	अस्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (01) में वर्णित कंसरा मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने का विचार रखती है; यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	प्रश्नाधीन पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के बन्दगाँव प्रखण्ड के कंसरा मंदिर को विभागीय अधिसूचना सं०–11, दिनांक–27.10.2021 के द्वारा रामतीर्थ तीर्थ स्थल – श्रेणी C के रूप में पर्यटक स्थल अधिसूचित है। विदित हो कि श्रेणी 'C' एवं श्रेणी 'D' के पर्यटन स्थलों के पर्यटकीय विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् को Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया जाता है और जिला स्वयं इससे श्रेणी 'C' एवं श्रेणी 'D' के पर्यटक स्थलों का विकास कर सकता है। इस सन्दर्भ में विभाग से संकल्प सं०–02, दिनांक 06.06.2022 निर्गत है तथा विभागीय आवंटन आदेश सं०–66, दिनांक–13.02.2024 द्वारा रू०1,00,00,000/– का आवंटन जिला पर्यटन संवर्धन परिषद, पश्चिमी सिंहभूम को प्रदान किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय होगा कि विभागीय पत्रांक 261, दिनांक 20.02.2025 द्वारा जिला में अवस्थित श्रेणी 'C' एवं श्रेणी 'D' के पर्यटक स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराने हेतु संबंधित को निदेशित किया गया तथा विभागीय पत्रांक 772, दिनांक 28.02.2024 एवं विभागीय पत्रांक 1495, दिनांक 23.09.2025 द्वारा अधिसूचित पर्यटन स्थलों की विकास हेतु प्रस्ताव प्राक्कलन उपलब्ध करने का अनुरोध सभी उपायुक्त, झारखण्ड से किया गया है। उक्त स्थल का समग्र पर्यटकीय विकास हेतु प्रस्ताव प्राक्कलन प्राप्त होने पर भूमि की उपलब्धता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर योजना की स्वीकृति दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/34/2026 346 /राँची, दिनांक 20/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–4072/वि०स०, दिनांक– 16/02/2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/2026
सरकार के अवर सचिव

श्री उमाकान्त रजक, मा० स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–24.02.2026 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–36 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री उमाकान्त रजक, मा० सदस्य विधान सभा	श्री सुदिव्य कुमार, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के चन्दनक्यारी में वर्ष 2018 में 10 करोड़ रूपये की प्राक्कलन से स्टेडियम निर्माण हेतु मे० शिव नरेश कम्पनी को कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात भी आज तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभागीय प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या– 51/रा०, दिनांक–15.03.2018 द्वारा बोकारो जिलान्तर्गत चन्दनक्यारी में स्टेडियम निर्माण हेतु रू० 6,08,68,900/– मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक–111/खे०, दिनांक–21.02.26 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक द्वारा 21 विभिन्न कार्य कराए गए है परन्तु पैवेलियन भवन एवं गैलरी का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। वर्त्तमान में उक्त स्टेडियम का उपयोग स्थानीय खिलाड़ियों के द्वारा किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(एक) में आवंटित प्राक्कलित राशि (डी.पी.आर.) को पुनरीक्षित (Revise) किया गया है;	स्वीकारात्मक। उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक–111/खे०, दिनांक–21.02.26 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मुख्य अभियंता, रूपांकन, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जल संसाधन विभाग, राँची के पत्रांक–442, दिनांक–28.12.2018 द्वारा विचलन की स्वीकृति दी गई है, जिसके विचलन की कुल राशि रू० 1,49,48,322/– मात्र है।
3	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त खण्डों के आलोक में विभाग द्वारा संवेदक को 90% भुगतान कर दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश सं०–51/रा०, दिनांक–15.03.2018 द्वारा प्रदत प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में अद्यावधि उपायुक्त, बोकारो को विभागीय आवंटनादेश संख्या– 72/आ०, दिनांक– 19.03.2018, 77/आ०, दिनांक–22.02.2019 एवं 77/आ०, दिनांक–23.03.2020 द्वारा कुल रू० 4,70,00,000/– मात्र आवंटित है। उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक–111/खे०, दिनांक–21.02.26 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि रू० 6,08,68,900/– के विरुद्ध रू० 4,40,42,691/– मात्र भुगतान की गई है, जो 72.36% है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 7 वर्षों से लम्बित कार्य को पूर्ण करने के लिए जाँच कमिटी बना कर कम्पनी एवं विभाग के जबावदेही पदाधिकारी एवं अभियंता पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है; यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उल्लेखनीय है कि उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक–437/खे०, दिनांक– 23.11.2022 के माध्यम से विषयांकित योजना हेतु एकरारनामा राशि रू० 8,03,17,619/– के अनुरूप रू० 3,33,17,619/– के आवंटन की अधियाचना की गई जिसके क्रम में विभागीय पत्रांक– 1964, दिनांक–19.12.2022 द्वारा 05 बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांग की गई जिसके लिए विभागीय पत्रांक–351, दिनांक–21.02.23 एवं पत्रांक–2285, दिनांक–18.12.2023 द्वारा स्मारित भी किया गया है। साथ ही झारखण्ड विधानसभा की युवा कल्याण संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति की दिनांक–16.10.2025 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में विभागीय

7

		पत्रांक–1601, दिनांक–15.10.2025 तथा विभागीय अर्द्धसरकारी पत्रांक–331, दिनांक–19.02.2026 द्वारा वांछित अद्यतन प्रतिवेदन मंतव्य सहित विभाग को उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, बोकारो को निदेशित किया गया है। उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक–111/खे०, दिनांक–21.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उप विकास आयुक्त बोकारो, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, बोकारो एवं जिला खेल पदाधिकारी,बोकारो को निदेश दिया गया है कि जाँच समिति के पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर दिनांक–15.03.2026 तक स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे जिसका पर्यवेक्षण उप विकास आयुक्त, बोकारो द्वारा किया जाएगा। उपायुक्त, बोकारो से मंतव्य सहित सुस्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–21/2026 370 / रॉची, दिनांक 21/02/26

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, रॉची को उनके ज्ञाप सं0–4026/वि०स०, दिनांक–15.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/02/2026

सरकार के अवर सचिव

श्री संजय कुमार सिंह यादव, स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक–24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या उत–05 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि, पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखण्ड मुख्यालय में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अंचल–हुसैनाबाद में डिग्री महाविद्यालय, हुसैनाबाद स्थापित है।
02	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज नहीं होने से यहाँ के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 100–110 कि0मि0 दूरी तय कर जिला मुख्यालय या अन्य जगहों में जाना पड़ता है जिससे छात्र–छात्राओं को आर्थिक बोझ के साथ बहुमूल्य समय की बर्बादी होती है ;	अस्वीकारात्मक। हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अंचल–हुसैनाबाद में डिग्री महाविद्यालय, हुसैनाबाद संचालित है, साथ ही स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय ए0के0 सिंह कॉलेज, जपला संचालित है। जहाँ छात्र–छात्रायें शिक्षा प्राप्त कर रहे है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित प्रखण्ड मुख्यालय में छात्र–छात्राओं के उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कराने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	वैसे विधान सभा क्षेत्र जहाँ पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं है, उन विधान सभा क्षेत्रों में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु सरकार का निर्णय है। वर्त्तमान में प्रखण्डवार डिग्री महाविद्यालय के स्थापना हेतु सरकार का निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–11/2026 455 / रॉंची, दिनांक : 21/02/2026

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं0–3628, दिनांक–11.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
सरकार के अवर सचिव

R/ Budget Session, Uttar Prativedan 2026

श्री सोनाराम सिंकु, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या टन०–26 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर प्रखण्ड में वैतरणी नदी तट पर रामतीर्थ तीर्थ स्थल (रामेश्वर धाम) में जहाँ सालों भर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को आवागमन बना रहता है ;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि प्रत्येक वर्ष 14 तथा 15 जनवरी (मकर संक्रांति) को वैतरणी नदी में लाखो श्रद्धालु स्थान (डूबकी लगाने) करने उक्त स्थल पर आते है ;	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रामतीर्थ तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल एवं सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती हैं, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	प्रश्नाधीन पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर प्रखण्ड को विभागीय अधिसूचना सं०–11, दिनांक–27.10.2021 के द्वारा रामतीर्थ तीर्थ स्थल – श्रेणी D के रूप में पर्यटक स्थल अधिसूचित है। विदित हो कि श्रेणी 'C' एवं श्रेणी 'D' के पर्यटन स्थलों के पर्यटकीय विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् को Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया जाता है और जिला स्वयं इससे श्रेणी 'C' एवं श्रेणी 'D' के पर्यटक स्थलों का विकास कर सकता है। इस सन्दर्भ में विभाग से संकल्प सं०–02, दिनांक 06.06.2022 निर्गत है तथा विभागीय आवंटन आदेश सं०–68, दिनांक–13.02.2024 द्वारा रू०1,00,00,000/– का आवंटन जिला पर्यटन संवर्धन परिषद, पश्चिमी सिंहभूम को प्रदान किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय होगा कि विभागीय पत्रांक 261, दिनांक 20.02.2025 द्वारा जिला में अवस्थित श्रेणी 'C' एवं श्रेणी 'D' के पर्यटक स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराने हेतु संबंधित को निदेशित किया गया तथा विभागीय पत्रांक 772, दिनांक 28.02.2024 एवं विभागीय पत्रांक 1495, दिनांक 23.09.2025 द्वारा अधिसूचित पर्यटन स्थलों की विकास हेतु प्रस्ताव प्राक्कलन उपलब्ध करने का अनुरोध सभी उपायुक्त, झारखण्ड से किया गया है। उक्त स्थल का समग्र पर्यटकीय विकास हेतु प्रस्ताव प्राक्कलन प्राप्त होने पर भूमि की उपलब्धता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर योजना की स्वीकृति दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/31/2026.....350...../राँची, दिनांक.....20/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–4066/वि०स०, दिनांक–16/02/2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/2026

सरकार के अवर सचिव

श्री सुरेश पासवान, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या टन०-16 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला अन्तर्गत प्रखण्ड देवघर के पुनासी जलाशय एवं दिगरिया पहाड़ मोहनपुर प्रखण्ड के तपोवन एवं त्रिकुट पहाड़ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि वर्णित सभी पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण कर विकसित करने से अधिक संख्या में सैलानियों का आने से हजारों की संख्या में बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सकेगा;	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	प्रश्नाधीन देवघर जिला अन्तर्गत प्रखण्ड देवघर के पुनासी जलाशय एवं दिगरिया पहाड़ को विभागीय अधिसूचना सं०-14, दिनांक-07.10.2024 के द्वारा श्रेणी-C एवं मोहनपुर प्रखण्ड के तपोवन को विभागीय अधिसूचना सं०-03, दिनांक-16.02.2024 के द्वारा श्रेणी-D तथा त्रिकुट पहाड़ को विभागीय अधिसूचना सं०-01, दिनांक-22.02.2019 के द्वारा श्रेणी-A के रूप में पर्यटक स्थल अधिसूचित है। विदित हो कि श्रेणी 'C' एवं श्रेणी 'D' के पर्यटन स्थलों के पर्यटकीय विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् को Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया जाता है और जिला स्वयं इससे श्रेणी 'C' एवं श्रेणी 'D' के पर्यटक स्थलों का विकास कर सकता है। इस सन्दर्भ में विभाग से संकल्प सं०-02, दिनांक 06.05.2022 निर्गत है तथा विभागीय आवंटन आदेश सं०-56, दिनांक-05.01.2026 द्वारा रू०1,25,00,000/- का आवंटन जिला पर्यटन संवर्धन परिषद, देवघर को प्रदान किया गया है। झारखण्ड राज्य भवन निगम लि०, राँची के पत्रांक-2269, दिनांक-11.09.2024 द्वारा पुनासी जलाशय के पर्यटकीय विकास हेतु रू० 2,57,22,000/- का प्राक्कलन विभाग को प्राप्त है, परन्तु योजना का कार्य हेतु चिन्हित भूमि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन है। अतः विभागीय पत्रांक 116, दिनांक 30.01.2026 द्वारा जल संसाधन विभाग, झारखण्ड से उक्त चिन्हित भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र माँगा गया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय होगा कि विभागीय पत्रांक 261, दिनांक 20.02.2025 द्वारा जिला में अवस्थित श्रेणी 'C' एवं श्रेणी 'D' के पर्यटक स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराने हेतु संबंधित को निदेशित किया गया तथा विभागीय पत्रांक 772, दिनांक 28.02.2024 एवं विभागीय पत्रांक 1495, दिनांक 23.09.2025 द्वारा अधिसूचित पर्यटन स्थलों की विकास हेतु प्रस्ताव प्राक्कलन उपलब्ध करने का अनुरोध उपायुक्त, देवघर से किया गया है। उक्त स्थल का समग्र पर्यटकीय विकास हेतु प्रस्ताव प्राक्कलन प्राप्त होने पर भूमि की उपलब्धता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर योजना की स्वीकृति दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक-पर्यटन/वि०स०/15/2026 347 /राँची, दिनांक 20/02/2026

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-3841/वि०स०, दिनांक- 13/02/2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20/02/2026
सरकार के अवर सचिव

618
21/02/2026

श्री शत्रुघ्न महतो, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि.–31		
क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय, कांड्रा एवं मध्य विद्यालय, कपुरिया संचालित काफी पुरातन विद्यालय है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मध्य विद्यालय, कांड्रा में लगभग 300 एवं मध्य विद्यालय, कपुरिया में लगभग 350 बच्चे अध्ययनरत् हैं, जिन्हें उच्च विद्यालय की शिक्षा हेतु दूर क्षेत्रों में जाने की विवशता है;	अस्वीकारात्मक। मध्य विद्यालय, कांड्रा में 171 एवं मध्य विद्यालय, रूदी, कपुरिया में 186 छात्र/छात्रा नामांकित हैं। मध्य विद्यालय, कांड्रा के निकटस्थ निम्नांकित उच्च विद्यालय संचालित हैं – 1. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कुँजी – 2 कि.मी., 2. के.बी.उच्च विद्यालय, महुदा – 4 कि.मी., 3. उच्च विद्यालय, कुँजी (स्थापना अनुमति प्राप्त)–4.5 कि.मी. एवं 4. डी.पी.एल.एम.ए. +2 उच्च विद्यालय, नावागढ़– 4 कि.मी.। मध्य विद्यालय, रूदी, कपुरिया के निकटस्थ निम्नांकित उच्च विद्यालय संचालित हैं – 1. बी.टी.एम. उच्च विद्यालय, मालकेरा – 5 कि.मी. एवं 2. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चरकीटांड़ – 4 कि.मी.।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों विद्यालयों को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय करने की मांग स्थानीय जनों द्वारा वर्षों से की जा रही है;	जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक 387 दिनांक 19.02.2026 से प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन के अनुसार मध्य विद्यालय, कांड्रा के उत्क्रमण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे दिनांक 11.11.2025 को सम्पन्न माध्यमिक शिक्षा स्थापना समिति, धनबाद द्वारा लिए गए निर्णयानुसार जगह की कमी के कारण अन्य स्थान पर जमीन चिन्हित करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक–2373 दिनांक 09.12.2025 द्वारा अपर समाहर्त्ता, धनबाद से पत्राचार किया गया है। साथ ही उनका प्रतिवेदन है कि मध्य विद्यालय, कपुरिया का उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु प्रस्ताव अप्राप्त है, प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मध्य विद्यालय, कपुरिया एवं मध्य विद्यालय, कांड्रा को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	नयी शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग के स्थान पर समेकित माध्यमिक (Secondary Class 09-12) आचार्य संवर्ग के अंतर्गत पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है तथा इस हेतु झारखण्ड सरकारी माध्यमिक आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2025 गठित की गयी है, जिसमें जनजातीय भाषा शिक्षकों, कम्प्यूटर शिक्षकों आदि की नियुक्ति का भी प्रावधान रखा गया है। माध्यमिक (Secondary Class 09-12) आचार्य के पद सृजन एवं विद्यालयों के आनुपातिक उत्क्रमण के निर्णय हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर प्रारंभिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

21/02/26
सरकार के अवर सचिव।

श्री जगत माझी, मा० स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–24.02.2026 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–23 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री जगत माझी, मा० सदस्य विधान सभा	श्री सुदिव्य कुमार, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर, आनन्दपुर और गोईलकेरा प्रखण्ड क्षेत्र में एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल खेल में स्थानीय प्रतिभावान खिलाड़ियों ने सिर्फ राज्य ही नहीं देश में भी अपना सफल प्रतिनिधित्व किया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मनोहरपुर, आनन्दपुर और गोईलकेरा प्रखण्ड क्षेत्र में एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल खेल में स्थानीय खिलाड़ियों के लिए आवासीय या डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र का सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है;	खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–102, दिनांक–19.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्यालय आदेश संख्या–121, दिनांक–05.01.2024 द्वारा महनोहरपुर प्रखण्ड में ईश्वर पाठक उच्च विद्यालय, मनोहरपुर, पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत फुटबॉल (बालक एवं बालिका) डे–बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र अधिष्ठापित करने की स्वीकृति दी गई। उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षक की नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। गोईलकेरा प्रखण्ड में एथलेटिक्स डे–बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र के अधिष्ठापन हेतु जिला खेल पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक–508/खे०, दिनांक– 06.12.2025 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त है। विभागीय अधिसूचना संख्या–05, दिनांक–28.03.2023 द्वारा गठित विभागीय अनुशंसा समिति की आगामी बैठक में उक्त प्रशिक्षण केन्द्र के अधिष्ठापन के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मनोहरपुर, आनन्दपुर और गोईलकेरा प्रखण्ड क्षेत्र में एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल खेल में स्थानीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन और बेहतर बनाने के लिए आवासीय या डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र का सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मनोहरपुर एवं गोईलकेरा प्रखण्ड में प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिष्ठापन के संबंध में उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट है। आनन्दपुर प्रखण्ड में क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र के अधिष्ठापन के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

राँची, दिनांक 21/02/2026

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–18/2026 361 /
प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0– 3847/वि०स०, दिनांक–13.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/02/26
सरकार के अवर सचिव

5

श्री मनोज कुमार यादव, मा० स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–24.02.2026 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–28 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री मनोज कुमार यादव, मा० सदस्य विधान सभा	श्री सुदिव्य कुमार, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही प्रखण्ड के धमना में अवस्थित इंडोर स्टेडियम रख–रखाव के अभाव में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खंड में वर्णित इंडोर स्टेडियम का निर्माण क्षेत्र के युवा पीढ़ी के खेल कूद में बढ़ाव हेतु किया गया था;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित इंडोर स्टेडियम का पुर्ननिर्मिण कराने का विचार रखती है; यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, हजारीबाग से इण्डोर स्टेडियम के मरम्मति एवं जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–33/2026 355 / राँची, दिनांक 20/02/2026

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–4068/वि०स०, दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/02/2026
सरकार के अवर सचिव

6

623
21/02/2026

श्री शत्रुघ्न महतो, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि.–32

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि BTM उच्च विद्यालय, मालकेरा क्षेत्र का सबसे पुरातन विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की संख्या काफी ज्यादा है, जिन्हें उच्चतर माध्यमिक +2 की शिक्षा के लिए काफी दूर तक भटकना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। BTM उच्च विद्यालय, मालकेरा में वर्ग–9 में 173 एवं वर्ग–10 में 165 छात्र/छात्रा नामांकित हैं। +2 की शिक्षा हेतु जी.एन.एम. +2 उच्च विद्यालय, कतरासगढ़– सरकारी +2 उच्च विद्यालय (08 कि.मी.) की सुविधा उपलब्ध है।
2	क्या यह बात सही है कि BTM उच्च विद्यालय, मालकेरा को उच्चतर माध्यमिक (+2) विद्यालय में उत्क्रमित करने की मांग लम्बे समय से की जा रही है;	जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक 386 दिनांक 19.02.2026 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में अंकित है कि इस संबंध में दिनांक 24.04.2025 को क्षेत्र के प्रतिनिधियों से हस्ताक्षरयुक्त प्रस्ताव उनके कार्यालय को प्राप्त हुआ है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार BTM उच्च विद्यालय, मालकेरा को उच्चतर माध्यमिक (+2) में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त प्रतिवेदन के अनुसार बी.टी.एम. उच्च विद्यालय, मालकेरा को +2 विद्यालय में उत्क्रमण हेतु प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बाघमारा से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। **नयी शिक्षा नीति, 2020** के आलोक में राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग के स्थान पर समेकित **माध्यमिक (Secondary Class 09-12) आचार्य संवर्ग** के अंतर्गत पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है तथा इस हेतु झारखण्ड सरकारी माध्यमिक आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2025 गठित की गयी है, जिसमें जनजातीय भाषा शिक्षकों, कम्प्यूटर शिक्षकों आदि की नियुक्ति का भी प्रावधान रखा गया है। माध्यमिक (Secondary Class 09-12) आचार्य के पद सृजन एवं विद्यालयों के आनुपातिक उत्क्रमण के निर्णय हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर प्रारंभिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–38/2026 623 / दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–24.02.2026 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–20 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री अमित कुमार यादव, मा० सदस्य विधान सभा	*श्री सुदिव्य कुमार, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कराये जाने का प्रावधान प्रावधानिक है;	स्वीकारात्मक। मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 608 दिनांक 20.04.2012 द्वारा राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक–एक स्टेडियम निर्माण हेतु निर्णय है।
2	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत चलकुशा प्रखण्ड मुख्यालय में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण अब तक स्वीकृत नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में चलकुशा प्रखण्ड सहित राज्य के सभी स्टेडियम रहित प्रखण्ड मुख्यालयों में स्टेडियम निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय अर्द्धसरकारी पत्रांक 158, दिनांक–03.02.2026 द्वारा चलकुशा प्रखण्ड सहित शेष प्रखण्डों जहाँ प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम स्वीकृत नहीं है में खेल संस्कृति के अनुरूप प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की सभी पहलुओं की समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण से संबंधित प्रस्ताव (भूमि विवरणी तथा चेकलिस्ट सहित) विभाग को उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, हजारीबाग से अनुरोध किया गया है। उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक–404/खेल, दिनांक–18.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके कार्यालय पत्रांक– 116/खेल, दिनांक–17.05.2023, पत्रांक–64/खेल, दिनांक–10.02.2024 एवं जिला खेल कार्यालय हजारीबाग के पत्रांक– 390/खेल, दिनांक–07.02.2026 के द्वारा अंचल अधिकारी, चलकुशा से विस्तृत भूमि विवरणी की मांग की गई है। उपायुक्त, हजारीबाग से भूमि विवरणी सहित प्रस्ताव प्राप्त होने एवं बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–16/2026 ....356..../ राँची, दिनांक 20/02/2026

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3846/वि०स०, दिनांक–13.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/02/2026
सरकार के अवर सचिव

4

श्री धन्नजय सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या टन–38 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के बोरियों विधान सभा क्षेत्र के मउरो प्रखण्ड में अवस्थित रक्सी स्थान अत्यंत ही प्रचीन पूजा स्थल है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर प्रतिदिन हजारों लोग पूजा–अर्चना हेतु आते है;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल का आज तक समुचित विकास नहीं हो पाया है, यहाँ तक कि स्थल मूलभूत सुविधाओं जैसे धर्मशाला, जल, खाना बनाने के लिए भवन, सड़क चारदिवारी आदि से वंचित है;	3.	
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार साहेबगंज जिले के मउरो प्रखण्ड अवस्थित रक्सी स्थान को धार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना चाहती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	प्रश्नाधीन मडरो प्रखण्ड रक्सी को विभागीय अधिसूचना सं०–08, दिनांक–29.05.2023 के द्वारा श्रेणी–D के रूप में पर्यटक स्थल अधिसूचित है। विदित हो कि श्रेणी 'C' एवं श्रेणी 'D' के पर्यटन स्थलों के पर्यटकीय विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् को Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया जाता है और जिला स्वयं इससे श्रेणी 'C' एवं श्रेणी 'D' के पर्यटक स्थलों का विकास कर सकता है। इस सन्दर्भ में विभाग से संकल्प सं०–02, दिनांक 06.06.2022 निर्गत है। विभागीय पत्रांक 772, दिनांक 28.05.2024, पत्रांक 1495, दिनांक 23.09.2025 एवं पत्रांक 319 दिनांक 18.02.2026 द्वारा जिला में अवस्थित श्रेणी 'C' एवं श्रेणी 'D' के पर्यटक स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराने हेतु संबंधित को निदेशित किया गया।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/40/2026........359........./राँची, दिनांक......21/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–4166/वि०स०, दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/2026
सरकार के अवर सचिव

श्री सरयू राय, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–16 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक–12.11.2025 के अपने आदेश में झारखण्ड सरकार को निर्देशित किया है कि सारंडा सघन वन क्षेत्र के 431 वर्गकिलोमीटर क्षेत्र को तीन माह के भीतर वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करें;	आंशिक स्वीकारात्मक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा I.A. No-153500-153502/2024 in WP(C) No-202/1995 में दिनांक–13.11.2025 के पारित आदेश द्वारा सारण्डा वन प्रमंडल के 314.6825 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में से 06 कम्पार्टमेंट को छोड़कर तीन माह के भीतर वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित करने का निदेश दिया गया है।
2– क्या यह बात सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने की तीन माह का समय–सीमा आगामी 12 फरवरी, 2026 को पूरी हो जाएगी, परन्तु राज्य सरकार ने अभी तक सारंडा वन्य क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने के बारे में अधिसूचना निर्गत नहीं किया है;	स्वीकारात्मक।
3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सारंडा वन क्षेत्र के 431 वर्गकिलोमीटर क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	दिनांक–13.11.2025 के पारित आदेश के कुछ बिन्दुओं पर Clarification हेतु राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में समीक्षा याचिका (Review Petition) दायर किया गया है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित–34/2026– 646 रॉंची दिनांक– 22/02/26

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–4076, दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

श्री अमित कुमार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 24.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का मुरी वर्क्स, राँची को विभागीय पत्रांक–345, दिनांक–18.02.2025 द्वारा रेडमड NHAI को भेजने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का मुरी वर्क्स, राँची को झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पत्रांक–345 दिनांक–18.02.2025 द्वारा इस शर्त के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है कि पत्र निर्गत होने की तिथि से 1 (एक) वर्ष की अवधि के भीतर NHAI या NHAI के अधिकृत विक्रेता/ठेकेदारको 10 लाख टन रेड मड का परिवहन करना होगा एवं यह सुनिश्चित करना होगा कि बोर्ड द्वारा जारी शर्तों का पालन किया जाए।
2.	क्या यह बात सही है, कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का मुरी वर्क्स, राँची द्वारा पत्रांक– 1664, दिनांक– 11.03.2025 को रेड मड NHAI को भेजने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था जिसमें वर्णित था कि 2 लाख टन NHAI को बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के भेजा जा चुका है;	आंशिक स्वीकारात्मक। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का मुरी वर्क्स, राँची के पत्रांक–Hindalco/Env/2024-25/41दिनांक 22.10.2024 द्वारा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को सूचना उपलब्ध करायी गई थी, जिसकी जाँच प्रक्रियाधीन है।
3.	क्या यह बात सही है, कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का मुरी वर्क्स, राँची द्वारा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण से निर्गत पत्र संख्या –345, दिनांक–18.02.2025 का अनुपालन नहीं किया जाता है। यहाँ तक की रेड मड के परिवहन में इस्तेमाल किए जानेवाले वाहनों में तिरपाल भी सुव्यवस्थित ढ़ंग से नहीं लगाया जाता है;	अस्वीकारात्मक
4.	क्या यह बात सही है, कि इस निर्गत स्वीकृति पत्र के पृष्ठ संख्या–05 के क्रम संख्या–03 में वर्णित पीएच वैल्यु न्युट्रलाइज्ड नहीं किया जाता है;	अस्वीकारात्मक इकाई पत्रांक–Hindalco/Env/2024-25/64 दिनांक–07.03.2025 के अनुसार PH वैल्यु फ्लाई ऐश मिक्सिंग के द्वारा न्युट्रलाईज्ड किया जाता है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का मुरी वर्क्स, राँची पर कानुनी कार्रवाई करने की इच्छा रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त इकाई को पत्रांक–345 दिनांक–18.02.2025 द्वारा दिशा–निर्देश दी गई थी एवं इकाई को दिये गये निर्देश का अनुपालन संतोषजनक नही पाये जाने पर उनको पुनः पत्रांक 800 दिनांक 20.03.2025 द्वारा कारण पृच्छा की गयी थी। वर्तमान में इकाई पर नियमसंगत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0तारांकित–10/2026– 648 /व0प0, दिनांक– 23/02/26

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3634 दिनांक–11.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/26

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती मंजु कुमारी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या टन०–35 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत जमुआ प्रखण्ड में स्थित भगवान शिव का प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिर 'झारखण्ड धाम' के नाम से राज्यस्तर पर प्रसिद्ध है जहाँ 51 फीट ऊंची उड़ते हुए मुद्रा में हनुमान जी की भव्य प्रतिमा भी स्थापित है तथा सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में "झारखण्ड धाम" नाम से प्रसिद्ध यह एक मात्र धार्मिक स्थल है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि श्रद्धालुओं भक्तों एवं स्थानीय नागरिकों की लगातार मांग के बावजूद अबतक"झारखण्ड धाम महोत्सव" का पुनः आयोजन नहीं किया जा रहा है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि इस ऐतिहासिक एवं पवित्र स्थल पर महोत्सव के आयोजन से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा;	3.	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार प्रत्येक वर्ष वैशाख माह अक्षय तृतीया के अवसर पर "झारखण्ड धाम महोत्सव" के नियमित आयोजन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	विदित हो कि प्रश्नाधीन महोत्सव को राजकीय मेला/महोत्सव के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1969 दिनांक 07.12.2015, विभागीय परिपत्र ज्ञापांक 1069 दिनांक 07.06.2016, विभागीय ज्ञापांक 978 दिनांक 25.05.2023 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1943 दिनांक 12.12.2025 द्वारा किसी भी मेला/महोत्सव को राजकीय मेला/महोत्सव घोषित करने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी राजकीय मेला अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त राजकीय मेला/महोत्सव आयोजन हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 296 दिनांक 17.02.2026 द्वारा उक्त मेला/महोत्सव को राजकीय मेला/महोत्सव के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, गिरिडीह को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/20/2026......352......../राँची, दिनांक.......20/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–4027/वि०स०, दिनांक– 15/02/2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/2026

611
21/02/2026

श्री जिगा सुसारन होरो, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि.–04

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत सिसई प्रखण्डाधीन राजकीय उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय, मुर्गू संचालित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 537 है और विद्यालय में कमरा के अभाव में बच्चे दरी में बैठकर पठन–पाठन कर रहे हैं;	जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक 491 दिनांक 13.02.2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राजकीयकृत उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय, मुर्गू सिसई में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 541 है एवं कमरों की संख्या–05 है। विद्यालय में उपलब्ध बेंच–डेस्क की संख्या–128 है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यार्थियों के हित एवं उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय में कमरों के निर्माण एवं डेस्क–बेंच की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, के पत्रांक 727 दिनांक 16.02.2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना अंतर्गत सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 12/यो.1–36/2025 (SO/50)–1860 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा रा.उ.उ.वि., मुर्गू में 04 अतिरिक्त वर्ग कक्ष की स्वीकृति प्राप्त है एवं निविदा प्रक्रियाधीन है। आचार संहिता की समाप्ति के उपरांत शीघ्र ही निविदा निष्पादित कर कार्य प्रारंभ करा लिए जाने के संबंध में सूचित किया गया है।

21/02/26

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–08/2026..611........../ दिनांक..21/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26

सरकार के अवर सचिव।

श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–21

क्रं० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देश के प्रदूषित शहरों में से धनबाद को हरित राहत देने के लिए नगर वन के रूप में 'दामोदरपुर अर्बन फॉरेस्ट' का निर्माण विगत पाँच वर्ष से फंड की कमी, प्रशासनिक देरी तथा धीमे क्रियान्वयन के कारण अधूरा पड़ा हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक। धनबाद को हरित राहत देने के लिए भारत सरकार द्वारा नगर वन योजना के अन्तर्गत धनबाद वन प्रमण्डल के दामोदरपुर में कुल 9.59 हे0 वन क्षेत्र को नगर वाटिका के रूप में विकसित करने के लिए वर्ष 2022–23 में स्वीकृति प्राप्त हुई। भारत सरकार, राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (NAEB) से नगर वन योजना हेतु निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में रूपये 4.00 लाख प्रति हे० की दर से दो किस्तों में कुल रूपये 38,36,000.00 का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसमें से रूपये 26,82,600.00 का उपयोग किया गया है। शेष राशि रूपये 11,53,400.00 की निकासी तकनीकी कारणों से नहीं की जा सकी।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (01) में वर्णित पाँच वर्ष में 31.5 लाख खर्च होने के बावजूद 50 लाख और अतिरिक्त राशि की माँग हेतु जिला मुख्यालय से राज्य मुख्यालय द्वारा लगातार पत्राचार के बावजूद अबतक राशि नहीं हो पाई है, जिस कारण निर्माण राशि में वृद्धि होती जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। अवशेष राशि रूपये 11,53,400.00 को Revalidate कराने हेतु भारत सरकार, राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (NAEB) से कई बार अनुरोध किया गया है लेकिन Revalidate किए जाने की सूचना अद्यतन अप्राप्त है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (01) में वर्णित धनबाद में नगर वन के रूप में अर्द्धनिर्मित 'दामोदरपुर अर्बन फॉरेस्ट' को पूर्णतः निर्माण कराने की दिशा में अतिरिक्त राशि की अविलम्ब स्वीकृति दिलाने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	भारत सरकार, राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (NAEB) के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित–39/2026– 650 राँची दिनांक– 23/02/26

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–4158, दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/26

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

डॉ० नीरा यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–01

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पिछले पाँच सालों में राज्य में मात्र 6 बड़े उद्योगों की स्थापना हो पायी है तथा राज्य के अधिकांश इण्डस्ट्रियल एरिया में उद्योग बंद पड़े हैं;	**अस्वीकारात्मक।** **राँची प्रक्षेत्र**– जियाडा, राँची प्रक्षेत्र (तत्कालीन रियाडा) अंतर्गत विगत पाँच सालों में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं हेतु कुल 114 औद्योगिक इकाईयों को भूमि आवंटित की गयी है, जिसमें 46 इकाईयाँ कार्यरत है एवं 68 इकाईयाँ निर्माणाधीन है। **आदित्यपुर प्रक्षेत्र**– जियाडा, आदित्यपुर प्रक्षेत्र (तत्कालीन आयडा) अंतर्गत विगत पाँच सालों में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं हेतु कुल 82 औद्योगिक इकाईयों को भूमि आवंटित की गई है, जिसमें से 43 स्थापित है, जो उत्पादनरत है, 34 इकाईयाँ निर्माणाधीन एवं 5 इकाई आवंटन के पश्चात् माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में लंबित है। **बोकारो प्रक्षेत्र**– जियाडा, बोकारो प्रक्षेत्र (तत्कालीन बियाडा) अंतर्गत विगत पाँच सालों में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं हेतु कुल 66 औद्योगिक इकाईयों को भूमि आवंटित की गई है, जिसमें से 35 इकाईयाँ कार्यरत है एवं 31 इकाईयाँ निर्माणाधीन/प्रक्रियाधीन है। **संथाल परगना प्रक्षेत्र**– जियाडा, संथाल परगना प्रक्षेत्र (तत्कालीन स्पीयाडा) अंतर्गत विगत पाँच सालों में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं हेतु कुल 30 औद्योगिक इकाईयों को भूमि आवंटित की गई है, जिसमें से 02 इकाईयाँ कार्यरत है एवं 07 इकाईयाँ निर्माणाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में बरियारडीह में आयुध कारखाना लगना था, जो नहीं लगा और एक बड़ा भू–खण्ड खाली पड़ा हुआ है;	**अस्वीकारात्मक।** मरकच्चो प्रखण्ड अंतर्गत बरियारडीह में आयुध कारखाना करने के निमित्त भूमि चिन्हितकरण कार्य का मरकच्चो अंचल में कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। साथ ही यह भी सूचित करना है कि कोडरमा जिला में इस प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में अबतक एक भी बड़े उद्योग की स्थापना नहीं की गयी है;	**अस्वीकारात्मक।** कोडरमा जिले में कुल 19 औद्योगिक इकाई स्थापित है एवं उनका संचालन सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु उचित कदम उठाने के साथ कोडरमा विधान–सभा क्षेत्र में उद्योग लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सरकार के द्वारा स्वयं उद्योगों की स्थापना नहीं की जाती है। यदि कोई उद्यमी/कंपनी उद्योगों की स्थापना करती है अथवा उद्योगों की स्थापना हेतु इच्छुक होती है, तो राज्य में प्रवृत्त विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत अनुमान्य सुविधा एवं प्रोत्साहन प्रदान की जाती है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–01/2026 247 /राँची, दिनांक– 20.02.26

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3523 दिनांक–27.01.2026 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 20.2.26

सरकार के अवर सचिव

10

612
21/02/2026

श्रीमती सबिता महतो, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि.–29

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, रघुनाथपुर, नीमडीह सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित विद्यालय में अभी वर्ग छः से वर्ग–नवम् तक की ही पढ़ाई होती है;	अस्वीकारात्मक। वर्णित विद्यालय में वर्ग 7–10 तक की पढ़ाई होती है।
3	क्या यह बात सही है कि नीमडीह प्रखण्ड के के.जी.बी.भी. को छोड़कर अन्य कोई +2 विद्यालय नहीं है, जिस कारण बालिकाओं को पठन–पाठन में काफी परेशानियाँ होती हैं;	अस्वीकारात्मक। नीमडीह प्रखण्ड में 1. राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय, रघुनाथपुर, 2. एस.एन.भी. +2 उच्च विद्यालय, चेलीयामा, 3. उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय, झिमड़ी, 4. जे.के.एल.एम. आदरडीह तथा 5. एस.एन.एम. इंटर कॉलेज, दुमदुमी अवस्थित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रहित में खण्ड–01 में वर्णित प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय को उत्क्रमित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि **नयी शिक्षा नीति, 2020** के आलोक में राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग के स्थान पर समेकित **माध्यमिक (Secondary Class 09-12) आचार्य संवर्ग** के अंतर्गत पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है तथा इस हेतु झारखण्ड सरकारी माध्यमिक आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2025 गठित की गयी है, जिसमें जनजातीय भाषा शिक्षकों, कम्प्यूटर शिक्षकों आदि की नियुक्ति का भी प्रावधान रखा गया है। माध्यमिक (Secondary Class 09-12) आचार्य के पद सृजन एवं विद्यालयों के आनुपातिक उत्क्रमण के निर्णय हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर प्रारंभिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

21/02/26
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–36/2026 612 / दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26
सरकार के अवर सचिव।

619
21/02/2026

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि.–03 क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के रामगढ़ प्रखण्ड मुख्यालय में कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय नहीं है;	वस्तुस्थिति यह है कि रामगढ़ प्रखण्ड, पलामू प्रमंडल के पलामू जिले में अवस्थित है। यह प्रखण्ड, पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड से विभाजित होकर निर्मित हुआ है। यहां कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्ड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ विद्यालय नहीं होने के चलते यहाँ के छात्राओं को अपनी पढ़ाई में कठिनाई होती है;	वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े प्रखण्डों में कक्षा–6 से कक्षा–8 तक की शिक्षा हेतु कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय स्थापित किया गया था, जिन्हें राज्य योजना के तहत् कक्षा–12 तक आवासीय शिक्षा हेतु उत्क्रमित किया गया। शेष 57 प्रखण्डों में राज्य योजना के तहत् झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया था, जिसमें कक्षा–6 से कक्षा–12 तक की आवासीय शिक्षा की व्यवस्था है। 05 नवगठित प्रखण्डों में रामगढ़ प्रखण्ड भी सम्मिलित है, जहां झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना/स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजी गई है, जिस पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है एवं अन्य संबंधित विभागों से अनुमोदन प्राप्त किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। फलस्वरूप रामगढ़ प्रखण्ड की बालिकाओं का नामांकन पूर्व के समान, चैनपुर प्रखण्ड के कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रामगढ़ प्रखण्ड मुख्यालय में आदिवासी बहुल छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कस्तुरबा गाँधी बालिका छात्राओं के हितों को ध्यान में रखकर कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त उत्तर खण्ड–2 में सन्निहित है।

21/02/26
सरकार के अवर सचिव।

श्री कुमार उज्ज्वल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–11 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के लावालौंग प्रखण्ड स्थित वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी औरंगाबाद, तथा झारखण्ड के पलामू, चतरा, हजारीबाग सहित पूरे प्रदेश के लोगों के लिए एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण केन्द्र के रूप में विकसित होने की अपार संभावनाएँ रखता है तथा इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लावालौंग वाईल्डलाइफ सैंचुअरी को जंगल सफारी, ईको–टूरिज्म, पर्यटन सुविधा केन्द्र, सड़क एवं आधारभूत संरचना के रूप में विकसित करने हेतु कोई विस्तृत परियोजना रिर्पोट (DPR) तैयार कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यो?	स्थल अध्ययन करा कर समीक्षोपरांत इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर सकती है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि०स० अल्पसूचित –18/2026– 644 रॉंची दिनांक– 22/02/26

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को उनके ज्ञाप संख्या–4008 दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रॉंची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26

(सुनील कुमार)
अवर सचिव।

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

265
16/02/2026

श्री कुमार उज्जवल, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि०–15

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के अधिकांश सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में तड़ित चालक (Lightning Arrester) स्थापित नहीं हैं, जिसके कारण वज्रपात की स्थिति में विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की जान पर गंभीर खतरा बना रहता है;	जिला शिक्षा पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक 715 दिनांक 02.07.2024 से किए गए अनुरोध पर उपायुक्त, चतरा द्वारा सरकारी विद्यालयों में तड़ित चालक (Lightning Arrester) अधिष्ठापित करायी जा रही है, जिसके आलोक में 434 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में तड़ित चालक (Lightning Arrester) अधिष्ठापित किया गया है। शेष विद्यालय में अधिष्ठापन का कार्य प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि बरसात के मौसम में वज्रपात की घटनाएँ बढ़ जाती हैं, जिससे किसी भी समय बड़ी और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटित होने की आशंका बनी रहती है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्यार्थियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में तड़ित चालक स्थापित करने हेतु कोई ठोस एवं समयबद्ध योजना तैयार करने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपरोक्त खण्ड–1 में सन्निहित है।

18.2.2026
(जागो चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 16/वि०–ता०–22/2026......265......./ राँची, दिनांक 18/02/2026.......

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 4047 दिनांक 16.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.2.2026
सरकार के उप सचिव।

Khurshid

डॉ0 नीरा यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–01

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला में डीएमएफटी फंड (जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट) का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में नहीं करके गैर खनन प्रभावित इलाकों में किया जा रहा है जो इसके प्रावधानों का उल्लंघन है;	अस्वीकारात्मक। निदेशक, खान, खान निदेशालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक–446 दिनांक–19.02.2026 के प्रतिवेदनानुसार उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक–45, दिनांक– 17.02.2026 के अनुसार कोडरमा जिले में डीएमएफटी फंड का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र योजना (PMKKKY) में निहित मार्गदर्शिका के अनुरुप खनन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में वर्णित योजनाओं में किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने कोडरमा जिले में डीएमएफटी फंड से छात्रों को कोचिंग कराने का निर्देश दिया था जिसमें हरियाणा की एक कम्पनी Filo edtech को 1 करोड़ 88 लाख 80 हजार रुपये का भुगतान किया गया;	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसा आदेश निर्गत नहीं किया गया है। जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट की प्रबंधकीय समिति एवं शासी परिषद के द्वारा योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। जिले से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रबंधकीय समिति एवं शासी परिषद द्वारा नियमानुसार शैक्षणिक योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन किया गया है, जिससे छात्र/छात्राओं के बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हुई है, जो परीक्षा परिणाम में दृष्टिगोचर है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने डीएनएफटी के जरिए कोडरमा जिला में Life line express train के माध्यम से कार्यक्रम करवाकर लाखों रुपये की राशि का भुगतान किया जबकि Guidline में इस प्रकार राशि खर्च करने का कोई प्रावधान नहीं है;	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार के तरफ से ऐसा कोई आदेश निर्गत नहीं है। कोई अनियमितता संज्ञान में आने पर जाँच कर कार्रवाई हेतु जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट स्वयं सक्षम है। जिले से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम सभा की कार्यवाही में फ्री हेल्थ चेकअप संबंधी प्रस्ताव पारित है तथा उक्त कार्यक्रम पर हुए व्यय 3.06 लाख रुपये (तीन लाख छः हजार मात्र) का भुगतान करने हेतु जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के प्रबंधकीय समिति एवं शासी परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसमें हुई अनियमितता की पूरी जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार
<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>

ज्ञापांक:–वि०स०(तारा0)–01/2026 328 /एम०, राँची, दिनांक:– 20/02/26

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–3527 दिनांक–27.01.2026 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 20.2.26
सरकार के उप सचिव

श्री अरूप चटर्जी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ट न०–01 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के लेस्लीगंज का नाम बदलकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजी शासन के विरूद्ध झारखण्ड के पहले संगठित आदिवासी सशस्त्र विद्रोह के नायक रहे नीलांबर–पीतांबर के नाम से नीलांबर–पीतांबरपुर कर दिया गया है ;	1.	स्वीकारात्मक प्रखण्ड एवं अंचल का नाम लेस्लीगंज के स्थान पर नीलांबर–पीतांबरपुर कर दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्थान पर अवस्थित एक पीपल पेड़ पर ब्रिटिश हुकुमत द्वारा नीलांबर–पीतांबर को 1859 में फाँसी दे दी गयी थी तथा फाँसी के बाद उनके शव को बगल के एक कुएँ में डाल दिया गया था जो वर्तमान समय में एक ऐतिहासिक फाँसी स्थल और समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित उक्त ऐतिहासिक स्थल वर्तमान समय में भारी रूप से निजी/अवैध कब्जे में है इस कारण शहीदों के सम्मान में ठेस के साथ स्थानीय जनता विशेषकर आदिवासी समाज की भावनाएँ आहत हो रही है ;	3.	आंशिक स्वीकारात्मक फाँसी स्थल पीपल का पेड़ मौजा लेस्लीगंज के खाता 132 प्लॉट 575 (कैसर हिन्द) एवं खाता सं० 03 प्लॉट सं० 578 (वकास्त) के बीच सीमा पर अवस्थित था जो वर्तमान में नहीं है। उक्त स्थल का कुछ भाग अतिक्रमित है जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है तथा जिस कुआँ में शव डाला गया था वह मौजा कठौन्धा के खाता सं०–60 प्लॉट सं० 227 है जिसका रकबा 0.03 ए० है जिस पर समाधि स्थल बना हुआ है जो अतिक्रमित नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब उक्त सार्वजनिक महत्व की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराते हुए इस स्थल को एक जनजातीय व क्षेत्रीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्मारक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	उपर्युक्त कंडिका 03 में वस्तुस्थिति वर्णित है। झारखण्ड प्राचीन समारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कलानिधि विधेयक– 2016 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप उपायुक्त, पलामू से विधिवत् प्रस्ताव प्राप्त होने तथा अतिक्रमण रहित भूमि एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर इसे स्मारक स्थल के रूप में विकसित करने पर निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/01/2026.....341...../राँची, दिनांक.....20/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3524/वि०स०, दिनांक–27/01/2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/26

सरकार के अवर सचिव

617
21/02/2026

श्री सोनाराम सिंकु, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि.–21		
क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर प्रखण्ड में कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय में भवन की कमी रहने से छात्राओं के पठन–पाठन एवं आवासित होने मे काफी कठिनाई हो रही है;	वर्त्तमान में कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, जगन्नाथपुर का संचालन, आवासन एवं पठन–पाठन का कार्य, +2 उच्च विद्यालय, रसेल, जगन्नाथपुर के भवन में संचालित हो रहा है। कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय जगन्नाथपुर के भवन निर्माण का कार्य झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची के कार्यादेश संख्या– *JEPC/Civ/03/3406* दिनांक–19.02.2009 के आलोक में मैसर्स हरिओम ट्रेडर्स, बोकारो के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कार्य के दौरान बीच में ही संबंधित संवेदक के द्वारा कार्य को बन्द कर दिया गया था। इसके उपरांत राज्य स्तर से संबंधित संवेदक पर कार्रवाई करते हुए शेष बचे हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची के द्वारा उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को निदेशित किया गया था। उपायुक्त, प. सिंहभूम के द्वारा शेष बचे हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु *DMFT* फण्ड से पत्रांक–1615/*DMFT*, दिनांक–19.08.2025 द्वारा कार्यापालक अभियन्ता, *NREP, Chaibasa* को प्राक्कलन तैयार करने का निदेश दिया गया था, जिसके उपरांत कार्यपालक अभियन्ता, *NREP, Chaibasa* पत्रांक–101/*NREP* दिनांक 17.02.2026 द्वारा प्राक्कलित राशि रु. 4,99,30,300/– का प्राक्कलन तैयार करते हुए उपायुक्त, पं. सिंहभूम के कार्यालय को समर्पित किया गया है। भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करने की दिशा में उपायुक्त, पं. सिंहभूम के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय, जगन्नाथपुर के छात्रायें भवन के अभाव में आदर्श बालक मध्य विद्यालय, जगन्नाथपुर में पढ़ाई करने एवं आवासित होने को मजबूर हैं;	इस खंड का उत्तर उपर्युक्त खंड–1 में सन्निहित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में अविलम्ब भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर उपर्युक्त खंड–1 में सन्निहित है।

21/02/26
सरकार के अवर सचिव।

श्री उमाकान्त रजक, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–19 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के तोपचांची NH पर स्थित शान ए पंजाब होटल, सेंचुरी वन क्षेत्र, भूमि पर अवैध रूप से वर्षो से कब्जा कर होटल का संचालन कर रहा है;	स्वीकारात्मक। धनबाद जिला में NH के किनारे शान–ए–पंजाब होटल अवस्थित है जिसके नापी के क्रम में 14 x 10 = 140 वर्ग फीट हिस्से में एक ढलाई रूम आश्रयणी भूमि पर पाया गया जिसे अतिक्रमण मुक्त किया गया है।
क्या यह बात सही है कि जिला–गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद सेंचुरी (वन प्राणी) विचरण क्षेत्र अंतर्गत आता है;	स्वीकारात्मक ।
क्या यह बात सही है कि खण्ड–(एक) के आलोक में अवैध कब्जा को लेकर आवेदनकर्त्ता श्री सदानन्द महतो के शिकायत के बाद भी गिरिडीह, हजारीबाग एवं धनबाद जिला–वन विभाग द्वारा सेंचुरी वन क्षेत्र भूमि का सीमांकन नहीं कर पायी है, ना ही अवैध रूप से कब्जा किए गए होटल को हटाने के लिए अब तक कोई कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक । आवेदनकर्त्ता की शिकायत के आलोक में आश्रयणी भूमि की नापी करायी गयी थी। नापी के क्रम में 14 X 10 = 140 वर्ग फीट आश्रयणी भूमि पर ढलाई रूम पाया गया जिसे अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त खण्डों के आलोक में वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सेंचुरी वन क्षेत्र भूमि का सीमांकन करने एवं अवैध कब्जाधारी शान ए पंजाब होटल को हटाते हुए समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ऊपर वर्णित कण्डिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
<u>वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग</u>

ज्ञापांक–5/वि०स० तारांकित –37/2026– 647 रांची दिनांक– 23/02/26

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप संख्या–4157, दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/02/26

(सुनील ...)
सरकार के अवर सचिव।

श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक–24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या उत्त–02 से संबंधित उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि, गढ़वा जिले के भण्डरिया प्रखण्ड मुख्यालय में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज नहीं होने से यहाँ के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 50–60 कि०मि० दूरी तय कर जिला मुख्यालय या अन्य जगहों में ज़ाना पड़ता है जिससे छात्र–छात्रओं को आर्थिक बोझ के साथ बहुमूल्य समय की बर्बादी होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। गढ़वा जिला के रंका में डिग्री महाविद्यालय, रंका की स्थापना किया गया है, जो भण्डरिया प्रखंड से 45 कि०मी० दूर है। गढ़वा जिलान्तर्गत भण्डरिया प्रखंड से महाविद्यालयों की दूरी अधिक होने के कारण भण्डरिया एवं रमकण्डा के भौगोलिक स्थिति की जाँच कराते हुए उपयुक्त स्थल (Suitable Land) के चयन के पश्चात् डिग्री कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्ड मुख्यालय में छात्र–छात्राओं के उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कराने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि०स०–12/2026 460 / रॉंची, दिनांक : 21/02/2026

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं०–3629, दिनांक–11.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/26

(सुधीर कुमार)
सरकार के अवर सचिव

E/ Budget Session, Uttar Prativedan 2026 4

श्री निर्मल महतो, स0वि0स0 द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक–24.02.2026 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि–02 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि, झारखण्ड राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालय में झारखण्ड के सभी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की बी0एड0 एवं स्नातकोत्तर (PG) स्तरीय पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो सकी है ;	अस्वीकारात्मक। राज्य विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत महाविद्यालयों में एन0सी0टी0ई0 के प्रावधानों के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार :– ➢ राँची विश्वविद्यालय, राँची एवं डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची में बी0एड0 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होती है। ➢ सिदो– कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका में हिन्दी एवं संथाली विषय में बी0एड0 एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। ➢ विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में खोरठा, कुरमाली, कुडुख, संथाली एवं मुण्डारी विषयों में छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई होती है एवं बी0एड0 स्तर पर Pedagogy विषय में खोरठा, कुरमाली, कुडुख, संथाली, मुण्डारी एवं पंचपरगनिया विषय में पढ़ाई होती है। ➢ कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में स्नातकोत्तर स्तर पर संथाली, हो एवं कुरमाली भाषा साहित्य की पढ़ाई होती है, जबकि क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में विद्यार्थी जिस विषय में नामांकन लेते है, उस विषय में बी0एड0 की पढ़ाई होती है। ➢ जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर में बी0एड0 एवं स्नातकोत्तर स्तर में संथाली भाषा की पढ़ाई होती है। राज्य विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत महाविद्यालयों में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में बी0एड0 के पाठ्यक्रम को अलग से संचालित करने हेतु एन0सी0टी0ई0 से अनुरोध किया जायेगा।
02	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के मूलवासी/आदिवासी छात्र/छात्रायें बी0एड0 एवं स्नातकोत्तर (PG) स्तरीय पढ़ाई से वंचित रह जा रहे है ;	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त कंडिका में उत्तर सन्निहित है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई बी0एड0 एवं स्नातकोत्तर (PG) स्तरराज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालय में शुरू करना चाहती है ; हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

राँची, दिनांक : 21/02/2026

ज्ञापांक : 01/वि0स0–16/2026 457/ के आलोक में सूचनार्थ

प्रतिलिपि :– उप सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक–304, दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित। अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं0–3885, दिनांक–11.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
सरकार के अवर सचिव

E/ Budget Session, Uttar Prativedan 2026

श्रीमती पूर्णिमा साहू, मा०स०वि०रा० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक–24.02.2026 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–16 से संबंधित उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर प्रोफेशनल कॉलेज बन कर तैयार है ;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर में कई कंपनियां कार्यरत है, जिन्हें कुशल और प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती रहती है ;	स्वीकारात्मक।
03	क्या यह बात सही है कि प्रोफेशनल कॉलेज शुरू हो जाने से जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान के स्थानीय नव–युवक–युवतियों का यहा कौशल विकास कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की योजना थी ;	स्वीकारात्मक।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताना चाहेगी कि उक्त कॉलेज को कब तक पीपीपी मोड पर शुरू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जमशेदपुर प्रोफेशनल कॉलेज का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा इस कॉलेज को पी०पी०पी० मोड में संचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उक्त कॉलेज को Institute of Professional Studies के रुप में प्रारम्भ किया जायेगा, जिसमें निम्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन अकादमिक सत्र 2026–27 से प्रस्तावित है :– • Masters in Business Administration (MBA) • Integrated Programme in Management • Diploma in Computer Application (DCA)

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि०स०–26/2026 456 / राँची, दिनांक : 21/02/2026 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं०–4167, दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
सरकार के अवर सचिव

श्री प्रदीप प्रसाद, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–24.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–06 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कनहरी पहाड़ हजारीबागवासियों के लिए एक धरोहर है, जहाँ घूमने आने वाले आम नागरिकों और पर्यटको से वन विभाग द्वारा प्रति व्यक्ति– 20/– रु० का टिकट राशि वसूला जाता है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफी असुविधा होती है;	**आंशिक स्वीकारात्मक** यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत (हजारीबाग विधान सभा क्षेत्र) में **कनहरी पहाड़** हजारीबाग वासियों के लिए एक धरोहर है, जहाँ आम नागरिकों के साथ–साथ पर्यटक भी घूमने आते हैं, परन्तु वन विभाग के द्वारा कनहरी पहाड़ घूमने के लिए हजारीबाग वासियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यद्यपि कनहरी पहाड़ के बगल में स्थित **जैव विविधता पार्क, कनहरी, हजारीबाग** जिसका ऑन लाईन उदघाटन माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा दिनांक–15.11. 2025 को माननीय सांसद श्री मनीष जयसवाल एवं स्थानीय माननीय विधायक श्री प्रदीप प्रसाद के उपस्थिति में किया गया है, जिसका संचालन स्थानीय ग्रामीणों एवं वन समिति के सदस्यों के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें प्रवेश शुल्क 20/– रुपये है। प्राप्त राजस्व राज्य सरकार के कोषागार में जमा किया जाता है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त 20/– रु० टिकट शुल्क को हजारीबाग के सभी निवासियों के लिए खत्म करते हुए उक्त वसूली को पूरी तरीके से बंद करने का विचार रखती है, ताकि अधिक से अधिक हजारीबाग के लोग प्रकृति प्रदत्त इस कनहरी पहाड़ की खूबसूरती का आनन्द ले सके, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	**जैव विविधता पार्क, कनहरी, हजारीबाग** के शुल्क से राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो रही है तथा उसके संचालन से स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार का सृजन हो रहा है। प्रवेश शुल्क खत्म करने से जैव विविधता पार्क, हजारीबाग का रख–रखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसे खत्म करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि०स० तारांकित–12/2026– 626 व०प०, दिनांक– 21/02/26

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3670, दिनांक–11.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

श्री मनोज कुमार यादव, मा०रा०वि०रा० द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या टन०–10 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला एवं कोडरमा जिला में निर्मित तिलैया जलाशय के किनारे चोचरो पार्क प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा आइलैंड है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि चोचरो पार्क पर्यटकीय दृष्टिकोण से एक एडवेंचर स्थल है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चोचरो पार्क को पर्यटकीय विकास कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	प्रश्नाधीन कोडरमा जिलान्तर्गत चेचरो पार्क को विभागीय अधिसूचना सं०–05, दिनांक–12.03.2021 के द्वारा चोचरो पार्क स्थल – श्रेणी D के रूप में पर्यटक स्थल अधिसूचित है। उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक 51, दिनांक 18.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है चोचरो पार्क हजारीबाग जिला मे अवस्थित है, जिस कारण पर्यटकीय विकास कार्य कोडरमा जिला संभव नहीं है। उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक 89, दिनांक 18.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में चोचरो पार्क पर्यटक स्थल के रूप अधिसूचित नहीं है एवं जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 121, दिनांक 17.02.2025 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल को अधिसूचित करने का अनुशंसा किया गया है। उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद द्वारा राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद् को प्रेषित किया गया है। राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद् की आगामी बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/12/2026....340..../राँची, दिनांक....20/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3854/वि०स०, दिनांक–13/02/2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kumar 20/02/26
सरकार के अवर सचिव

जितेन्द्र

280
22/02/2026

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री दशरथ गागरई, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि०–27

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में नवनियुक्त सहायक आचार्यों को पदस्थापित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इन सहायक आचार्यों के पदस्थापन के उपरांत इनके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, परिणामस्वरूप इनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकी है;	वस्तुस्थिति यह है कि सहायक आचार्यों के पदस्थापन के उपरांत इनके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। प्रमाण पत्रों के सत्यापनोपरान्त वेतन भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। सभी जिला के जिला शिक्षा अधीक्षकों को सत्यापन कार्य में तेजी लाने का निदेश V.C के माध्यम से आयोजित बैठकों में दिया जा चुका है। राज्य में कुल नियुक्ति 9131 सहायक आचार्य में से 44 का प्रमाण पत्र की जाँच की जा चुकी है तथा शेष संबंधित संस्थान को जाँच हेतु भेजी गई है। सत्यापनोपरान्त वेतन भुगतान भी प्रारंभ हो गया है। यथाशीघ्र नियमानुसार सभी सहायक आचार्यों को वेतन भुगतान की जायेगी।
3	क्या यह बात सही है कि इन सहायक आचार्यों को वेतन नहीं मिलने से इन्हें आर्थिक परेशानियों से जुझना पड़ रहा है;	उत्तर खण्ड–2 में सन्निहित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य भर के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित नवनियुक्त सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	

22.2.2026
(जागो चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि०–ता०–20/2026......280/ राँची, दिनांक 22/02/2026

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 4034 दिनांक 15.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.2.2026
सरकार के उप सचिव।

Khurshid

श्री अनन्त प्रताप देव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या टन०-11 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के धुरकी प्रखण्ड अंतर्गत "पनघटवा डैम" आदिवासी बहुल (Scheduled tribes) क्षेत्र, यथा-धुरकी, डंडई, रमना और मेराल प्रखण्ड की सीमा से लगा हुआ है तथा इस डैम का क्षेत्रफल लगभग-265 हेक्टेयर है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के नगर ऊँटारी प्रखण्ड अंतर्गत "कुम्बा डैम" तथा श्री बंशीधर नगर पंचायत अंतर्गत "पुरैनी पोखरा" का पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास और सौंदर्यीकरण कार्य से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी;	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित डैम सुंदर हरे-भरे जंगलों के बीच शांत वातावरण व मनोरम दृश्य से पर्यटकों, शैक्षणिक भ्रमण पर आने वाले स्कूली बच्चों का लुभाती और आकर्षित करती है, साथ ही प्रकृति की गोद में बसे इस डैम की लोकप्रियता सिर्फ झारखण्ड राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आस-पास के राज्य, यथा-उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से भी पर्यटक यहां पिकनिक मनाने और शांति का अनुभव करने के लिए आते है;	3.	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित डैम तथा पोखरा के निकट जल क्रीड़ा (Water Sports), साहसिक क्रीड़ा (Adventure Sports), स्ट्रीट लाईट, पर्यटकों के ठहराव के लिए शेड, नौका विहार हेतु बोटिंग क्लब, पिकनिक स्पॉट और ईको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	विदित हो कि प्रश्नाधीन सभी स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय अधिसूचना सं० 05 दिनांक 27.04.2016 द्वारा झारखण्ड राज्य के किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल या प्रक्षेत्र के रूप में घोषित/चिन्हित करने हेतु नियमावली गठित है। विभागीय पत्रांक 293 दिनांक 17.02.2026 द्वारा उक्त सभी स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, गढ़वा को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक-पर्यटन/वि०स०/13/2026......339........../राँची, दिनांक........20/02/2026

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-3853/वि०स०, दिनांक-13/02/2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/26
सरकार के अवर सचिव

610
21/02/2026

श्रीमती सविता महतो, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि.–30

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चौड़ा में शिक्षकों की भारी कमी है, जिस कारण अध्ययनरत् छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उच्च विद्यालय हेतु संप्रति पद सृजित नहीं है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चौड़ा में तीन सरकारी शिक्षक एवं एक पारा शिक्षक कार्यरत हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सरायकेला– खरसांवा के आदेश ज्ञापांक–238 दिनांक 19.02.2026 द्वारा स्नातक प्रशिक्षित, गणित एवं भौतिकी शिक्षिका, +2 उच्च विद्यालय, सिरम, कुकड़ू का इस विद्यालय में पठन–पाठन हेतु प्रतिनियोजन किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित विद्यालय के साथ–साथ क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में भी शिक्षकों की घोर कमी है;	**नयी शिक्षा नीति, 2020** के आलोक में राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग के स्थान पर समेकित **माध्यमिक (Secondary Class 09-12) आचार्य संवर्ग** के अंतर्गत पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है तथा इस हेतु झारखण्ड सरकारी माध्यमिक आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2025 गठित की गयी है, जिसमें जनजातीय भाषा शिक्षकों, कम्प्यूटर शिक्षकों आदि की नियुक्ति का भी प्रावधान रखा गया है। माध्यमिक (Secondary Class 09-12) आचार्य के पद सृजन एवं विद्यालयों के आनुपातिक उत्क्रमण के निर्णय हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर प्रारंभिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रहित में खण्ड–01 में वर्णित विद्यालय के साथ–साथ ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र के सभी विद्यालय में सभी विषयों के शिक्षकों के पदस्थापन का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड–2 में इस खंड का उत्तर भी सन्निहित है।

21/02/26
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–42 / 2026.....610...... / दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26
सरकार के अवर सचिव।

श्री निर्मल महतो, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–07 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सम्प्रति माण्डू एवं गोमिया विधान सभा क्षेत्र के सीमावर्ती लाईयो, भदवा, सिरका, तिलैया, खखंडा आदि क्षेत्रों में 42 जंगली हाथियों के झुंडो द्वारा मानवों एवं फसलों की क्षति की जा रही है तथा अभी हाल ही में उक्त क्षेत्रों के तीन लोगों की मृत्यु एक पागल हाथी के हमले से हुई है जिससे पूरे क्षेत्र में लोग दहशत में हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। 42 हाथियों का झुण्ड माह अक्टूबर एवं माह नवम्बर में माण्डू एवं गोमिया विधान सभा क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इस झुण्ड से एक अन्य झुण्ड के द्वन्द के कारण माह अक्टूबर, 2025 से 15 फरवरी 2026 तक फसल एवं घरों की क्षति हुई है एवं व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जो निम्नवत हैः– (तालिका नीचे)
2. क्या यह बात सही है कि जंगली हाथियों का यह झुण्ड उक्त क्षेत्र में विचरण करते हुए जान–माल की क्षति कर रहा है;	स्वीकारात्मक। वर्तमान में समस्याग्रस्त 05 (पाँच) हाथियों का झुण्ड हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल से बोकारो वन प्रमण्डल के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रभावित लोगों को मुआवजा एवं मृत परिवार के आश्रितों को रोजगार देते हुए इन जंगली हाथियों को प्रभावित क्षेत्रों से निकालते हुए इनके लिए एक अलग कॉरिडोर बनाना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–2265, दिनांक–15.06.2023 के अनुसार प्रभावित लोगों को मुआवजा का भुगतान किया जाता है। विभाग द्वारा हाथियों के झुण्डों को उनके पारम्परिक आवागमन क्षेत्र (कॉरिडोर्स) में सीमित रखने का प्रयास किया जाता है। केन्द्र सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में एलीफैंट कॉरिडोर्स से संबंधित जारी रिपोर्ट में हजारीबाग–बोकारो–रामगढ़ क्षेत्र को एलीफेंट कॉरिडोर्स के रूप में शामिल नहीं किया गया है। हाथियों के कॉरिडोर के व्यापक अध्ययन के फलस्वरूप इसे सरजमीन पर सीमांकन करते हुए इसके ठोस प्रबंधन की कार्य योजना तैयार की जा रही है। पारंपरिक कॉरिडोर्स का विभागीय योजनाओं से पारिस्थितिक संवर्धन किया जाता है और विकास/खनन परियोजनाओं के अपयोजन प्रक्रिया के दौरान यथा संभव निवारण के उपाय अपनाये जाते हैं।

क्र0सं0	विधानसभा क्षेत्र	वन प्रमंडल का नाम	व्यक्तियों की मृत्यु सं0
1	गोमिया	बोकारो वन प्रमंडल	10
2	माण्डू	रामगढ़ वन प्रमंडल	08
3	माण्डू (गोंदवार ग्राम)	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल	06

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित–13/2026– 645 रॉंची दिनांक– 22/02/26

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को उनके ज्ञाप संख्या–3669, दिनांक–11.02.2026 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रॉंची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

षष्ठम झारखण्ड विधान-सभा

पंचम-(बजट)-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 24.02.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री उदय शंकर सिंह स0वि0स0	जामताड़ा जिला के नाला विधान सभा क्षेत्र में एक मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय (फिशरी कॉलेज) की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। नाला क्षेत्र में कृषि विभाग की लगभग 100 एकड़ भूमि भी उपलब्ध है, जिस पर उक्त महाविद्यालय की स्थापना सहज रूप से की जा सकती है। क्षेत्र में तालाबों एवं जलस्त्रोतों की पर्याप्त संख्या है तथा मछली पालन स्थानीय स्तर पर व्यापक रूप से किया जा रहा है। तथापि वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन के अभाव में मत्स्य पालक अपेक्षित उत्पादन एवं आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे है। नाला विधान सभा क्षेत्र में मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जाती है, तो इससे स्थानीय छात्र-छात्राओं को मत्स्य विज्ञान में उच्च शिक्षा (डिग्री) प्राप्त करने का अवसर मिलेगा साथ ही मत्स्य पालको/कृषकों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण आधुनिक तकनीकी ज्ञान एवं अनुसंधान सुविधाओं का लाभ-	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता

01.	02.	03.	04.
		प्राप्त होगा। इससे क्षेत्र में रोजगार एवं स्वरोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे तथा जामताड़ा जिला मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में राज्य का अग्रणी जिला बन सकता है। अतः राज्य में मछली पालन को प्रोत्साहन देने, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा मत्स्य क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से नाला विधान सभा क्षेत्र के ''नाला प्रखण्ड मुख्यालय'' में एक मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय (फिशरी कॉलेज) की स्थापना किए जाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से आवश्यक एवं शीघ्र कार्रवाई करने के निमित्त ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
02-	श्री रामचन्द्र सिंह स०वि०स०	लातेहार जिलान्तर्गत'छोटानागपुर की रानी' नेतरहाट विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ सालों भर हजारों पर्यटकों का आवागमन होता है, जिसके चलते विगत वर्षों में कई सरकारी व निजी व्यावसायिक भवनों का निर्माण हुआ है। वर्त्तमान में स्थानीय प्रशासन द्वारा भारत सरकार की 9 अगस्त- 2019 की ESZ अधिसूचना का हवाला देकर नए निर्माण कार्यों को रोकने का नोटिस दिया जा रहा है। विडंबना यह है कि प्रशासन ने पूर्व में न तो इन नियमों का प्रचार-प्रसार किया और न ही निर्माण पर रोक लगाई। अचानक हुई इस कार्रवाई से पुराने प्रतिष्ठान स्वामियों में भय व्याप्त है। उक्त अधिसूचना में राज्य सरकार द्वारा 'टूरिज्म मास्टर प्लान' जारी करने का भी स्पष्ट निर्देश था, जो अब तक लंबित है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि पर्यटन और आजीविका के हित में अविलंब नया टूरिज्म मास्टर प्लान जारी किया जाए।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य

क्र०पृ०30

01.	02.	03.	04.
		साथ ही पूर्व से निर्मित व्यावसायिक व निजी प्रतिष्ठानों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए, ताकि भविष्य में पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।	
03-	डॉ0 नीरा यादव स0वि0स0 श्री देवेन्द्र कुँवर स0वि0स0	कोडरमा जिला अन्तर्गत झुमरीतिलैया शहर के बीच में साईं इलेक्ट्रो स्टील प्लांट लगाया गया है, वहाँ हजारों की आबादी निवास करती है, जो उक्त प्लांट से मात्र 500 फीट की दूरी पर आवासित है। इस प्लांट से उक्त स्थान पर आवासित लोग धुल, डस्ट, आयरन के कण उड़ने के कारण प्रदूषित वातावरण से कई असाध्य रोगों से ग्रसित हो रहे है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अतः व्यापक लोक हित में उक्त प्लांट को झुमरीतिलैया के बीच शहर से हटाकर आबादी से दूर स्थानांतरित करने हेतु सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।	उद्योग
04-	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0 श्री राजेश कच्छप स0वि0स0 श्री सोनाराम सिंकू स0वि0स0	आदिवासी समुदायों (अनुसूचित जनजाति) के लिए भूमि और जंगल उनके अस्तित्व, पहचान एवं आजीविकों का साधन है। जिसके आधार पर आदिवासी समुदाय एक लम्बे सामुदायिक संघर्ष एवं प्रयासों के बदौलत वर्त्तमान पीढ़ी तक पहुँच पाये है। परन्तु आज यह भूमि तेजी से संवैधानिक प्रावधानों एवं कई संरक्षण के कानूनों के बावजूद भी अवैध तरीकों से छीना जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों की आबादी अवैध हस्तांतरित भूमियों पर अवैध तरीके से आवास निर्माण कर निवास के कारण आदिवासी समुदायों के अनुपात तेजी से बढ़ रही है, जिससे अनुसूचित क्षेत्रों का डेमाग्राफी तेजी से बदल रही है और कई राजनैतिक एवं सामाजिक संकट के साथ आदिवासी अस्तित्व, पहचान एवं आजीविका पर सीधे रुप से अस्तित्वगत संकट पड़ रहा है।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

कृ0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
		अतः उपरांकित परिस्थितियों की गंभीरता को समझते हुए सरकार भूमियों का अवैध हस्तांतरण को रोकने एवं अवैध हस्तांतरित भूमियों पर बिना कागजात जाँच किये अवैध निर्माण, बिजली/पानी कनेक्शन पर प्रतिबंध के साथ अवैध हस्तांतरित भूमियों की वापसी के लिए कोई कड़ा कानून बना कर कड़ा कदम के साथ CNT Act- 1908, SPT Act- 1949, पेशा कानून- 1996 का नियमावली 2025 एवं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम- 1989 को कड़ाई से लागू कर आदिवासी समुदायों के अस्तित्वगत संकट से संरक्षण देने की माँग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूँ।	
05-	श्री चन्द्रदेव महतो स0वि0स0 श्री अरूप चटर्जी स0वि0स0	राज्य के रामगढ़-बोकारो जिले के वन भूमि एवं उनके आसपास की गैर आबाद, गैर मजरूआ खास भूमि एवं खतियान में दर्ज जंगल-झाड़ी किस्म की भूमि 30 वर्षों से अधिक दिनों से दखलकर खेती कर रहे स्थानीय लोगों पर सीसीएल मनमाने ढंग से अपनी नीति थोपा जा रहा है। राज्य सरकार की स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण सीसीएल के कोटरे-बसंतपुर परियोजना के रैयतों को उनके दखल कब्जा में स्थित गैर आबाद जंगल-झाड़ी किस्म की भूमि के संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा स्टेटमेंट VI निर्गत किये जाने के बावजूद सीसीएल के द्वारा उन्हें R&R का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे वहाँ के स्थानीय रैयत जिनकी जीविका उक्त भूमि के परियोजना कार्य के उपयोग किये जाने से खत्म हो रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 2015 में पत्र निर्गत (पत्रांक- 6/ स0भू0(एन0 सी0 पी0 सी0) हजा0-51/13-423/रा0, दिनांक- 12.02.2015)	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

क0प030-

01.	02.	03.	04.
		कर 30 वर्षों से अधिक की अवधि से गैर मजरूआ खास/सरकारी भूमि पर दखलकार पाए गए एवं जोत आबाद कर रहे व्यक्ति जिनके नाम से पंजी-2 में 30 वर्षो से अधिक जमाबंदी चल रही है उन रैयतों को कायमी रैयतों के सम्तुल्य लाभ दिया जाना है। अतः सरकार से मांग है कि 30 वर्षो से अधिक समय से खेती कर रहे रैयतों को तत्काल R&R लाभ दिया जाए एवं बिहार भूमि सुधार अधिनियम-1950 की धारा- 4(H) की कार्रवाई पर रोक हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किए जाए।	

रॉंची,
दिनांक- 24 फरवरी, 2026 ई०।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 -01/2026-...4361.../वि0स0,रॉंची,दिनांक- 21.02.26

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता विरोधी दल/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रॉंची/ माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, रॉंची/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग/ सचिव, उद्योग विभाग एवं सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/2026

(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0-01/2026-..4361../वि0स0,रॉंची,दिनांक- 21.02.26

प्रतिः- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

21/02/2026

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

सुभाष

21/02/26

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

षष्ठम् झारखण्ड विधान–सभा | पंचम (बजट) सत्र
संख्या–04 | शनिवार, दिनांक–21 फरवरी, 2026 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 03.57 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.प्रश्नकाल–

आज के लिए निर्धारित अल्पसूचित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ–

(कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या–17)

(क) उत्तरित कुल–03

क्रम सं०–36,	अ०सू०–18	श्री जयराम कुमार महतो,	स०वि०स०,
क्रम सं०–37,	अ०सू०–02	श्री हेमलाल मुर्मू,	स०वि०स०,
क्रम सं०–40,	अ०सू०–26	श्री राजेश कच्छप,	स०वि०स०।

(ख) अपृष्ट कुल–03

क्रम सं०–38,	अ०सू०–27	श्री देवेन्द्र कुंवर,	स०वि०स०,
क्रम सं०–39,	अ०सू०–28	श्री भूषण बाड़ा,	स०वि०स०,
क्रम सं०–41,	अ०सू०–25	श्री देवेन्द्र कुंवर,	स०वि०स०।

(ग) स्थगित मात्र–01

क्रम सं०–42,	अ०सू०–01	श्री हेमलाल मुर्मू,	स०वि०स०।

(घ) अनागत कुल–10, अ०सू० क्रम संख्या–43 से 52 तक।

(कुल तारांकित प्रश्नों की संख्या–33)

(क) उत्तरित कुल–03

क्रम सं०–100,	श्रीमती मंजू कुमारी,	स०वि०स०,
क्रम सं०–101,	श्री जनार्दन पासवान,	स०वि०स०,
क्रम सं०–105,	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,	स०वि०स०।

(अधिकृत प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्या, डॉ० नीरा यादव।)

(ख) अपृष्ट कुल–03

क्रम सं०–102,	श्री कुमार जयमंगल,	स०वि०स०,

क्र० पृ० उ०

क्रम सं०–103, श्री चन्द्रदेव महतो, स०वि०स०,
क्रम सं०–104, श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल–27, तारां० क्रम संख्या–106 से 132 तक।

2.शून्यकाल–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाएँ निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी:–

श्री जिग्गा सुसारन होरो,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
श्री अनन्त प्रताप देव,
श्री संजय कुमार सिंह यादव,
श्री रोशन लाल चौधरी,
श्री उमाकांत रजक,
श्री अमित कुमार,
श्री प्रदीप प्रसाद(अपृष्ट),
श्री कुमार उज्ज्वल,
श्री जगत मांझी,
श्री निर्मल महतो,
श्री सुदीप गुड़िया,
श्रीमती लोईस मराण्डी,
श्रीमती मंजू कुमारी,
डॉ० नीरा यादव,
श्री धनंजय सोरेन,
श्री सुरेश कुमार बैठा,
श्री हेमलाल मुर्मू,
श्री दशरथ गागराई,
श्री मंगल कालिंदी,
श्री नरेश प्रसाद सिंह,
श्री जनार्दन पासवान,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री सोनाराम सिंकु,
श्री संजीव सरदार।

3.ध्यानाकर्षण की सूचनाएँ–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना एवं उनपर दिये गये वक्तव्य निम्नवत् हैं–

i– माननीय सदस्य, डॉ० रामेश्वर उराँव एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii-माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii-माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iv-माननीय सदस्य, श्री हेमलाल मुर्मू द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

v-माननीय सदस्य, श्रीमती श्वेता सिंह एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

4.प्रथम पाली की कार्यवाही के दौरान प्राप्त सूचना–

माननीय सदस्य, श्री जयराम महतो ने सूचना के माध्यम से सदन को अवगत कराया कि उनके जिला के वरीय जे.एम.एम. नेता, श्री राकेश महतो की हत्या हो गयी है जिसकी उच्चस्तरीय जाँच करायी जाय,

माननीय सदस्य, श्री अनन्त प्रताप देव द्वारा सूचना के माध्यम से माँग किया गया कि नीलगाय के द्वारा बड़े पैमाने में किसानों के फसल को नुकसान पहुँचाया जा रहा है जिसके रोकथाम के लिए पड़ोसी राज्यों की भाँति बाड़ लगाकर फसल की क्षति को रोकी जाय।

5.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना–

आसन की अनुमति से माननीय वित्त मंत्री, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा "झारखण्ड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण, 2025–26 की एक प्रति सदन पटल पर रखते हुए प्रस्ताव किया गया कि यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो," जो सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

6.वित्तीय कार्य–

आसन की अनुमति से माननीय प्रभारी मंत्री(वित्त), श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा तृतीय अनुपूरक व्यय–विवरणी का अनुदान एवं नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित माँग संख्या–04 "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग" (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) के लिए 31 मार्च, 2026 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए अंके–3,84,50,000/–(तीन करोड़, चौरासी लाख, पचास हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान करने से सम्बन्धित माँग प्रस्तुत की गयी, जिसपर माननीय सदस्या, डॉ० नीरा यादव ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

7.सदन नेता की घोषणा–

माननीय सदन नेता सह मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा घोषणा किया गया कि विभिन्न माननीय सदस्यों तथा राज्य के बेरोजगार नौजवानों की माँग पर वर्ष–2026 में आयोजित होनेवाली जे.पी.एस.सी. परीक्षा हेतु निर्धारित कट ऑफ डेट–2022 किया जाता है।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

8.आसन से घोषणा–

आसन के द्वारा सदन को सूचित किया गया कि झारखण्ड विधान सभा एवं **PRS Legislative Research** की ओर से आज दिनांक–21.02.2026 को सदन की कार्यवाही की समाप्ति के उपरांत सभा सचिवालय स्थित प्रशासनिक समिति कक्ष में **Understanding of Budget** से सम्बन्धित एक **Workshop** आयोजित किया गया है जिसमें आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस **Workshop** में भाग लेने की कृपा की जाय।

9.वित्तीय कार्य(क्रमांक–6 से जारी)–

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत तृतीय अनुपूरक व्यय–विवरणी पर चर्चा में भाग लिये जाने हेतु दलगत समय आवंटन की घोषणा आसन से की गयी। तत्पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय सदस्या, डॉ० नीरा यादव ने चर्चा प्रारम्भ की इसके उपरांत निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया–

श्री उदयशंकर सिंह,
श्री कुमार उज्ज्वल,
श्री सुरेश कुमार बैठा,
श्री जयराम कुमार महतो एवं
श्री आलोक कुमार सोरेन।

कटौती प्रस्ताव पर सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री, वित्त, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा उत्तर दिया गया। माननीय सदस्या, डॉ० नीरा यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ। तदुपरांत तृतीय अनुपूरक व्यय–विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित माँग संख्या–4 "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग" (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) के लिए 31 मार्च, 2026 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए व्यय की पूर्ति के लिए अनुदान माँग ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

तृतीय अनुपूरक व्यय–विवरण की अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित अन्य सभी माँगें गिलोटिन (मुखबंद) के माध्यम से सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुईं।

10. विधायी कार्य–

"झारखण्ड विनियोग (संख्या–01) विधेयक, 2026"

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–02 एवं खण्ड–03, खण्ड–01, अनुसूची, प्रस्तावना तथा नाम बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् "झारखण्ड विनियोग (संख्या–01) विधेयक, 2026" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक–24.02.2026 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

राँची,
दिनांक–21 फरवरी, 2026 ई०।